खण्ड-470, अंक-5
सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1930
(16 फरवरी, 2009 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
विधायक निवासों से गाड़ियां चोरी होने एवं सुरक्षा विषयक व्यवस्था का प्रश्न ...	1-2
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	2-3
प्रदेश के पी0सी0एस0 अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जाने के कारण पदोन्नति से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद बांदा में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2007-2008 के अन्तर्गत सभी बिन्दुओं से संतृप्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4
आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय अधूरी निर्मित सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4-5
विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा संत गाडगे महराज पार्क की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	5
आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत मेहनाजपुर राजबहे की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	5
जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर एवं जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	6
जनपद महाराजगंज के सोनौली एवं नौतनवां कस्बे में आई0एस0आई0 की गतिविधियो पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	6-7
100 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लेकर वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	7
जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात लेखपालों का अन्य तहसीलों में स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	7
जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी पनघटिया बांध पर सिसहनियां के पास बने रेगुलेटर तथा नरकटहा डुमरियागंज बांध पर स्थित मेचुका बांध के रेगुलेटर के पुराने एवं जर्जर रेगुलेटरों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	8

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों का चौड़ीकरण एवं सी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	8
प्रदेश के जिला कारागारों/मण्डलीय कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	8-9
प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	9-10
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत सठौली से मलेधुआं एवं उग्रसेनपुर से उदगी जीण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	10
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन अभी तक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	10-15
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचनायें (सदन के पटल पर रखी गई)	15-16
लोकायुक्त उ0प्र0 के वार्षिक प्रतिवेदन, 1998 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 तथा द्वितीय सत्र, 2008 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)...	17
जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध रामपुर गजबाहा पर ग्राम सराय लीली उर्फ खोजापुर वि0ख0 फूलपुर के सामने रेलवे लाइन के पास पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भोलानाथ भारतीय आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	17
जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा सराय आलम के मजरा भूखण्ड वि0ख0 धनूपुर बस्ती का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने विषयक श्री इरफान अहमद आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	17
जनपद इलाहाबाद के वि0ख0 धनूपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चफला से मिया का पूरा भोपतपुर पक्की सड़क तक त्रिजिरपुर होते हुए सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री शिवशंकर उर्फ बाबा यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	18

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के वि0ख0 प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा थटा के सामने स्थानीय बरना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुधाकर यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	18
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	18-53
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग (जारी)	53
शासन द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किये जाने का कारण व उद्देश्य का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	53-54
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या-1-आबकारी विभाग (स्वीकृत)	54
अनुदान संख्या-2-आवास विभाग (स्वीकृत)	54
अनुदान संख्या-3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	55
अनुदान संख्या-4-उद्योग विभाग (खाने और खनिज) (स्वीकृत)	55
अनुदान संख्या-5-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)	56
अनुदान संख्या-6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	56
अनुदान संख्या-7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	56
अनुदान संख्या-8-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	56-57
अनुदान संख्या-9-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	57
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	57
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	57
अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	58
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	58
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	58
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	59
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ...	59
अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	59
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	59-60
अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	60

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)...	...	60
अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	...	60
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग (स्वीकृत) ...	...	61
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	...	61
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	...	61
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ...	...	61-62
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ...	...	62
अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ...	...	62
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	62
अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्टि अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	...	63
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...	63
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...	...	63
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	64
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	64
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)...	...	64
अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)...	...	65
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ...	...	65
अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	...	65
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग (स्वीकृत) ...	...	65-66
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत) ...	...	66
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ...	...	66
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत) ...	...	66
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत) ...	...	67
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ...	...	67
अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ...	...	67
अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	...	67-68
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ...	...	68
अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) ...	...	68
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	...	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत) ...	69
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	69
अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	70
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)...	70
अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	70-71
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) (स्वीकृत) ...	71
अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	72-73
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	74
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	74-75
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	75
अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	75
अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)... ...	76-77
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)... ...	77
अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	77
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	77
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	78
अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	78
उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 (पारित)	78-85
जनपद जालौन बेतवा नदी के कोटरा घाट पर पुल का निर्माण करवाये जाने विषयक श्री मूलचन्द्र बुधौलिया आदि निवासीगण जनपद जालौन की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की)	85
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	85-87
प्रदेश में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	87-90
जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरों की मजदूरी शासनादेश के अनुसार न दिये जाने एवं उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	90
लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा दी जा रही बच्चों की पंजीरी की बोरियों की तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रफी अहमद उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य ...	91-92
प्रतापगढ़ के पट्टी, बीरापुर, सदर से निकलने वाले जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	92-93
जनपद बागपत में जर्जर विद्युत तारों के कारण किसानों को विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	93-95

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ में नरेगा में कार्यरत तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक व मेटों के हजारों की संख्या में निष्कासन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	95-96
प्रदेश में बालिका इण्टर कालेजों के सेन्टर निर्धारण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	96
जनपद महाराजगंज के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 द्वारा किये जा रहे धन के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में श्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	96-97
नत्थी	...	...	...	98-110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-310

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय तोमर, डा0	बागपत	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अजय यादव, श्री	एटा	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ	
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	आनन्द कुमार उर्फ	
अब्बास अली जैदी उर्फ		कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद	आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली

आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आरिफ, श्री	हरदोई
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूँ
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कांशीराम, श्री	रामपुर
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कोशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया

चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दशराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर

धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, कठेरिया श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर

विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :—मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधायक निवासों से गाड़ियां चोरी होने एवं सुरक्षा विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आप लोग स्थान ग्रहण करें।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी हम बैठ भी नहीं पाए और आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

हमारे यहां बहुखण्डी मंत्री आवास डालीबाग से गाड़ी चोरी हो गई है।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं ओ0सी0आर0 1403 में रहता हूं। सत्र में भाग लेने के लिए रात आठ नौ बजे के बीच करीब साढ़े आठ बजे मैं गाड़ी खड़ी करके ऊपर सोने चला गया ड्राइवर और गनर भी साथ थे गाड़ी नीचे खड़ी करवा दी। सुबह हम जब तैयार होकर निकले तो वहां से गाड़ी गायब मिली। यह आपके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गाड़ी चोरी हुई वह हमारी नई गाड़ी थी मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सदन में मैं अनुसूचित क्षेत्र से चुनकर आता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे गाड़ी दी थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष के नाम थी और कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी ने गाड़ी दी थी।

श्री अध्यक्ष-

बात हो गई।

श्री राजाराम त्यागी-

मैं चाहता हूं कि सरकार उस गाड़ी का पता लगाए और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करे। मैंने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है।

श्री अध्यक्ष-

विधायक की गाड़ी चोरी हो गई यह दुखद विषय है मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इसको दिखवाया जाएगा और निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, विधायक निवास के परिसर से गाड़ी चोरी हुई है अगर कोई विधायक ओ0सी0आर0, दारुलशफा में गाड़ी खड़ी करके सोने चला जाए और उसकी गाड़ी चोरी हो जाये तो विषय गम्भीर है। कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के राज्य में विधायक निवास सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश कहां सुरक्षित होगा ? संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपसे जानना

चाहता हूं कि यह इकलौती घटना नहीं है विधायक से मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आज गाड़ी चोरी हो गयी कल को जीवन असुरक्षित होगा।

आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि विधायक निवास परिसर में जब गाड़ियां अन्दर आएं तो वहां पर गाड़ियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो वहां गाड़ियां सुरक्षित रहें या कोई सामान सुरक्षित रहे आने जाने वालों पर निगरानी हो। ओ0सी0आर0 इतना बड़ा विधायक निवास है दारुलशफा है आप विधायकों को लोन देते हैं जिससे वह गाड़ियां खरीदते हैं उन गाड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निन्दा करता हूं जो सरकार अपने विधायक निवास के परिसर की सुरक्षा न कर सके वह उत्तर प्रदेश की क्या सुरक्षा करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश में पूरी तरह से हर व्यक्ति, हर जनमानस का जीवन सुरक्षित है। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, की गई है। इसको दिखवाना पड़ेगा कि प्रमोद जी ने यह बात सदन में उठाई कि इसका क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कारण क्या है यह देखना पड़ेगा ? दल द्वारा गाड़ी दी गई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। इसमें हिम्मत करके स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपके राज्य में विधायकों की सुरक्षा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गाड़ी चोरी हुई है इसका भी ख्याल रखिए।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी की प्रदेश के पी0सी0एस0 अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जाने के कारण पदोन्नति से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2007-2008 के अन्तर्गत सभी बिन्दुओं से संतृप्त कराने के सम्बन्ध में है।

(तीसरी सूचना हेतु श्री संजीव दरियाबादी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

(चौथी सूचना हेतु श्री प्रदीप जैन आदित्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

पांचवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय अधूरी निर्मित सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी

की विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा संत गाडगे महाराज पार्क की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत मेहनाजपुर राजबहे की सफाई कराने के सम्बन्ध में है।

(आठवीं सूचना हेतु श्री मिथेलश कुमार का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

नवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर एवं जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है।

(दसवीं सूचना हेतु श्री अनूप सण्डा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

ग्यारहवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के सुनौली एवं नौतनवां कस्बे में आई0एस0आई0 की गतिविधियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की 100 अरबी.....

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गई)

(तेरहवीं सूचना हेतु श्री जावेद अंसारी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

चौदहवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की सूचना पर लखनऊ बलिया राजमार्ग पर सुल्तानपुर...(पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं। इनकी सूचना जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात लेखपालों का अन्य तहसीलों में स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननय अध्यक्ष जी, निश्चित है कि आपका ध्यान सुल्तानपुर से बलिया तक की जर्जर सड़क की ओर रहता है। यह चाहे किसी की भी नोटिस रही हो लेकिन आपके जेहन में इस सड़क की जर्जर अवस्था जरूर थी इसीलिये आपने उसको यहां पर कह दिया। इस पर सरकार का ध्यान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

हम सूचना पढ़ते हैं तो आपकी तस्वीर हमेशा सामने रहती है, उससे धोखा हो जाता है। जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे उनके स्थान पर श्री लालजी यादव, डा0 अनिल चौधरी, श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री अशोक कंसल और श्री जोखू लाल यादव की सूचनाएं ली जाती हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी ने अपनी सूचना पढ़ी। शेष स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

प्रदेश के पी0सी0एस0 अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जाने के कारण पदोन्नति से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रफी अहमद उस्मानी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने पी0सी0एस0 अधिकारी कार्यरत् हैं उनमें अधिकांश को वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जाने के कारण उनको पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत् पी0सी0एस0 अधिकारियों में रोष/जनाक्रोश व्याप्त है इसके लिये उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत सभी बिन्दुओं से संतृप्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं जनपद बांदा में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत ग्राम सिन्धनकला, चिल्ली, जौहरपुर, परसौड़ा, उजरेहटा, सैमरा तथा वर्ष 2008-09 में हथौड़ा, जौरही, अमारा, अमलोर, भूरेडी, पलरा, चहितारा, गजनी, सिधौली, गौरीखर्द, मौदहा, महुई ग्राम चयनित हुए थे। जिसमें अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत 30 बिन्दुओं पर सभी कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं विशेष तौर पर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण, विद्युतीकरण, नाली खड़ंजा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ दिया गया है। शासन को उपरोक्त वर्ष में उक्त ग्रामों का सभी बिन्दुओं में संतृप्त होना बताया गया है। शासन को गुमराह किया गया है इसलिये उक्त सभी ग्रामों में शासन द्वारा टीम भेजकर जांच करायी जाये तथा झूठी रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा सभी उपरोक्त गांवों को संतृप्त कराने के निर्देश भेजना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत सभी बिन्दुओं से संतृप्त कराने हेतु शासन को निर्देश देने का कष्ट करें।]

आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय अधूरी निर्मित सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजेन्द्र सिंह-

[आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में कई सड़कों जो अधूरी बनी हैं उन्हें पूरा कराना अति आवश्यक है। इनमें शमसाबाद मीरपुरा-उजरई रोड, पेतीखेड़ा वाजिदपुर रोड से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगला विसे तक, निबोहरा मार्ग से समंस का पुरा तक, कुर्राचित्तरपुर रोड से गढ़ी राम वल तक, काकरपुरा से नगला शादी तक।

लोक महत्व की इस समस्या के निदान के लिये सरकार से मांग करता हूं।]

विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा संत गाडगे महाराज पार्क की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

[महोदय, अनुबन्ध संख्या-19/ए0ए0-11/06 जो जितेन्द्र सिंह के पक्ष में विकास प्राधिकरण लखनऊ से है। वर्ष 2006 से उपरोक्त पार्क का कार्य चल रहा था समय-समय पर रनिंग भुगतान हुआ, अनुबन्ध में अंकित कई मदों की मात्रा का कार्य पूर्ण हो चुका एवं स्थल की मांग के अनुसार कई मदों में बढ़ोत्तरी होनी थी, जिसकी स्वीकृति व समय वृद्धि हेतु जितेन्द्र सिंह ने दिनांक 11-1-2008 को पत्रांक सं0-5815-चीफ/08 पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बल्कि उल्टा दिनांक 14-3-08 को पत्र सं0-153/अ प्रो0यू0-2 दिनांक 14-3-08 को कार्य बन्द करा दिया गया। पुनः जितेन्द्र सिंह ने दिनांक 2-9-08 को उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिया कि हमारा भुगतान करके कार्य जो पूर्ण हो चुका है विकास प्राधिकरण अपने हैण्ड ओवर करे क्योंकि अनुबन्ध वर्ष 2006 का है, कार्य रोके जाने के कारण और कोई निर्णय न होने के कारण अब सामग्री जिससे निर्माण होना है के रेट दो गुने हो गये हैं, पूर्व के रेटों पर कार्य करने में असमर्थ हूं। अब तक कोई कार्यवाही न होने से जितेन्द्र सिंह विक्षिप्त जैसे हो गये हैं।

कृपया भुगतान कराकर अनुबन्ध संख्या-19/ए0ए0-11/06 को फाइनल कराने हेतु विकास प्राधिकरण को निर्देश देने की कृपा करें।]

आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत मेहनाजपुर राजबाहे की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सर्वेश कुमार सिंह-

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में स्थित मेहनाजपुर राजबाहे की सफाई न होने की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त राजबाहे की सफाई न होने के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलप्लावित रहती है जिससे काफी किसानों की क्षति होती है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी स्थानीय अधिकारी कुछ नहीं करते हैं और तो और कागजों पर सफाई होना दिखा कर शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने की बात भी संज्ञान में आ रही है, तत्काल इसकी जांच होनी चाहिए और मेहनाजपुर राजबाहे की सफाई भी तुरन्त कराकर इसका लाभ किसानों को दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर एवं जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल-

[जिला पुनर्वास केन्द्र सीतापुर एवं जगदीशपुर सुल्तानपुर के कर्मचारियों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है जो पूर्व में या भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित होने वाला पुनर्वास केन्द्र है जिसमें तैनात कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान भी नहीं हो रहा है। यह प्रकरण मेरे द्वारा सदन में भी उठाया गया था जिसमें दिनांक 25-2-08 को मा0 मुख्य मंत्री जी वक्तव्य भी सदन में आया कि प्रदेश में विकलांगजनों के पुनर्वास के उद्देश्य से उक्त जिला पुनर्वास केन्द्रों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से संचालित किये जाने की प्रक्रियाधीन है। इतने समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही भी शासन से की जा रही है। कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और तत्काल प्रकरण का निराकरण किये जाने की भी मांग कर रहे हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावित कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने की मांग करता हूं ताकि प्रभावित परिवार भुखमरी से बच सकें और पुनर्वास केन्द्र सुचारु रूप से संचालित भी हो सकें।]

जनपद महाराजगंज के सोनौली एवं नौतनवां कस्बे में आई0एस0आई0 की गतिविधियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

[मा0 अवगत कराना है कि भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली एवं नौतनवां कस्बा जनपद महराजगंज आजकल आई0एस0आई0 की गतिविधि का मुख्य केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर में गत दिनों फर्जी नोटों का करोड़ों का जखीरा पकड़ा गया है। उसका मुख्य अभियुक्त अब्दुल गनी व अब्दुल रहमान उर्फ शार्जीद अली का मुख्य अड्डा सोनौली व नौतनवां कस्बा बना हुआ है। गत दिनों इन्हीं फर्जी नोटों के बल पर ग्रामसभा सुकरौली में 1-आराजी सं0-57.2, 2-आराजी सं0-427, अ0सं0-428, अ0सं0-429, अ0सं0-430, अ0सं0-431 व अ0सं0-432 सोनौली कस्बा अन्तर्गत उपरोक्त जिसकी मूल्यांकन अरबों रुपये में है, इसी क्रम में ग्राम सभा परसौनी गाटा सं0-406, 408, 450, 451 जिसका मूल्यांकन भी करोड़ों में ग्राम सभा जुगौली, सुकरौली, सोनौली, परसोनी में तमाम महत्वपूर्ण बहुमूल्य जमीनों पर आई0एस0आई0 के मुखिया अब्दुल गनी व शाजीब अली नेपाल में बैठे अपने आका शान्तुन होटल के मालिक फखरुद्दीन के इशारे पर गतिविधियां चला रहे हैं। इन पर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का अंकुश न लगाकर इनके द्वारा संचालित कार्यों को पूरी छूट मिली हुई है। जिससे हमारे प्रदेश व देश को खतरा हैं तत्काल अब्दुल गनी व शाजीद अली के कृत्यों पर अंकुश लगाकर जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमीन ग्राम समाज की है हरिजनों व भूमिहीनों एवं पात्र व्यक्तियों में आवंटित कर इनके आतंक से मुक्ति दिलाने तथा इनके गतिविधियों को रोकने हेतु हर प्रकार के प्रभावी कदम उठाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

100 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लेकर वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मा0 मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा 100 अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लेकर वेतन भुगतान किये जाने की घोषणा काफी लम्बे समय पूर्व की गयी थी परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक उक्त मदरसों को अनुदानित किये जाने का शासनादेश नहीं जारी किया गया जिससे मदरसों से जुड़े शिक्षकों व कर्मचारियों तथा उनके परिवार एवं मुस्लिम समाज के लोगों में भारी असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है। जबकि विभाग द्वारा पहले जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से मानकों की जांच पूर्ण करायी गयी थी किन्तु अनावश्यक तरीके से पुनः जांच कराने का आदेश जारी कर दिया गया है जिससे विलम्ब होने की सम्भावना प्रबल हो गयी है एवं मदरसों से जुड़े अध्यापकों, कर्मचारियों और उनके परिवार की अनदेखी भी हो रही है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात लेखपालों का अन्य तहसीलों में स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी में विगत दस वर्षों से अधिक समय से जनपद की विभिन्न तहसीलों में लेखपाल एक ही स्थान पर तैनात हैं। शासन के नियमों के अनुसार नियमतः लेखपाल एक तहसील में दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत नहीं रह सकते हैं। किन्तु जनपद लखीमपुर खीरी में इसका पालन नहीं किया जा रहा है जिससे जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। विगत दस वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण जनपद खीरी की दूसरी तहसील में करना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी पनघटिया बांध पर सिसहनियां के पास बने रेगुलेटर तथा नरकटहा डुमरियागंज बांध पर स्थित मेचुका बांध के रेगुलेटर के पुराने एवं जर्जर रेगुलेटरों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी के अन्तर्गत सिंचाई निर्माण विभाग द्वारा बने भवारी, आजमगढ़, आमघाट अजगरा के हाटा के रेगुलेटर/बांसी पनघटिया बांध पर सिसहनिया के पास बने रेगुलेटर तथा नरकटहा (बांसी) डुमरियागंज बांध पर स्थित मेचुका बांध पर रेगुलेटर बहुत पुराने और जर्जर अवस्था में हो गये हैं जिससे यहां की जल निकासी नहीं हो पाती है। उससे पूरे क्षेत्र के किसानों के हजारों एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। यदि इन रेगुलेटरों को चौड़ा कर दिये जाये तो हजारों एकड़ फसल किसानों की बचाई जा सकती हैं यह गम्भीर प्रकरण है जो जनहित का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों का चौड़ीकरण एवं सी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद की ओ0 डी0 आर0 श्रेणी के विभिन्न सम्पर्क मार्ग संकरे होने के कारण वाहनों के सुचारु आवागमन में बाधक बने हुए हैं। इन सम्पर्क मार्गों के ग्रामों के आबादी भाग से गुजरने वाले भाग पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त व जलभराव की समस्या से ग्रस्त हैं।

मैं इन मार्गों के चौड़ीकरण, आबादी भाग में नाली निर्माण व सी0 सी0 कार्य की मांग करता हूं। सम्पर्क मार्गों की सूची निम्नवत् है :--

1-सादाबाद-पुरा मार्ग
2-सादाबाद-राया मार्ग
3-सादाबाद-गुतहरा शिखरा मार्ग
4-सादाबाद-मुरसान मार्ग
5-मई-बल्देव मार्ग
6-मई-कुरसंडा-सादाबाद मार्ग]

प्रदेश के जिला कारागारों/मण्डलीय कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के जिला कारागारों, मण्डलीय कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दियों के रखने, महामारी बीमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा संक्रामक बीमारियां पैदा हो रही हैं, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, जिससे गन्दगी का अम्बार है। प्रदेश के हजारों बीमार बन्दी दवा एवं जेल प्रशासन के कुकृत्यों से मरने की स्थिति में हैं। जनपद-बरेली, बांदा, बदायूं, एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, लखनऊ सहित प्रदेश की सभी कारागारों में जेल अधीक्षकों एवं जेलरों द्वारा नये हवालातियों से रुपये 1000/- प्रति बन्दी मुलहजा, कमान कटाने, पहरा सिपाही, बैरिक सिपाही एवं भण्डारे के नाम पर प्रतिमाह करोड़ों रुपये वसूला जा रहा है तथा मिलाई के नाम पर रु0 50/- से लेकर 200/- लिया जा रहा है। नये हवालातियों को अलग से एक बैरिक में रखा जाता है, उस बैरिक के सिपाही से रु0 15000/- महीने अधीक्षकों द्वारा लिया जाता है। कारागार के अन्दर की कैन्टीन से रु0 55000/- तथा भण्डारा से रु0 10000/- एवं चिकित्सा बैरिक से रु0 1500/- प्रति बन्दी प्रतिमाह लिया जा रहा है जेल से जिला चिकित्सालय भेजने के लिये रु0 3000/- लिया जाता है। कैन्टीन का सामान मूल्य की लागत से 4-5 गुना अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। बन्दियों को मानक से कम खुराक एवं अनुमन्य सामान दिया जाता है, जिससे विवश होकर बन्दी जेल केन्टीन से अधिक दाम पर सामान खरीदने के लिये विवश होते हैं। जिला-बांदा में गत महीने मलखे लोधी की बैरिक के अन्दर मृत्यु हुई थी, जिसे गेट-बुक में गम्भीर बीमार हालत में दिखाकर जिला चिकित्सालय ले जाते हुए मुत्यु होना दिखाया गया है, जो जांच योग्य विषय है। उपरोक्त बिन्दुओं पर यदि शासन स्तर से विजिलेन्स जांच कराई जाये तो अपने आप प्रतिमाह जिला कारागारों से करोड़ों रुपये का कारागार घोटाला सामने आ जायेगा। प्रदेश के सभी कारागारों में मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। आजाद देश में अंग्रेजों के जमाने जैसे प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी फंसे जेल में हवालातियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर बिन्दुवार विजिलेन्स विभाग से जांच कराने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कंसल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उ0 प्र0 के विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मान्यवर, एक स्वस्थ एवं गरीब व्यक्ति तो किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके अपनी एवं बच्चों का भरण पोषण किसी प्रकार कर लेता है परन्तु एक विकलांग व्यक्ति न तो कमा सकता है और न ही चल फिर सकता है, और न ही अपने एवं अपने बच्चों का भरण पोषण ही कर सकता है। उ0 प्र0 में बहुत से गरीब परिवार के ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जिनकी न तो कोई योग्यता है और न ही उनके पास आय के पर्याप्त साधन हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनको कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिल रही है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने 22-8-2000 में जिला विकलांग बंधु समिति का गठन करने के आदेश दिये थे परन्तु आज तक किसी भी जिले में इसका गठन नहीं हो सका। विकलांगों के कल्याण के लिये निःशुल्क व्यवसायिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशिक्षण खोले जायें एवं विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा हेतु निःशुल्क शिक्षा एवं पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय तथा विकलांग व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्री की शादी के लिये सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों व्यवसायिक कार्यों के लिये बिना शर्त 2 प्रतिशत ब्याज पर भी ऋण दिया जाय तो इनका कल्याण सम्भव हो सकेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकलांगों के कल्याण हेतु अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत सठौली से मलेथुआं एवं उग्रसेनपुर से उदगी जीण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत उपरोक्त सम्पर्क मार्ग (1) सठौली से मलेथुआ (2) उग्रसेनपुर से उदगी जीर्ण-शीर्ण हो गया है तथा पटरियां भी टूटी हुई हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बड़ी असुविधा होती है। इसकी मरम्मत न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। यह प्रश्न क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ प्रकरण है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 13 फरवरी, 2009 को नियम 300 के अन्तर्गत सात सूचनाएं प्राप्त हुई थीं पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, दूसरी सूचना श्री सतीश महाना व श्रीमती प्रेमलता कटियार, तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, चौथी सूचना डा0 अनिल चौधरी, पांचवीं सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी, छठी सूचना श्री कुबेर सिंह एवं सातवीं सूचना श्री सुरेश खन्ना की है यह 16 तारीख को सुनने को कहा गया था लेकिन यह सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः इन्हें निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 फरवरी को नियम-300 में पांच सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्रमोद तिवारी जी, अपनी बात कहें।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन अभी तक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि संविधान से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली से जुड़े हुए विषय को मुझे यहां औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति दी है। मान्यवर, इस नियमावली के नियम-9(1) के अन्तर्गत आपके सहयोग आपकी सहायता और इस सदन के संचालन के लिये उपाध्यक्ष का पद होता है। जो अध्यक्ष पीठ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आसन पर उस समय विराजमान होता है जब अध्यक्ष नहीं होते हैं। आपकी अनुमति से उपाध्यक्ष को वह सभी अधिकार होते हैं जो आप में निहित हैं। मान्यवर, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मई, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान सभा का गठन हुआ और आज 2009 का फरवरी चल रहा है। इस तरह से हम लगभग दो वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पांच वर्ष के जीवन में दो वर्ष मान्यवर, ऐसे चले गये हैं जब यह विधान सभा व्यवहारिक रूप से गठित ही नहीं हो पाई। मान्यवर, व्यवहारिक रूप से इसलिये गठित नहीं हो पाई है क्योंकि तमाम समितियां ऐसी होती हैं जिनका पदेन सभापति उपाध्यक्ष होता है। मान्यवर, मैं उन समितियों के नाम आपके सामने रखता हूं आपके संज्ञान में है जैसे मान्यवर, हम लोगों के तमाम विशेषाधिकार हैं उन विशेषाधिकार से ही हमारे हित सुरक्षित हैं लेकिन विशेषाधिकार समिति कार्य इसलिये नहीं कर पा रही है क्यों उप सभापति नहीं हैं यह आपको अधिकार है मान्यवर, जिन समितियों में उप सभापति न हों, उनका अध्यक्ष मनोनीत करके ऐसी कई समितियां कार्य कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही हैं। परन्तु मान्यवर, आठ महत्वपूर्ण समितियां और शायद इससे भी ज्यादा, जैसे मान्यवर, याचिका समिति, आप मान्यवर, अनुमति देते हैं कि हम याचिका रखें लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि याचिकाओं को हम यहां रख तो लेते हैं लेकिन उन पर विचार ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि याचिका समिति गठित ही नहीं है। मान्यवर, करोड़ों लोगों की आवाज जो विधायक विधान सभा में उठा रहे हैं वह एक कमी की वजह से अनसुनी कर दी जा रही है। इसी तरह प्रश्न एवं संदर्भ समिति है प्रश्न सबसे बड़ा हथियार है किसी भी सदस्य की ओर वह प्रश्न पूछता है, प्रश्न संदर्भित भी होता है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती है क्योंकि उप सभापति नहीं हैं। आवास समिति एवं संसदीय शोध समिति, इसके भी उपाध्यक्ष पदेन सभापति होते हैं। यानि इतनी महत्वपूर्ण समितियों के पास अभी धड़ तो है सिर नहीं है वह काम नहीं कर पा रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा इस सरकार का द्वेष दो लोगों के प्रति लगता है। वर्मा जी, मेरी बात को ध्यान से सुन लें। इस सरकार का द्वेष मान्यवर, सबसे ज्यादा आपके प्रति है और दूसरा अगर द्वेष है तो मुख्य विरोधी दल के प्रति है। सामान्यतः जो उपाध्यक्ष होता है, मैं नहीं कहता कि हर बार हुआ है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद होता है, लेकिन यह नहीं चाहते हैं कि मुख्य विरोधी दल को यह पद मिले। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह राजनीति की एक अच्छी परम्परा नहीं है। दूसरा मान्यवर, आपके प्रति शुरू से ही अनादर का भाव रखती है, यह सत्ता और संसदीय कार्यमंत्री जी, दोनों बड़े अनादर का भाव रखते हैं, आपके प्रति। मैं देखता हूं कि 11.00 बजे आप बैठते हैं, हम तो दो-एक बार बाहर जाकर आ जाते हैं, अन्दर, लेकिन यह आप को यहां बैठे रहने की सजा देते हैं। आपकी सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। आप इन्सान हैं।

मान्यवर, अच्छे इन्सान हैं, आपकी भी कुछ जरूरतें होंगी लेकिन यह सरकार आपको विवश करती है कि आप उन जरूरतों को दबाये यहां बैठे रहें। तो मान्यवर, मुझसे तो यह पीड़ा आपकी देखी नहीं जाती। यह सरकार जानबूझकर अत्याचार, अनाचार आप पर कर रही है, उसके खिलाफ मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, आप तारीख निश्चित करें और इनसे कहें कि परम्पराओं का निर्वाह करते हुए नेता विरोधी दल से बात करें, उनसे नाम लें, वह चाहे अपने दल से दें, दूसरे दल से दें या तीसरे दल से दें, जिस किसी भी दल से दें, यह नेता

विरोधी दल प्रस्तावित करें और उपाध्यक्ष का चयन हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, यह तो परम्पराएं रहीं लेकिन मान्यवर, इस सरकार को क्या यह अधिकार है कि वह प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को न बनाये, गठित न करे या मान्यवर, वह याचिका जो हम यहां रोज प्रस्तुत करते हैं, उनका निदान न हो पाए। तो सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन कर रही है, वह मात्र एक उपाध्यक्ष के पद पर आसीन न होना है। मैं मान सकता हूं कि पहले सत्र में चुनाव नहीं हुआ, कोई कठिनाई रही होगी, दूसरे सत्र में चयन नहीं हुआ, कठिनाई रहीं होगी, पर दो साल तक सरकार सो रही है, इसको सरकार की तरफ से सोची-समझी साजिश कह सकते हैं, जो विपक्ष के अधिकारों में कटौती कर रही है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जिस महत्वपूर्ण विषय को मा0 प्रमोद तिवारी जी ने अभी सदन के सम्मुख रखा है, बहुत छोटे-छोटे दो अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगा। जब भी परम्पराओं की बात आती है और अभी इसी सत्र में ही नेता प्रतिपक्ष ने परम्पराओं की उच्चता का हवाला दिया तो संसदीय कार्य मंत्री जी तत्काल नियमों का हवाला दे करके प्रतिवाद करते हैं, कि नियमों में ऐसा नहीं है। मान्यवर, इस सदन के संचालन के लिए नियम और परम्पराएं दोनों महत्वपूर्ण है और मान्यवर, परम्पराओं का हवाला मा0 प्रमोद तिवारी जी ने दिया है। मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम-9 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, 'उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि को सूचना भेजेंगे। परन्तु इस प्रकार नियत तिथि सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में : (क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा (ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, तीस दिनों के भीतर होगी।'

मान्यवर, अब तीस दिन की व्याख्या कैसे होगी, विद्वान लोग हैं, कानूनविद इसकी व्याख्या करेंगे हमारा अनुरोध सिर्फ यह है कि अध्यक्ष के निर्वाचन के तत्काल बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन कह देंगे कि फला समय नहीं हुआ, पिछले किसी समय का हवाला दे देंगे कि उस समय नहीं हुआ, यह दृष्टांत का एक अलग विवाद चल गया है, जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई है। यह कह देते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, फलां समय में ऐसा हुआ था, एक भी अच्छी परम्परा का उल्लेख नहीं किन्तु अगर कहीं कोई कमी थी तो उसी का बार-बार उल्लेख होता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पिछले सत्र का लगभग आखिरी दिन था और यह सवाल औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठा था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा था, आप कार्यवाही दिखवा लें, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह अध्यक्ष पीठ का विवेक है कि वह उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि फिक्स करे और मान्यवर, प्रकारान्तर से यह सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी थी। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए स्मरण करना चाहता हूं, जहां सरकार किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने नहीं देना चाहती, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती, सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में इस सरकार को विश्वास नहीं है। मान्यवर, प्रकारान्तर से यह जिम्मेदारी भी आप पर डाल देने का काम पिछले ही सत्र में हो गया था, चूंकि आखिरी दिन था, इसलिए उसके आगे बात नहीं हो सकी थी।

आपके सम्मुख हुआ था और कार्यवाही का यह अंश है आप दिखवा लें। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे संरक्षक हैं और सचमुच में यह नियमावली आप ही को अधिकृत करती है। आप इसके लिए किससे परामर्श करेंगे क्या करेंगे उस पर हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम उसमें झांके और कोई टिप्पणी करें। लेकिन हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि जो सदन की परम्पराओं, नियमों के अनुसार और संसदीय कार्य मंत्री जी के उद्धरण के अनुसार और आप पर इस मसले का जो काम किया है उसके अनुसार और मान्यवर, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलती रहे, जिन समितियों के लिए उपाध्यक्ष के न होने के कारण कार्यवाही नहीं हो रही है वह समितियां काम करती रहे हैं इसलिए उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करना आवश्यक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यथाशीघ्र वह तिथि घोषित कर दी जाये और इसी सत्र में उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाये। प्रतिपक्ष का यह अधिकार है, मुख्य विपक्षी दल का यह अधिकार है उसका सम्मान होना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को पूरी तरह से आपमें विश्वास है और आपका पूरा सम्मान है। माननीय प्रमोद तिवारी बार-बार इस बात का उल्लेख करके मैं समझता हूं कि इनके मन में हो सकता है कुछ इस तरह की भावना हो लेकिन सरकार के मन में ऐसी भावना नहीं है और सरकार का हर तरह से आपका सम्मान है। जहां तक प्रमोद तिवारी जी ने आपकी कठिनाई का उल्लेख किया है। इसी नियमावली के नियम-10 जिसमें इस बात का उल्लेख है कि एक अधिष्ठाता मण्डल होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मण्डल नाम-निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थित में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर पीठासीन सदस्य के कहने पर सभा में पीठासीन हो सकेंगे। तो इसलिए मान्यवर, आपकी कठिनाई का तो कोई प्रश्न नहीं है। बाकी नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है जिसका माननीय चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, माननीय तिवारी जी ने भी जिक्र किया। मैं उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। वह आपका अधिकार है, आपके अधिकार पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि आप पर सरकार का पूरा भरोसा है। तो एक ही बात उभरकर आ रही है कि अगर आप पर विश्वास है तो चुनाव कराने का पूरा अधिकार तो आपको है। तो फिर आप नहीं कर रहे हैं क्या ? हम आप पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, इनके अनुसार कह रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप चुनाव नहीं रोकेंगे। अगर ऐसा है तो स्थिति स्पष्ट हो। अगर इस चेयर का सम्मान है तो आप तारीख तय कर

दीजिए, समय तय कर दीजिए, एक दिन पहले कह दीजिए, आज पर्चा दाखिल हो जाएगा कल चुनाव हो जाएगा। हम तो उन्हीं की बात कह रहे हैं, अगर विश्वास है तो अधिकार आपको है। आप चुनाव कराइये। इन्होंने तो आप पर डाल दिया है कि आप नहीं करा रहे हैं। यह हम चाहते नहीं हैं कि ऐसा विवाद हो कि अध्यक्ष ही नहीं करा रहे हैं। यह हम चाहते नहीं हैं कि ऐसा विवाद हो कि अध्यक्ष ही नहीं चाहते हैं। यह हमारा कोई माननीय सदस्य या नेता न कह सके। यह हम आपसे अनुरोध और प्रार्थना करते हैं कि आप कल ही चुनाव करा लीजिए, परसों करा लीजिए, आप तारीख दे दीजिए चुनाव हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को, तिवारी जी को सुना, मैं शीघ्र ही इस पर विचार करके आपकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आजमगढ़ जिला तो आप जानते ही होंगे, वहां एक कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोवे न दें। तो मान्यवर, सरकार एक तरफ आपका अनादर भी करती है और आपसे कहलवाती भी है कि नहीं आदर करते हैं। मान्यवर, यह बड़ी विषम स्थिति है। मान्यवर, नियम-9 का जवाब तो अधिष्ठाता मण्डल का दे दिया लेकिन मैंने जो मूल प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है वह मैंने गम्भीरता से लिया है उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

लेकिन समितियों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

तब तक के लिए समितियों के लिए व्यवस्था बना दीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, तब तक समितियों के लिए व्यवस्था तो कर लीजिए कि समितियों का अध्यक्ष हो जाये, कुछ हो जाये। या न हो तो मान्यवर, मैं तो सीधे उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए सिफारिश करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है। जल्द ही इस पर विचार करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, कहा गया कि व्यवस्था कोई कर ली जाएगी, तो इसका मतलब कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह लोग व्यवस्था मांग रहे हैं कि तत्काल समितियां हमारी काम नहीं कर रही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह लोग प्रस्ताव लाये थे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आपने अभी कहा कि कोई ऐसी काम चलाऊ व्यवस्था कर ली जाय। तो इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव इन लोगों ने पिछली बार सदन में लाया था जिसको बाद में नहीं माना गया कि नहीं चुनाव कराये जायें, इस प्रस्ताव को हम लोग मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इस तरह के प्रस्ताव, एक वैकल्पिक स्वरूप दिया गया था पिछली बार, लेकिन मैंने भी कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि शीघ्र ही इस पर हम निर्णय ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर ऐसी बात है तो कृपा कर के आप यह तो बता दें कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब होना है।

श्री अध्यक्ष-

करा देंगे। आपने हमेशा मौके दिये हैं फिर मौका देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अगर होगा तो बड़ी मुश्किल होगी आपके रहते, जनता की भावना का सम्मान रखिये जैसा सम्मान हम लोग देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है, आपकी भावना के अनुरूप कार्य होगा, यह तो आप सब का बड़प्पन है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

चलिये सरकार को नहीं पसन्द है तो समाजवादी पार्टी नहीं कहेगी। जैसे चलता है, चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, इस पर जल्द ही निर्णय करेंगे।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचनाएं †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2760/ग्यारह-9(107)/07-उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-

---

† छापी नहीं गई।

(28)-2008, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को उ0 प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23 क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-2758/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(29)-2008, दिनांक 29-9-2008 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2812/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(30)-2008, दिनांक 29-9-08 को उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(31)-2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 को उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-3023/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(33)-2006, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-3024/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(34)-2008, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-3025/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(35)-2008, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-102/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(36)-2009, दिनांक 15 जनवरी, 2009 को उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-104/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(38)-2009, दिनांक 15 जनवरी, 2009 को उ0 प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोकायुक्त उ0 प्र0 का वार्षिक प्रतिवेदन, 1998 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के वार्षिक प्रतिवेदन 1998 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 तथा द्वितीय सत्र, 2008 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 (दिनांक 08 फरवरी, 2008 से 11 मार्च, 2008 तक) में तथा द्वितीय सत्र, 2008 (दिनांक 18 अगस्त, 2008 से 21 अगस्त, 2008 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-13 लेता हूं।

(श्री विनोद चतुर्वेदी को पुकारे जाने पर एवं उनके उपस्थित न होने पर)

अब मैं मद संख्या-14 लेता हूं।

जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध रामपुर राजबाहा पर ग्राम सराय लीली उर्फ खोजापुर विकास खण्ड फूलपुर के सामने रेलवे लाइन के पास पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भोलानाथ भारतीय आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†††

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध रामपुर राजबाहा पर ग्राम सराय लीली उर्फ खोजापुर विकास खण्ड फूलपुर के सामने रेलवे लाइन के पास आवागमन हेतु पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भोलानाथ भारतीय तथा श्री जयराम मौर्य, निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा सराय आलम के मजरा भूखण्ड विकास खण्ड धनूपुर के बस्ती के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने विषयक श्री इरफान अहमद आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका†††

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा सराय आलम के मजरा भूखण्ड विकास खण्ड धनूपुर के बस्ती के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने विषयक श्री इरफान अहमद तथा श्री मोहम्मद शमीम, निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

††† छापी नहीं गयी।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड धनूपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चफला से मिया का पूरा भोपतपुर पक्की सड़क तक खिजिरपुर होते हुए सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री शिवशंकर उर्फ बाबा यादव आदि निवासीगण जनपद इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका†††

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड धनूपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चफला (मोहरवा) से मिया का पूरा भोपतपुर पक्की सड़क तक खिजिरपुर होते हुए सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री शिवशंकर उर्फ बाबा यादव तथा श्री अमरनाथ अनाड़ी (पत्रकार), निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा थटा के सामने स्थानीय बरना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुधाकर यादव आदि निवासीगण जनपद-इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका†

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा थटा के सामने स्थानीय बरना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुधाकर यादव तथा श्री राकेश यादव, निवासीगण जनपद-इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15, 16 तथा 17 में कुछ नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ††

श्री जोखू लाल यादव-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैंने इस अभिभाषण को विशेष तौर पर पढ़ा। लेकिन इसमें तमाम सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समाहित नहीं किया गया है, सरकार ने उनकी अनदेखी कर दी है। मान्यवर, प्रदेश के किसानों की जो दुर्दशा है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसे उसका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। इसी तरह से, इस प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को जो बेराजगार हैं और जिनको हमारी मुलायम सिंह यादव की सरकार में रोजगार नहीं मिल सका था तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया गया था, उनकी बेरोजगारी दूर करने के सम्बन्ध में कोई बात इसमें नहीं कही गयी है। मान्यवर, यह सरकार सर्वसमाज की बात करती है लेकिन इस सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में कोई बात इसमें नहीं कही है। मान्यवर, 2007-08 में पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयीं यह जो पैसा है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। और, जहां पर यह देने की बात हो भी रही है तो उसमें भेदभाव को अख्तियार कर रखा गया है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि

---

† छापी नहीं गयी।

†† दिनांक 12 फरवरी, 2009 की कार्यवाही से।

††† छापी नहीं गयी।

उसमें आप नीति में संशोधन कर लें। जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की, उनके एडमिशन के समय, फीस नहीं लगती है, निःशुल्क प्रवेश दे दिया जाता है उसी तरह से पिछड़ी जाति के छात्रों को भी निःशुल्क प्रवेश दिया जाय। ताकि उनके अभिभावकों पर फीस का अधिभार न पड़े। मान्यवर, आज किसानों की स्थिति यह है कि वह तबाह हो रहा है, बरबाद हो रहा है। यह सरकार जब से पदारूढ़ हुई है आज बिजली की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि जहां माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में किसानों को 16 से 18 घंटे बिजली मिलती थी, बड़ा अफसोस है कि यह सरकार 6 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है जिससे पूरे प्रदेश का किसान तबाह और बरबाद हो रहा है। उसको अपनी सिंचाई के लिये जितनी बिजली की सप्लाई होनी चाहिए थी वह बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यह सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर कहती है कि प्रदेश में हर तरह से कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। यहां जितने लोग बैठे हैं मान्यवर, कदाचित अभी आपके सामने एक प्रकरण आया इस प्रदेश का चित्रण यह है कि जब विधायक अपने आवास पर लखनऊ में हो, उसके परिसर में चाहे दारुलशफा हो, चाहे बहुखण्डी हो विधायकों की गाड़ियां तक सुरक्षित नहीं हैं, उनकी गाड़ियां तक चोरी चली जा रही हैं। आप क्या कल्पना करते हैं कि यह प्रदेश सुरक्षित है ? मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश सुरक्षित है तो अपने आपसे सुरक्षित है, अपने सहारे से सुरक्षित है। पूर्व सरकार ने पूरे प्रदेश को इस तरह से छोड़ दिया है कि आप कल्पना करें कि जब विधायकों की गाड़ियां नहीं सुरक्षित, विधायक नहीं सुरक्षित तो इसके बाद भी सरकार का कहना कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि हम सारे बैठे हुए लोग कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष के नजरिये से इसको देखते हैं। लेकिन सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा बैठे हुए सारे लोगों को कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई व्यवस्था करे, पूरा का पूरा प्रदेश आज त्राहि-त्राहि कर रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं कि कोई अखबार उठाकर देखिये आज सुबह का तो उसमें सारे के सारे अपराध बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण हत्याओं से भरा पड़ा है। मान्यवर, इससे ज्यादा वीभत्स रूप और क्या हो सकता है कि जब इस प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के एक विधायक ने ही औरैया में धन वसूली के नाम पर, चन्दा वसूली के नाम पर उस इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या कर दी। सारा प्रदेश जानता है, दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने जाना टी0वी0 पर एक विधायक की किस तरह से भूमिका रही। मैं समझता हूं कि उस सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपराध करने वाले सारे विधायक एक-एक करके आज अपने कर्मों के आधार पर जेल के शिकन्जों में जाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह कौन से लोग हैं जो इस तरह की हत्याएं करा रहे हैं। कितने विधायक सत्ता पक्ष के आज जेलों में हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस तरह का काम किया है जिससे पूरे प्रदेश का सर शर्म से झुका है। और उत्तर प्रदेश विधान सभा जो पूरे देश की एक बड़ी विधान सभा है उसका गौरव और सम्मान को घटाने का काम सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया है। कहीं न कहीं बैठे हुए हम सारे लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों अगर सही समय पर अपनी आवाज को नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि इस तरह से व्यवस्था करें ताकि प्रदेश में जो अपराध मुक्त

की बात कही जाती है वह वास्तव में अपराध से मुक्त हो। आज विधायक इस स्थिति में हैं कि अपनी-अपनी गाड़ियों की चोरी का रोना आपके सामने रख रहे हैं। इससे जीता जागता और सबूत क्या हो सकता है। इसलिये हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने केवल सरकार के द्वारा लिखा हुआ एक दस्तावेज पढ़ा है इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस सरकार की उपलब्धियां तो तभी पता लग जाती हैं जब मान्यवर, राज्यपाल जी बिना इस दस्तावेज को पढ़े हुए चले जाते हैं। उनकी स्वयं की इच्छा नहीं थी कि इस दस्तावेज को पढ़ा जाय। मान्यवर, जहां तक गृह विभाग से सम्बन्धित मामले हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न है। आम आदमी का जीवन बिलकुल सुरक्षित नहीं है। आज स्थिति यह हो गयी है कि वर्तमान सरकार को ध्यान में रखते हुए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है जिसकी मर्जी आती है वह एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में केस दर्ज कराता है और जब अधिकारियों से कहा जाता है कि केस गलत दर्ज हुआ तो अधिकारी कह देते हैं कि हमारी हिम्मत है उस एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट में कोई भी तब्दीली की जाय। यदि हम कोई तब्दीली करते हैं तो हमारा तबादला कर दिया जायेगा या हमें निलम्बित कर दिया जायेगा। इस एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का खुला दुरुपयोग इस शासन में हो रहा है और आम जनता आज बिल्कुल त्रस्त हो गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टिकुलर ऐक्ट का दुरुपयोग किसी समाज को दबाने के लिये किया जाये बल्कि हम तो यह कह रहे हैं कि गरीबों के साथ न्याय हो यदि उनका उत्पीड़न हो रहा है तो इस ऐक्ट का उपयोग किया जाये लेकिन इसका उपयोग एक हथियार के रूप में किया जाना न्यायसंगत नहीं है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब भी आतंकवाद की घटनाएं प्रदेश में होती हैं तो सरकार तमाम कार्रवाई करने के लिये खड़ी होती हैं और जब आतंकवाद की घटना पुरानी हो जाती है तो पुलिस व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। अब जब शान्ति होगी तो फिर कोई घटना होगी और फिर सरकार उठेगी फिर बड़ी-बड़ी बातें की जायेंगी। मान्यवर, नये आतंकवाद को रोकने के लिये जो बड़ी-बड़ी बातें इस दस्तावेज में की गई है मैं नहीं महसूस करता कि किसी भी इम्पार्टेंट प्लेस पर आतंकवाद की घटना रोकने के लिये कोई भी व्यवस्था की गई है। हमारे क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन में तमाम बड़े-बड़े मंदिर हैं, इस दस्तावेज में बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं कि पुलिस की व्यवस्था की जायेगी, कमांडो लगाये जायेंगे लेकिन मान्यवर, कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है और ऐसे ही रहा तो किसी दिन वहां भी घटना होगी, हादसा होगा लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां थानों के उच्चीकरण का, मार्डनाइजेशन का मामला है वह भी सभी क्षेत्रों में नहीं कुछ विशेष क्षेत्रों में ही यह कार्रवाई की जा रही है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी जिला योजना की बैठकें होती हैं, इस दस्तावेज में लिखा है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है, मान्यवर, हमें भी विधान सभा में आये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी समय हो गया है लेकिन कभी हमने यह नहीं देखा कि सरकारों ने जब जिला योजना बनायी हो तो सिर्फ अपने क्षेत्रों के लिये ही बनायी हो। मान्यवर, इस सरकार में सिर्फ अपने विधायकों के ही क्षेत्रों में जिला योजना का पैसा जाता है। मान्यवर, मुझे बड़े खेद और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी विपक्ष के विधायक बैठे हैं आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या जिला योजना का कोई भी हिस्सा उनको दिया गया है ?

(विपक्ष की ओर से एक साथ "नहीं" कहा गया।)

मान्यवर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तादल के लोग जिला योजना के पैसे का अपने-अपने क्षेत्र में ही बंदरबांट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैण्डपम्पों को सिर्फ सत्तापक्ष के विधायकों के यहां लगाया जा रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो लेकिन हैण्डपम्पों का बंटवारा कभी सत्तापक्ष के अलावा नहीं हुआ। आज की तारीख में एक क्षेत्र में 1500 हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में एक भी हैण्डपम्प नहीं लग रहे हैं। मान्यवर, यह बड़ा खेद का विषय है, इस मामले को भी मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं।

मान्यवर, पानी सभी को पीना है यदि वोटों की राजनीति के हिसाब से हैण्डपम्प बांटे जायेंगे तो जनता कैसे आपका समर्थन करेगी। मान्यवर, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और पूरे प्रदेश को पानी पिलाना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा स्कूलों के मामले में, मान्यवर, वहां जो बाउन्ड्री की व्यवस्था रखी गयी है कुल 70 रनिंग मीटर रखी गयी है। तमाम क्षेत्रों के जो स्कूल हैं वह बिना बाउन्ड्री के हैं और जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं वह इधर-उधर घूमते रहते हैं। इस नीति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। मिड-डे-मील स्कीम केन्द्र सरकार की स्कीम है, आप रोज अखबार में पढ़ेंगे कि किस गुणवत्ता का खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस मामले को भी तरजीह देने की आवश्यकता है। मान्यवर, यदि मिड-डे-मील योजना आपको चलानी है तो वृन्दावन की अक्षयपात्र संस्था को देखिये, उन जैसे एन0जी0ओ0 को आमंत्रित कीजिए और प्रदेश में एक आदर्श मिड-डे-मील की योजना को बनाइये। मान्यवर, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वहां सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर आ रही है परन्तु आपने देखा कि कितनी बड़ी कम्पनियां आने को तैयार हैं। आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा आथॉरिटी में जा करके देखिये लोग जमीनें खरीदने आते हैं हाउसिंग के लिये, कोई भी बड़ी कम्पनी जो पहले से लगी थी उसके बाद से कोई फैक्ट्री नहीं लगी इसलिये मान्यवर, ऐसा वातावरण बनाइये जिससे कि बाहर के लोग आयें। मान्यवर, सिर्फ एक कम्पनी जे0पी0 ग्रुप ही आपकी कार्पोरेट कम्पनी है। जो सिर्फ वहीं काम करती है, वही कार्पोरेट सेक्टर आपके लिये। हिन्दुस्तान की मल्टी-नेशनल कम्पनीज यहां आना चाहती हैं, परन्तु उनको वह माहौल और वह वातावरण आप दीजिये, वह वातावरण उनको नहीं मिल पाता है, इस कारण वह यहां नहीं आ पातीं। मान्यवर, जहां तक सड़कों का प्रश्न है, सड़कों के लिये बहुत से कर लगाये जाते हैं, काफी बड़ा फंड इकट्ठा है। पर सड़कों के मामले में भी आपको पूर्ववर्ती सरकारों की तरह प्रत्येक विधायकों को सड़कें देनी चाहिए। सब चुने हुए जन-प्रतिनिधि है। मान्यवर, जो भी बड़े-बड़े फंड्स आप लोग अलग-अलग शहरों में दे रहे हैं, उसका गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिये। आपने हमारे अयोध्या के

लिये पैकेज घोषित किया, आपने हमारे मथुरा-वृन्दावन के लिये पैकेज घोषित किया, पर गुणवत्ता के नाम पर कतई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वही ठेकेदारी व्यवस्था हावी है, इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार में पारदर्शिता है इससे आपको नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। वह 71 पेज का दस्तावेज है और इस अभिभाषण में बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणायें की गयी हैं। लेकिन जब मैंने पूरा अभिभाषण पढ़ा तो ऐसा लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जमीनी हकीकत वास्तव में इस अभिभाषण से बहुत दूर है। गरीबों के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, दलितों के लिये, पिछड़ों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये योजनाएं तो बहुत दी गयी हैं लेकिन क्या इन योजनाओं के कारण इन लोगों के जीवनस्तर में किसी भी तरह का कोई बदलाव आये जो गरीब था, गरीब है और गरीब रहेगा। मैं सबसे पहले किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं। आगरा हमारा आलू उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है किसानों को पिछले साल बहुत आलू उत्पादन का खामियाजा भुगतना पड़ा। 50 रुपये से लगातार 100 रुपये मन तक हमें आलू को बेचना पड़ा। सरकार ने संरक्षण के रूप में आलू के लिये एक समर्थन मूल्य की घोषणा की । लेकिन सरकार ने एक बोरी भी आलू की खरीद आगरा के अन्दर नहीं की और जिस समय किसान को संरक्षण की जरूरत थी, जिस समय किसान का आलू कोल्डस्टोरेज से निकल रहा था उस समय सरकार ने किसान के आलू की एक पैसे की भी खरीददारी नहीं की। इसके अलावा इन्होंने घोषणा की थी कि हम यहां पर पोटेटो सीड प्रोडक्शन विलेज बनायेंगे लेकिन उसकी भी घोषणा-घोषणा होकर ही रह गयी। इस साल भी सरकार ने 300 रुपये का समर्थन मूल्य दिया है इसके अलावा इन्होंने भाड़े की 25 रुपये सब्सिडी के लिये भी कहा है लेकिन हम चाहते हैं कि आलू की जो लागत आती है वही 300 रुपये के करीब आती है इसलिये समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया जाय।

इसके अलावा निर्यात के बारे में सरकार का कहना था कि हमने 278 टन के करीब आलू का निर्यात किया है लेकिन किस जगह पर निर्यात किया है ऐसी इन्होंने हमें कोई सूचना भी नहीं दी। न सरकारी किसी संस्था ने आलू का निर्यात करने के लिये किसान को किसी भी प्रकार की सहायता दी है। मैं चाहता हूं कि सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी है वह किसान को सहायता दे ताकि हम नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित और भी खाड़ी के देशों के अन्दर हम अपने आलू का निर्यात कर सकें। मान्यवर, एक चीज हम खासतौर से कहना चाहते हैं कि यहां पर भी जब तक कृषि धन और पशुधन की तरफ सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं देगी, तब तक प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि सारी की सारी योजनाएं जो सरकार लाई है, उसमें यदि भ्रष्टाचार की इसी तरह से लिप्तता रही तो हम नहीं समझते कि किसी तरह से फायदा होगा। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिये आज आगरा के अन्दर पूरे बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं और हम समझते हैं कि जो 27 प्रतिशत के करीब हमारे आगरा के

अन्दर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, हमारे आगरा के अन्दर जो बी0पी0एल0 की सूची बनाई गई है, उसमें केवल 15 से 20 प्रतिशत लोग ही आ पाये हैं। तीसरी चीज हम शिक्षा के बारे में कहना चाहते थे। फतेहाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों में हमारे यहां आज भी 215 टीचर्स की जगह खाली है और इसके अलावा जो जूनियर हाईस्कूल के लेविल पर है वहां पर 100 के करीब जगह खाली है। इनमें भी रिक्तिता को तुरन्त भरा जाए। तीसरी चीज सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र फतेहाबाद के अन्दर जो सड़कें बनी थीं भ्रष्टाचार के कारण सारी सड़कें खुद गयी हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आगरा-शमशाबाद रोड को तुरन्त बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हुआ। मैंने श्री राकेश धर त्रिपाठी को बुला लिया है। डा0 साहब आपकी सभी महत्वपूर्ण बातें आ गयी हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आगरा में आलू में झुलसा रोग लग रहा है। उसके निदान के लिये कृषकों को सरकारी सहायता देने की आवश्यकता है। पर्यटन की दृष्टि से आगरा एक महत्वपूर्ण स्थान हैं यहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की महती आवश्यकता हैं इसके साथ ही यहां पर खेल की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम होनी चाहिए तथा फतेहाबाद क्षेत्र में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक मिनी स्टेडियम की अत्यन्त आवश्यकता है। आगरा को सोलर सिटी बनाये जाने की घोषणा हुई थी और यहां की बस्तियों में फोटो बोल्टाइक पॉवर प्लाण्ट लगाने की योजना थी इस योजना का क्या हुआ, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा आज पढ़ाई की जगह पर भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता का क्षेत्र बन गया है न तो समय पर रिजल्ट्स निकलते हैं जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनके अन्दर बहुत सी खामियां होती हैं बी0एड0 की परीक्षायें समय पर नहीं हो रही है और कई सेशन पीछे चल रहा है। आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, यहां पर बैठे हुए हैं कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए समस्याओं का निदान करने के लिए समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, वैसे भी सारा सदन इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहेगा कि जिस सरलता और धैर्य से नये विधायकों तथा सारे लोगों को मौका देकर आप सुन रहे हैं निश्चित रूप से सारे लोग इसके लिए आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा आयी, हमारे साथियों ने भी चर्चा की। श्री ओ0 पी0 सिंह जी ने अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमने प्रतिपक्ष के तमाम लोगों की चर्चा सुनी। श्री अम्बिका चौधरी जी हों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या प्रमोद तिवारी जी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर बड़ा लम्बा भाषण दिया। हो सकता हो इस पर उनकी अपनी सोच रही हो। हमारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय जो सुश्री कु0 बहिन मायावती जी की सरकार का है उसमें हर जाति का आदमी एम0एल0ए0 है, हर जाति का आदमी मंत्री है, किसी एक वर्ग या जाति का वर्चस्व नहीं है। अगर सर्वजन हिताय में श्री रामवीर उपाध्याय जी मंत्री हैं तो चन्द्रदेव यादव जी भी मंत्री हैं, ठाकुर जयवीर सिंह, चौ0 लक्ष्मीनारायण मंत्री हैं तो रामहेत भारती जी भी मंत्री हैं। सर्वजन हिताय की चर्चा करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों सर्वजन हिताय में हमारी पार्टी ने जिन लोगों को राज्य सभा में भेजा वह सब कहीं न कहीं कार्यकर्ता रहे हैं, जिले के कार्यकर्ता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलता है तो मुम्बई के फिल्मी दुनिया के जया बच्चन और उद्योगपति अनिल अम्बानी को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। हमारा विश्वास सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में पूरा परिवारवाद चलता है और जब सरकार में होते हैं तो कोई भाई-भतीजा नहीं बचता जिसको लालबत्ती न मिल जाए। समधी-साढू, मामा, दादा भी नहीं बचते, सारे घर-खानदान को लालबत्ती मिल जाती है।

(समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज आयी कि चापलूसी कर रहे हैं)

मैं यह चापलूसी नहीं कर रहा हूं आप धैर्य से सुन लें। अभी मैं अम्बिका चौधरी जी को सुन रहा था। हमारे सर्वजन हिताय के तहत 50 कार्यकर्ताओं को, एक-एक सिपाही को चाहे आयोग या निगम में मौका मिला है। यहां पर परिवारवाद नहीं है। परिवार का कोई एम0पी0 हो गया, कोई मंत्री हो गया। मुलायम सिंह यादव जब मुख्य मंत्री थे तो वह सरकार नहीं चलाते थे सरकार शिवपाल सिंह यादव जी चलाते थे। हमारे यहां सरकार मिनिस्टर्स चलाते हैं किसी परिवार के दम पर अकेले नहीं चलती। अध्यक्ष जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हम लोगों ने नारा दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वहां परिवारवाद है तो हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती के खानदान का एक भी आदमी राजनीति में नहीं है। हम सब उनके परिवार के लोग हैं इसे सर्वजन हिताय कहते हैं। विशम्भर भाई बाद में अपनी बात कह लीजिएगा। अध्यक्ष जी यह परिवार ऐसा है जिसमें 20 करोड़ की आबादी जिसमें हर जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य सभी लोगों का परिवार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जिसकी चर्चा हमारे विपक्ष के साथियों ने की ब्राह्मणों की बात की गई है मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार चाणक्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसी प्रकार श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने बहन जी को मुख्य मंत्री बनाने में मदद की। पंडित शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी भारत की प्रधान मंत्री बनेंगी।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्या बताने लगे ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मैं तो इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि जिस समय मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष के नेता रहे हैं अम्बिका चौधरी जी ने बार-बार चर्चा की है; हमें याद है कि उस संघर्ष में मुलायम सिंह यादव जी गरीबों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के नेता होते थे। (शोरगुल) आप लोग सुन

लीजिएगा तब बजाइएगा। मुलायम सिंह जी उस समय धरती पुत्र घोषित थे आज हालात बदल गये हैं धरतीपुत्र आज आसमान पुत्र हो गया। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला आज सुब्रतराय सहारा और अम्बानी की लड़ाई लड़ रहा है यह फर्क है। अम्बिका चौधरी जी 17 जनवरी को मुलायम सिंह यादव की प्रेस कांफ्रेंस देख रहे थे हमको याद है कभी उनके अगल-बगल रेवती रमण सिंह, भगवती सिंह, आजम खां साहब बर्क साहब किस-किस का नाम लें बैठते थे। 17 जनवरी को प्रेस कांफ्रेंस में एक तरफ जया बच्चन, एक तरफ जया प्रदा एक तरफ विपासा बासु, ऐश्वर्या राय और अब तो एक नई मान्यता को मान्यता देने जा रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ चाहते हैं वह भी बोल दीजिए।

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी अभी मौका मिलेगा फिर बोल लें। एक समय मुलायम सिंह यादव जी सम्राज्यवाद के विरोधी हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे आज वही समाजवादी पार्टी के नेता अमेरिका और बुश का गुणगान कर रहे हैं पूरे देश में घूम-घूम कर। यह फर्क और परिवर्तन है। हमारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय जो कहता है गरीबों की लड़ाई के लिए, दलितों की लड़ाई के लिए। अपराधियों पर भी आते हैं। इसी आपकी पार्टी में बैठे हुए लोग जिन लोगों ने ए-के 47 से 6-6 लोगों की हत्या हमारे ही विधान सभा में क्रासिंग पर किया और उन विधायक के खिलाफ आपकी मौजूदा सरकार मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की आज फिर टिकट दिया आज वो फिर आये हैं यहां पर। आप बात करते हैं अपराधियों की। आज कितने एम0एल0ए0 आपके हैं जो अपराधी हैं और मान्यवर, हम तो कहना चाहेंगे कि इसी सदन में शायद अगर लोकतंत्र और जनतंत्र जिसकी दोहाई भाई अम्बिका चौधरी दे रहे थे। उस जनतंत्र या लोकतंत्र की दुहाई में जितने एम0एल0ए0 की हत्या आपके उस कार्यकाल में हुई है शायद आगे और पीछे और किसी के कार्यकाल में नहीं हुई और मान्यवर हम अगर यह कहें कि लोकतंत्र की हत्या चाहे हल्ला बोल से हो और यहां कई सदस्य बैठे हैं। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी भी गवाह हैं, चौहान साहब हैं। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री थे मुलायम सिंह यादव इन्होंने अपनी सत्ता के एक विधायक रवि दास मेहरोत्रा को यहां पर पटक पटक कर के पिटवाया था जो लोकतंत्र की हत्या किया था, यह सदन उस का गवाह है। हम भी गवाह हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि हमने देखा था। हम तो चौधरी साहब माननीय मुलायम सिंह जी की उस बात के भी गवाह हैं जब मुलायम सिंह यादव गरीबों के चन्दे के पैसे से लड़ते थे। ऐसे पुटकी और झोली में पकड़ाता था गरीब चंदा, पकड़ नहीं पाते थे। वो मुलायम सिंह यादव जो नेता थे, आज बड़े-बड़े थैलीशाहों के थैली पर चुनाव लड़ते हैं और राजनीति कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है। हम कोई अन्यथा नहीं कह रहे हैं। जो संघर्ष किया जो गुण हैं उस गुण की चर्चा होनी चाहिए। हमको तो यह भ्रम है। इस प्रदेश का एक अच्छा नेतृत्व, इस प्रदेश के एक अच्छे नेता। पक्ष और विपक्ष मान्यवर, अपनी जगह है। एक बीस करोड़ गरीबों की जनता का

नेतृत्व करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे एक व्यक्ति के इशारे से फिल्मी दुनिया का नेता बनता चला जा रहा है, इस बात का हमको अफसोस है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, ठीक है, हो गया।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की चर्चा हम इसलिये भी करना चाहते हैं कि आज की तारीख में इससे पहले कोई सरकार सभी को अलावा दलितों को।

श्री अध्यक्ष-

चलिये।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अरे मान्यवर, यह अधिकार है हम लोगों को 30 मिनट मिलता है। खन्ना जी, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 30 मिनट बोलते रहे हैं। मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय प्रमोद तिवारी जी चले गये। उनको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर बड़ी चिन्ता थी। कहने लगे कि सूख गये चेहरे, सूख गया सब कुछ। माननीय प्रमोद तिवारी जी बेचारे 1980 से 1989 तक मिनिस्टर थे। आज 17 साल हो गये लाल बत्ती मुहैया नहीं हो रही है। 2003 में उन्होंने प्रयास किया था और बड़ी भाग-दौड़ करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनवाई। बड़ा फर्जी किया, बड़ी लिखा पढ़ी की और लगे रहे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिये। नहीं तैयार हुए तो लगे कि कैबिनेट ही बना दीजिए। आज मयस्सर नहीं हुआ लाल बत्ती उनको। इसलिये सूखा उन्हीं के यहां पड़ गया। हम लोग सूखे में नहीं हैं मान्यवर। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अभी चर्चा इस सदन में हुई। हम अगर एक चर्चा कर दें तो केवल नमूने के रूप में आज सर्वजन हिताय में सर्वजन सुखाय में बहुजन समाज पार्टी ने केवल एक जाति के लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने केवल एक जाति के लोगों को नौकरी देने का काम किया और अपने वर्ग के लोगों को ही भरने का काम किया। इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश के शायद प्रशासनिक ढांचे में कभी हुआ नहीं होगा। हमारी बहिन कुमारी मायावती की सरकार में एक लाख लोग सफाई कर्मचारी रखे गये। सारी जाति के लोग थे। ब्राह्मण भी उसमें सफाई कर्मी बन गया। किसी एक जाति वर्ग का नहीं रहा। (शोर) माननीय अध्यक्ष जी (शोर) उसी झाड़ू से आपकी सफाई कर दिया है अभी और आपकी सफाई करेंगे, घबराइये नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने लगभग 80 हजार बेसिक के शिक्षकों की नियुक्ति की।

मान्यवर, इस सरकार ने लाखों लोगों को बैकलॉग में नौकरी दी। आज की तारीख में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास, शिक्षा विभाग ऐसे कितने विभाग हैं जिनमें नौकरी खुल गई है और नौकरी एक जाति के लिये नहीं, एक धर्म के लिये नहीं सभी के लिये है। सर्वजन के लिये है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिये है। एक देशी कहावत है-'सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद' अब यह स0पा0 वाले भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, जिन्होंने पूरे प्रदेश को लूट लिया था। आज पश्चिम में चले जाइए, जितने अपहरण होते थे इसमें कहना नहीं है कि

उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक संलिप्त रहते थे। एक कप्तान को तो इसलिए मारा गया क्योंकि अपहरण में उसने कह दिया कि विधायक का हाथ है। यह बात करेंगे कानून के राज्य की यह बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जबकि इनकी सरकार में चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री बेच दी गई। तमाम सीमेन्ट कारखाने बेच दिये गये, जमीन बेच दी गई क्या छोड़ा इन लोगों ने जो बेचा नहीं है।

(सत्तापक्ष से मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मा0 अध्यक्ष जी सारे बिजली घर अगर बेच दिये गये तो समाजवादी पार्टी के जमाने में, हम लम्बी चर्चा नहीं करना चाहते हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि तमाम सरकारों को और इस परम आदरणीय सदन में देखने और सुनने का जो मौका मिला है उसके अनुसार कहना चाहूंगा कि परम्परायें खत्म हो रही हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता सदन जब रहें तो नेता प्रतिपक्ष को रहना होता था सारे लोग गवाह हैं मान्यतायें घट रही हैं मा0 अध्यक्ष जी हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे।

एक सदस्य-

कितने डिग्री कालेज को मान्यता दी ?

(शोर)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते थे लेकिन यह सुनना चाहते हैं

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यता देना चाहते हैं लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सैफई को पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया। हमें तो तीन करोड़ में डिग्री कालेज पूरे प्रदेश में बनाने हैं और मा0 मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में, इनके गांव में 103 करोड़ में एक प्राइवेट डिग्री कालेज सैफई में बनता है इसको सुनिए, हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश में डिग्री कालेज बने अकेले सैफई में न बनें। अकेले सैफई को सजा लेने से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं सजेगा। मान्यवर, हम उन सबकी चर्चा और नहीं करना चाहेंगे बजट पर सब चर्चा आयेगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

दो मिनट और लेंगे। माननीय सतीश महाना जी हैं नहीं, उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया उनसे हमको कुछ नहीं कहना है। हम सरकार की तरफ से केवल इतना कहेंगे कि जो

माननीय कल्याण सिंह जी कभी मुलायम सिंह जी से तलाक करते हैं कभी निकाह करते हैं आज बी0जे0पी0 की ऐसी दुर्गति कि-

'दिल के फफोले जल गए सीने की आग से,
इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से।।

अध्यक्ष जी, इसलिए हमें महाना जी पर चर्चा नहीं करनी है लेकिन यह जरूर है कि जो लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की चर्चा या तो समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते हैं। दो बिन्दु बचते हैं मान्यवर, अभी साथियों ने चर्चा की। मान्यवर, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है। आज से साल दो साल पहले जब इण्टरमीडिएट, बी0ए0 पास करके लड़का दूसरे प्रदेशों में जाता था तो वहां लिख दिया जाता था कि उत्तर प्रदेश के लड़के आवेदन न करें। हम ऐसे लड़के पैदा करना चाहते हैं जो इण्टर, बी0ए0 करके अपनी प्रतिभा क्षमता पर जाएं ताकि जब वह राष्ट्रीय कम्पटीशन में खड़े हों तो रोक न लगने पाए और अगर मा0 मुलायम सिंह यादव जी नकल के पक्षधर माने जायेंगे, तमाम नकलचियों को बनाने वाले माने जायेंगे तो आने वाले दिनों में, अगली पीढ़ी जब आयेगी तो बहन मायावती जी को याद करेगी कि प्रतिभाशाली लड़कों को निखारने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी ज्योतिबाफुले योजना चली है, 15 हजार रुपये और एक साइकिल लड़कियों को दी जा रही हैं। 10 हजार रुपये इण्टर में दिया जायेगा। इससे भी बढ़कर आज के दिन सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि प्राइमरी के कक्षा-1 से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों पर जितना खर्च पड़ेगा, चाहे फीस का पड़े, इग्जामिनेशन का पड़े, सब सरकार वहन करने के लिए तैयार है। मा0 अध्यक्ष जी, शायद इस बात की चर्चा आवश्यक होगी, जिसकी चर्चा इसी अभिभाषण में है, मैं बता दूं जो जंगलराज 2003 से 2007 तक कायम रहा है जो अधिकारी मनमाना काम करते थे, सिपाही, दरोगा लूटते थे, उनके विधायक जा करके दंगा-फसाद करते थे और उस समय मा0 मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान था कि अधिकारी सुनते नहीं है। आज की तारीख में अगर बहन मायावती जी का कोई फोन भी किसी अधिकारी को चला जाए तो पीपल के पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगता है, हालत खराब हो जाती है उसकी। तो सुधार है। हम किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैंने राजनैतिक चर्चा में कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास की चर्चा है। इसमें उन तमाम लोगों के लिए है, 20 करोड़ की आबादी जिसने पिछले मई, 2007 में भरोसा करके बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और सरकार बनवाया कि कानून का राज कायम हो और आज मुख्य मंत्री जी की घोषणा होती है कि कानून का राज कायम करने में चाहे जो हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, धन्यवाद।

* डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिये आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने से सरकार की नीतियों के बारे में पता लगता है। बहुत बड़े-बड़े दावे किये गये हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है, अभी मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी ने एक नारा दिया कि 'पंडित शंख बजायेगा और हाथी दिल्ली चला जायेगा।' मई, 2007 से पहले एक नारा बहुजन समाज पार्टी ने दिया था कि 'चढ़ गुण्डों की छाती पर और मुहर लगेगी हाथी पर' कल वाराणसी से मेरे मित्र का फोन आया कि लोग नारे लगा रहे थे कि 'गुण्डे चढ़ गये हाथी पर और बुलट पड़ेगी छाती पर।' यह आपके बारे में जो आम धारणा है, वह वाराणसी में परिलक्षित हो रही है यह कल का ही वाक्या है। ज्यादा लम्बी चर्चा न करते हुए थोड़ा समय आपने दिया है, मथुरा जिले में इस वर्ष के शुरूआत में घटित दो घटनाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाते हुए अपनी और जनता की भावनाओं से अवगत कराना चाहता हूं। दलितों की हितैषी इस सरकार के अन्दर 1 जनवरी, 2009 को मथुरा कलेक्ट्रेट पर राम धुन गा रहे, दलित वर्ग के धनगर, जिनकी जायज मांग थी। वह संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के 27वें क्रमांक पर अनुसूचित जाति में अधिसूचित है, लेकिन इनके अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहे थे। वह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन वह कर रहे थे, हमारी पार्टी का भी उनको समर्थन था, मैं स्वयं वहां मौजूद था। राम-धुन गा रहे दलितों पर नववर्ष के उपहार के तौर पर उनको यह इनाम दिया गया कि बड़े-बूढ़ों को लाठियों से पीटा गया। बड़ी-बूढ़ी औरतों को 80 वर्ष की केला देवी को लाठियों से पीटा गया, गर्भवती स्त्रियों को पीटा गया और जब हमने उनको बचाने की कोशिश की तो वहां के पुलिस अधीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट का बयान था, विधायक जी आपका इन धनगरों से क्या लेना देना है यह तो मायावती जी के आदमी हैं और मायावती जी के आदमियों को उन्हीं की पुलिस पीट रही थी हमें धरने से बाहर खदेड़कर फेंका गया जब हम फिर वापस वहां पहुंचे तो हमें भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। संगीन धाराएं 307, 336, 333 क्रिमिनल एमेन्डमेंट ऐक्ट, प्रापर्टी डैमेज ऐक्ट आदि कोई ऐसा कानून नहीं बचा जिसमें कि चालान न किया गया हो। मान्यवर, धनगरों को 1950 की संविधान की सूची में अनुसूचित जाति माना गया है और सन् 1956 में जब बैकवर्ड कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में यह सूची जारी हुयी तो उसमें भी 27वें क्रमांक पर धनगरों को अनुसूचित जाति माना गया है।

सन् 1957 में जब उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची जारी हुयी तो उसमें भी धनगरों को अनुसूचित जाति में 27वें क्रमांक पर माना गया और फिर जब 1976 में इसका संशोधित रूप प्रकाशित हुआ तो उसमें भी धनगर अनुसूचित जाति में माने गये। सन् 1986, 2002, 2007 और 2008 में कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक जाति विशेष को ही अनुसूचित जाति के लाभ मिलते रहें इसलिए धनगर जाति के लोगों को बाहर निकालने के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुष्चक्र रचते हुए एक शासनादेश जारी कर दिया। उस शासनादेश के खिलाफ माननीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार ने और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी आदेश जारी किया। अभी विगत माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 20-10-2008 को आदेश संख्या-16458/02 और अनुसूचित जाति आयोग का दिनांक 3-12-08 को आदेश आ गया है और धनगरों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश भी दिया है। लेकिन यह सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिख रही है। मान्यवर, उन्हें भारतीय संविधान ने हक दिया है और भारत के संविधान का अनु0 341 का पैरा 2 यह कहता है कि किसी भी सूबे को या किसी भी न्यायालय को एक्सेप्ट संसद, संसद के अलावा किसी को भी इस सूची में छेड़छाड़ का हक नहीं है। तो यह सरकार बरगलाने का काम क्यों कर रही है और दलितों की सरकार के अंदर दलितों के अधिकारों का सिर्फ एक जाति को लाभ दिलाने के लिए क्यों काम कर रही है। मैं इस सरकार के जिम्मेदार लोगों से इस पर जवाब जानना चाहता हूं और मान्यवर, 20 जनवरी को मथुरा में एक और घटना हुयी। किसानों ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर सिर्फ एक मांग की कि हमें डी0एम0 से मिला दिया जाये ताकि हम उनसे अपने मुआवजे की बात कर सकें। डी0एम0 ने मिलना गंवारा नहीं किया, किसानों को गोली का शिकार होना पड़ा। बहुत किसान घायल हुए और एक किसान वहां शहीद हो गया। मान्यवर, इस तरह की सरकार के जमाने में इतने लम्बे-चौड़े अभिभाषण पढ़े जायें यह सत्य से परे है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा लाये प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बड़े भाई उच्च शिक्षा मंत्री जी का भाषण पूरा सदन सुन रहा था। बड़ा सारगर्भित भाषण आपने दिया। जितनी मलाई थी सब लगा दी सत्तापक्ष को। मैं कहना चाहता हूं कि-"इनका दावा सरकार का मुफलिसी का मोर्चा सर हो गया, पर हकीकत है कि मौसम और बदतर हो गया। माफ करिये सच कहूं तो आज इस परिवेश में कोख ही जरखेज है यह सास बन्जर हो गया।" श्रीमन्, आप देख रहे हैं। मान्यवर, आपने 5 मिनट का समय दिया है। हमारा संशोधन प्रस्ताव है, ले लिया गया है, इसमें। प्रदेश की कानून-व्यवस्था जंगलराज। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ परिपत्र मेरे हाथ में है। पहली बात पुलिस भर्ती का हाईकोर्ट ने पुलिस वालों की रिट स्वीकार कर ली, सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई, वहां से स्टे नहीं मिला अब कोर्ट की अवमानना हो रही है और उनको नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। दूसरी बात मान्यवर यह हमारे पास आंकड़े हैं क्राईम उत्तर प्रदेश इयर वाईज कम्प्रेटिव फीगर 2005 से 2009 तक उ0 प्र0 का क्राईम ग्राफ इसको हम आपके पास भेज देंगे लम्बा है मान्यवर बीते वर्ष में दर्ज होने का सर्वाधिक रिकार्ड क्राईम का मान्यवर, 2004 में एफ0आई0आर0 12202, एम0सी0आर0-5723, 2005 में 11127 एम0सी0आर0-6769, 2006 में 12025 एम0सी0आर0-6764 मान्यवर, 2007 में मान्यवर, जब लोक प्रिय सर्वजन हिताय की सरकार आई मान्यवर, 2007 में 16466 एम0सी0आर0 मुकदमें और एम0सी0आर0-6875, 2008 में इसका रिकार्ड हो गया 23685 और एम0सी0आर0 हो गई 7894 मान्यवर, यह है क्राईम का ग्राफ और इस कदर जंगल राज का खात्मा हो रहा है।

मान्यवर, सत्तापक्ष के मंत्री मान्यवर, थाने में जाते हैं और सीधे सिपाही को गोली से मार देते हैं, यह है जंगलराज का खात्मा मान्यवर, अभी हमारे साथी कह रहे थे, विधायक सत्ता पक्ष के उन्होंने किस कदर इन्जीनियर को मार कर के थाने में जमा कर दिया। मान्यवर, किस तरह से ले जाकर के मान्यवर जमा कर दिया। ज्यादा दूर नहीं मान्यवर जहां आप बैठे हैं यह विधान सभा इसके चन्द कदम हजरतगंज में मान्यवर, एक सत्तापक्ष के साथी कल कह रहे थे कि यहां कोई घटना हो गई थी। तहजीब के शहर इस लखनऊ में मान्यवर, मैं इसका जरा क्राईम का आंकड़ा बता दूं श्रीमन् अपराध 2008-76, 2003 में डकैती-3, 2006 में-3, 2007 में 10, 2008 में 4 मान्यवर, लूट लखनऊ में 2006 में 169, 2007 में 147 और 2008 में 105 मान्यवर, हत्या 2006 में 131, 2007 में 129, 2008 में 107 मान्यवर, फिरौती के मामले 2006 में 6, 2007 में 3 और मान्यवर, दहेज हत्या 2008 में 48, 2006 में 32 मान्यवर, बलात्कार 2008 में 118, 2007 में 120 है मान्यवर, कुल घटनायें 11 हजार के करीब महानगर लखनऊ में राजधानी में मान्यवर, विधान सभा से चन्द कदम दूर हजरतगंज में एक डाक्टर परिवार जा रहा था और उसको गुण्डों ने छेड़ा, छेड़खानी कर दी मान्यवर, विधान सभा के चन्द कदम दूर पर और वह दम्पत्ति जा रही थी मान्यवर, डाक्टर ने विरोध किया गुण्डों ने सीधे निकाला और कनपटी पर लगा दिया मान्यवर, कानून का खुला उल्लंघन और यह कहा जा रहा है कि जंगलराज़ समाप्त हे गया, कानून व्यवस्था का अमन हो गया। सफाई कर्मी उ0 प्र0 में रखे गये। मैं विधान सभा का सदस्य होने के नाते मांग करता हूं मान्यवर, कि इसकी सी0बी0आई0 जांच करा ली जाय जिसको सफाई कर्मी बनाया गया है उससे कितना पैसा लिया गया है, बड़ा सीधा सा सवाल है मान्यवर, अन्य योजनाएं अभी हमारे साथी विपक्ष के कह रहे थे जिला योजना में विधायकों को नहीं दिया गया है ठीक है साहब आपकी सरकार है आप न दें यहां तक मान्यवर, हज कितने दिनों से लोग हजबैतुल्लाह को जाते हैं इस वर्ष जब यह लोकप्रिय सरकार आई जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं।

मान्यवर, हाजियों को धरना देना पड़ा लखनऊ में हज हाउस के सामने मान्यवर यह सरकार हाजियों की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जो हज पर चले जायें। मदरसा मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में सौ मदरसे अनुदानित किये गये थे मान्यवर और नोटीफिकेशन हो गया, राजाज्ञा नहीं जारी हो पाई। मान्यवर, आज इस सरकार को सत्तारूढ़ हुए बीस माह हो गये हैं लेकिन मदरसों की अनुदान सूची जारी नहीं की गयी है। मान्यवर, इसी तरह से जब से यह सरकार आयी है हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों की कोई मान्यता जारी नहीं हुई है। इसके आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में कोई मान्यता नहीं दी गयी है। मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें आधा पैसा रिलीज कर दिया गया है बाकी आधा पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मुस्लिम लड़कों के लिये जो वजीफे के रूप में 50 लाख रु0 निर्धारित था वह हाजियों की सहायतार्थ हज पर जो सहायक जाते हैं उनके किराये में खर्च कर दिया गया है। इसलिए इस सरकार में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात गलत साबित हो रही है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 71 जिले हैं कहीं पर अल्पसंख्यक वर्ग में

से मुस्लिम वर्ग का कोई भी उच्च अधिकारी तैनात नहीं है। न तो पुलिस अधीक्षक तैनात हैं और न ही डी0एम0 तैनात हैं। मान्यवर, आज इस सरकार के समय में किसानों को न तो डीपीए मिल रहा है और न ही यूरिया मिल पा रही है। चारों तरफ किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। गन्ना किसानों की बात मैं कहना चाहता हूं कि घटतौली की शिकायतें सामने आयी हैं। जिस कारण आज गन्ने का रकबा कम हो गया है। मान्यवर, कोई भी चीनी मिल अक्टूबर माह में नहीं चली। नवम्बर माह में चली लेकिन इतनी घटतौली हो गयी कि किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिसके चलते उत्पादन कम हुआ है। मान्यवर, यह सरकार न तो किसानों का हित कर रही है, न ही मजदूरों का हित कर पा रही है और न ही अल्पसंख्यक वर्ग का हित कर पा रही है और न ही किसी अन्य वर्ग का हित कर पा रही है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि-

"बरबाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है,
अंजाम गुलिस्तां क्या होगा जब हर शाख पर उल्लू बैठा है।"

* श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे गये संशोधनों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज से बीस माह पहले समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ थी। आज इस सरकार को बीस माह सत्ता संभाले हुए हो गया है। सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने प्रदेश की जनता से कहा था कि हम प्रदेश से जंगलराज को खत्म करेंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज मौजूद है उस सम्बन्ध में अमर उजाला ने अपने अंक दिनांक 12-1-2009 में खबर छापी है। इस अखबार ने अपनी खबर में सरकार के क्रियाकलापों के बारे में उल्लेख किया है और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका विस्तार से वर्णन किया है। मान्यवर, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इस 20 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। महिलाओं पर जुल्म के मामलों में साढ़े बारह फीसदी का इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट यह बता रही है कि अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मान्यवर, 20 माह पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी तब इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में 27वें नम्बर पर था। लेकिन आज पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद हमारा स्थान आ गया है। मान्यवर, हमारे यहां पिछले बीस माह में घटनायें बढ़ी हैं जो इस बात का गवाह है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। मान्यवर, दुराचार, अपहरण, दहेज हत्या, प्रताड़ना की घटनाओं में आज इजाफा हुआ है। मान्यवर, दुराचार के मामले में वर्ष 2005 में 1217 घटनायें रिकार्ड हुई थीं जो 2006 में 1314 हुईं, वर्ष 2007 में यह बढ़कर 1648 हो गयीं और 2008 में 1864 हो गयीं। अपहरण की घटनायें 2005 में 2256 हुईं, 2006 में 2551 हो गयीं, वर्ष 2007

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में 3363 हो गयीं और 2008 में 3827 घटनायें हो गयीं। इसी तरह से दहेज हत्या के मामले में 2005 में यह आंकड़े क्रमशः 1564, 1798, 2076 व 2080 रहीं। इसी तरह से प्रताड़ना के मामले में यह आंकड़े क्रमशः 4504, 5204, 7650 और 7680 रहे। इस तरह से यह इजाफा है।

मान्यवर, 13 तारीख को जब चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष के एक विधायक ने कहा कि कुछ तथ्यों के साथ सदन में बात किया करें तो मैं तथ्य और आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं। मान्यवर, मेरे पास प्रमाण है और वह प्रमाण जो है वह यह है कि 12-1-2009 के अमर उजाला ने यह सारा विवरण प्रस्तुत किया है। आप कहेंगे कि अखबार से असेम्बली नहीं चलती लेकिन अखबार से कुछ ऐसी बातें हैं जिसका संज्ञान लिया जाता है। मैं तीन प्रान्तों के बारे में बताना चाहता हूं दिल्ली में उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं पर हुईं 580, पंजाब में हुईं 512, उत्तराखण्ड में 109 और उत्तर प्रदेश में 1630 इसलिये इतनी निकम्मी इतनी बेइमान इतनी भ्रष्ट सरकार प्रदेश की जनता को पहले नसीब नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मान्यता का हो या एनओसी का हो आज से 20 माह पहले वाली सरकार में अगर मान्यता देते समय या एनओसी देते समय एक पैसा भी किसी ने दिया हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से हटने के लिए तैयार हूं।

मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं देवरिया गन्ने के क्षेत्र से आता हूं। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, गन्ने का सीजन समाप्त हो गया और अब तक पूरे प्रदेश में 31 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है इससे आने वाले दिनों में चीनी मंहगी होगी। हमारा गन्ने का क्षेत्रफल घट गया हमारा देवरिया जनपद और कुशीनगर जनपद में 14 चीनी मिलें थीं उसमें से आधी चीनी मिलें बन्द हो गयीं और गन्ने का पैदावार घट गया। गन्ना हमारी जीवन रेखा है, हमारी लाइफ लाइन है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आज गन्ना किसानों के जो हालात हैं जो समस्यायें हैं किसानों की मजदूरों की हमारी चीनी मिलें बन्द हुईं उन चीनी मिलों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाया होता तो हमारी चीनी मिलें बन्द हो गयी होतीं। यह सही बात है कि आज से 20 माह पहले जब हमारी सरकार थी तो उस सरकार में हमारी देवरिया, भटनी और बेतालपुर की चीनी मिलें को चलाने पर, यह बीमार चीनी मिलें थीं लेकिन इन बीमार चीनी मिलों को चलाने पर 60 करोड़ रुपया खर्च होता था हर साल, लेकिन किसानों और मजदूरों के हित में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इन चीनी मिलों को बन्द नहीं किया। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जोर देते हुए संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया आपको धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन हमारे विपक्ष के लोगों ने दिया है उसको जोड़ते हुए जो सूची में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है उसको सम्मिलित कर लिया जाय। मान्यवर, पहले पेज में राज्यपाल जी के अभिभाषण में वनीकरण उद्यानीकरण के लिए कहा गया है। हमारे बुन्देलखण्ड के ग्राम्य विकास मंत्री जी सामने बैठे हैं। बुन्देलखण्ड में

5-5 करोड़ के पेड़ लगाये गये प्रत्येक जिले में लगाये गये पूरे बुन्देलखण्ड के। मान्यवर, वहां मजदूरों से पौध लगवाई गयी, काम कराया गया और नरेगा जैसी योजना से काम कराया गया और मस्टररोल फर्जी भरकर उनके सारे पैसे हड़प लिये गये। वह तहसील दिवस में जिलाधिकारी के यहां रोज चक्कर लगा रहे हैं। हमने लिखकर दिया है उनके जाबकार्ड की फोटोकापी कराकर। 3-3 महीने की मजदूरी दर्ज कर दी गयी और 100-100, 200-200 रुपया दे दिया गया। मान्यवर, जनपद बांदा के हमारे तमाम मजदूर हैं। मान्यवर, हमारे बांदा जनपद के तमाम मजदूर हैं, पैलानी रेन्ज के, तिंदवारी रेन्ज के, बबेरू रेंज के हैं। इसके अलावा हम कल हमीरपुर गये थे, वहां इन्हौटा गांव के 900 मजदूर हमसे मिले और उन्होंने बताया कि हमारे जॉब कार्ड हमसे जमा करा लिये गये और हमको 100-100 रुपया दे दिया गया और कहा गया कि मजदूरी तुम लोगों को बाद में मिलेगी। साथ ही प्रधान ने इंकार कर दिया, अपने रोजगार गारन्टी रजिस्टर में दर्ज करने के लिये। इस तरह से मान्यवर, पूरे बुन्देलखण्ड में करोड़ों का घोटाला राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना में हुआ है। हम माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से कहेंगे कि इसको दिखवा लें।

इतना ही नहीं, कृषकों को बीज और उर्वरक के नाम पर सरकार द्वारा प्रदर्शन के लिये जो खाद और बीज दिया जाता है, पता नहीं वह बीज और खाद कहां चली गयी, उसका कोई अता-पता नहीं है। मान्यवर मत्स्य विभाग द्वारा दस हजार हेक्टेयर तालाबों को सुधारने के लिये लक्ष्य रखा गया था उसके सापेक्ष 6472 हेक्टेयर तालाबों का ही सुधार कार्य किया गया है तो इस तरह से यह सरकार संवेदनहीन है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मान्यवर, इसी सदन में माननीय नेता सदन ने 4 मार्च, 2008 को भाषण दिया था और कहा था कि कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी और मछुवा आदि जातियों के लिये भारत सरकार को पत्र लिखा जायेगा। इनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति खराब है और इतना ही नहीं कहा था, बल्कि केन्द्र को विधिवत् प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव भेजने एवं इस विषय में संवाद स्थापित कर अनुश्रवण करने की घोषणा भी की गयी थी, लेकिन मान्यवर, 4 मार्च, 2008 को ही प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिख दिया गया, वहां से क्वेरी आ गयी कि निर्धारित प्रपत्र में भेजिये, कैबिनेट से प्रस्ताव करके भेजिये और विधान सभा से प्रस्ताव करके भेजिये, लेकिन आज तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। विधान सभा में घोषणा कर देना और बाहर दूसरी बात कहना ठीक नहीं है। मान्यवर, निषाद, कश्यप, भर, राजभर, प्रजापति समाज के लिये यह छलावा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में घोषण करती हैं तो उसका अनुपालन भी किया जाना चाहिये। उसको निर्धारित प्रपत्र में भेजा जाना चाहिये था।

मान्यवर, हम यह भी बताना चाहते हैं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में जो विद्युतीकरण हो रहा है जो बाजार दाम का बिजली का सामान है पंखा, राड, बल्ब और वायरिंग का सामान है, उससे 5 गुना और 10 गुना ज्यादा कीमत से यह लगाये जा रहे हैं। स्कूलों में बिजली के खम्भे हैं नहीं और वहां विद्युतीकरण करा दिया जा रहा है। मान्यवर, हम लोग हर स्कूल के लिये एक लाख रुपया विद्युतीकरण के लिये खर्च करते हैं वहां पर यदि बिजली के खम्भे पहुंचाना नहीं है तो वहां विद्युतीकरण से क्या फायदा ? यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला है और एक सोची समझी साजिश है कि बिजली के खम्भे हैं नहीं और बिजली की वायरिंग की जा रही है।

इतना ही नहीं मान्यवर, इसके अलावा यह सरकार अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत तमाम चीजें बता रही है कि हम संतृप्त कर रहे हैं, यह केवल दिखावा है। वहां पर उनका कोटा पूरा नहीं किया गया है और पूरी तरह गांव संतृप्त नहीं किये गये हैं। मान्यवर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। हमने जो बातें रखी हैं, खासतौर से मजदूरों के बारे में जो जॉब कार्ड में फर्जी दस्तखत कराये गये हैं और तीन-तीन महीने की मजदूरों की मजदूरी दर्ज करा दी गयी है, हम माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी को पत्र लिखकर भेज देंगे कि उन मजदूरों की मजदूरी दिला दी जाय और ऐसे वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद हमने देखा कि पिछले वर्ष हम आपकी कृपा से नियम-103 में पूर्वांचल राज्य बनाओ का प्रस्ताव लाये थे, लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में पूर्वांचल राज्य बनाओ का कोई जिक्र नहीं है। यह कई बार सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पूर्वांचल राज्य बनाया जायेगा, लेकिन उसका इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है जबकि पूर्वांचल राज्य बनाया जाना अतिआवश्यक हो गया है और बिना पूर्वांचल राज्य बनाये पूर्वांचल की दुर्दशा को ठीक नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु विकास प्राधिकरण बना दिया गया है, परन्तु आज तक कपिलवस्तु विकास क्षेत्र के लिये कोई योजना राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ी नहीं गयी है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण चीज, जिसके नाम पर यह सरकार चल रही है जिसको हम भगवान कहते हैं तो अगर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का विकास नहीं होगा तो फिर विकास कहां का होगा ? यह राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है, इस पर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये था मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के बाढ़ समस्या के समाधान का कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, हमारा जिला सिद्धार्थनगर बाढ़ पीड़ित जिला है, अगर वहां थोड़े दिन बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है और यदि थोड़े दिन बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है लेकिन इस बाढ़ के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमारा सिद्धार्थनगर जनपद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां पर राजस्व विभाग द्वारा जो सहायता दी जाती है वह ऊंट के मुंह में जीरा है, 26 रुपये बिस्वा के हिसाब से दिया जाता है जबकि लाखों रुपये की फसल डूब जाती है, मकान गिर जाते हैं। नदियों से तमाम गांव के गांव कट करके गिर जाते हैं लेकिन इन सारी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने कई याचिकाएं आपके माध्यम से लगायी हैं हमारे यहां पर कई पुलों की आवश्यकता है। पिथनी घाट पर पुल, करछुरिया घाट पर पुल, बभनी घाट पर पुल, सियरापार घाट पर पुल, मान्यवर, इन पुलों के न बनने से जनता को बड़े कष्ट हैं। मान्यवर, एक पुल तो ऐसा है जिसके लिए मान्यवर, मैंने पिछली बार भी आपसे अनुरोध किया था मान्यवर, उस

पुल से प्रतिवर्ष चार, छः, आठ लड़के पढ़ने जाने के समय गिर करके मर जाते हैं। मान्यवर, इस पर तो सरकार ने पैसा भी दिया था लेकिन फिर पता नहीं कैसे वापस हो गया है। मान्यवर, इस पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उन पुलों का निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ले जाना चाहता हूं मान्यवर हमारा जनपद बहुत पिछड़ा है वहां पर न कोई कल-कारखाना है, न ही कोई उद्योग-धन्धे हैं, हमारे यहां के लोग बम्बई और अन्य महानगरों में कमाने-खाने के लिए चले जाते हैं। उस पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है कि वहां पर भी कुछ कारखाने लगाये जायेंगे। मान्यवर, हमारे जनपद पर भी सरकार की कृपा होनी चाहिए, आखिर वह जनपद भी तो इसी प्रदेश में है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में शिक्षा का बहुत अभाव है, न प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था है, न ही इंजीनियरिंग कालेज हैं और न ही दूसरी संस्थाएं हैं। इस पर भी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं अन्त में आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में जो गरीब किसान हैं, जो दूसरे लोग हैं उनकी सुख-सुविधाओं की और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी नगरपालिका सिद्धार्थनगर इतनी छोटी है लेकिन उस पर भी यह नहीं कहा गया है कि उसका सीमा विस्तार कर दिया जाये तथा उस्का बाजार को टाउन एरिया बनाने के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का हमें मौका दिया, धन्यवाद।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी इस पवित्र जगह पर पहुंचकर अन्तरात्मा कुछ कह रही है। चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, और हम सभी का मात्र एक लक्ष्य है मानवता का कल्याण और दुःखीजनों के चेहरों पर खुशियां लाना। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के लोगों ने तमाम बातें कहीं, तमाम चर्चाएं हुईं। मान्यवर, निश्चित रूप से मैं यहां केवल आरोप-प्रत्यारोप के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतने दिनों की बिगड़ी हुई व्यवस्था बहुत दिनों के बाद सुधरी है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 17 साल के बाद पूर्ण बहुमत में आयी है और आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में पहली बार गरीबों के चेहरों पर खुशियां लाने की शुरुआत हुई है। अगर इस बात में सच्चाई है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कदाचित इस पवित्र जगह पर बैठकर शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी यदि विपक्षी लोगों को यह बात नहीं पचती है, तो सिर्फ इन लाइनों के साथ माननीय नेता सदन के प्रति अपनी तरफ से कहता हूं कि-

जो करके नेकियां दरिया में डाल देता है,
जमाना उस पर भी कीचड़ उछाल देता है, मगर,
न जाने किनकी दुआओं का असर है हममें,
कि हम डूबते हैं तो दरिया उछाल देता है।

मान्यवर, इन विरोधियों की इन बातों से कभी हमारी इच्छाशक्ति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महमहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में मा0 अम्बिका चौधरी जी एवं अन्य विपक्षी साथियों ने कहा है कि उनके मुंह से कुछ निकला नहीं, वह कुछ बोलना नहीं चाहते थे अर्न्तात्मा से, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में यह जानते थे कि वह कुछ बोलना नहीं चाहते थे तो फिर इस सदन में उनको बोलने से आपने क्यों रोका ? यह सारे विपक्ष के लोग जानते हैं। अगर इतनी बात आप जानते थे तो बोलने देते जो बात आप कल्पना से कह रहे हैं उस बात को पीठ से आने देते तो शायद हमें अच्छा लगता। साथियों, शिक्षा की बात भी आदरणीय चौधरी साहब ने कही है, बेरोजगारी की बात अभी भाई जोखू लाल यादव जी ने कही। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर, अपनी आत्मा से यह सवाल पूछिये कि क्या शिक्षा के मामले में आप कुछ कहने के काबिल हैं ? हजारों नौजवान आज हताशा से भर कर जब इस दुनिया के झंझावात में उतरते है, ऊपर वाला महला जिसमें ज्ञान भरा होता है, वह खाली है, वह इस दुनिया के झंझावातों को झेल नहीं पा रहा क्योंकि स्वकेन्द्र परीक्षा का जो आपने एक ऐसा काला अध्याय शुरू किया था उसने नौजवानों के अंदर एक अजीब सी कुण्ठा पैदा की है और आज बेरोजगार हताश हैं। चंद दिनों के कुछ अच्छे थोड़े से लाभ के लिए नौजवानों की कुर्बानियां आपने दी है तो यह सदन गवाह है आने वाले दिनों में इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपको इस भूल की सजा इसी सदन में फिर भुगतनी पड़ेगी। एक बार आप तो भुगत ही रहे हैं। उन निर्णयों को कहीं न कहीं से पीछे करके आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिये।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

एक बात सतीश महाना जी ने चर्चा करते हुए कही, उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपया बड़े-बड़े स्मारकों पर खर्च किये जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर साधनों-संसाधनों मात्र से विकास होना होता तो आजादी के 60 साल बाद भी इतने साधन-संसाधन तमाम सरकारों के द्वारा खर्च किये गये कि आज गरीबी कहीं देखने को नहीं मिलती। लेकिन तमाम संसाधनों के खर्च होने के बाद मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे बने तमाम ऐसे इबादतगाह बने जहां जाकर लोग प्रेरणा लेते हैं और आस्था के नाम पर उनके अंदर कुछ आत्मबल आता है। अगर आज आजादी के 60 साल के बाद भी एक खास वर्ग व समाज जो बहुतायत में है, उत्तर प्रदेश में अगर उनको प्रेरणा लेने के लिए और आत्म-सम्मान की अनुभूति के लिए कोई एक नई बात बनायी जा रही है इस लखनऊ में। वही पत्थर जो चुनार में पहले भी था, वही तमाम चीजें पहले भी इस लखनऊ में थीं। लेकिन एक कल्पना मा0 मुख्य मंत्री जी के दिमाग में आयी और उन्होंने एक अनूठी ऐसी रचना लखनऊ के सरजमी पर शुरू की है तो उसकी मुक्त कण्ठ से तारीफ की जानी चाहिए। यही वह विधान सभा है इस बात को याद रखियेगा कि आने वाले दिनों में एक ऐसा स्मारक बनने जा रहा है। इतिहास में अगर ताजमहल बहुत फेमस है अपने किन्हीं कारणों की वजह से तो यह स्मारक वैसी ही बुलंदियों को प्राप्त करेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अपराधियों की बात कही गयी, अपने आप से पूछिये एक ईमानदार कोशिश हुई हम यह नहीं कहते कि अपराध खत्म

हो गये, आपसी विवादों के कारण जो अपराध हुये हैं उनका जवाबदेही है कहीं न कहीं है लेकिन एक ईमानदार कोशिश हुई है हमने अपने विधायकों, सांसदों को कहीं कटघरे में खड़ा करके इस बात को स्वीकार करने का एक साहस किया है कि अगर गलत करने वाला हमारा कितना ही नजदीकी क्यों न हो वह भी सलाखों के पीछे होगा।

श्री अध्यक्ष-

गौतम जी, अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना हो तो कह लीजिए।

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

अध्यक्ष जी, पहली बार आया हूं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमने कोशिश की है उसके लिए प्रतिपक्ष के साथियों को मेजें थपथपानी चाहिए। वर्षों से बिगड़ी हुई व्यवस्था अचानक नहीं बदल जायेगी। प्रयास किया जा रहा है। आज शुरूआत हुई है और उसके परिणाम आने लगे हैं। एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी अनवर हाशमी जी यहां खड़े हुए थे तो उन्होंने सी0बी0आई0 जांच की मांग की। वे इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे इतना कहता हूं कि अपने नेता जी से, नेता प्रतिपक्ष से इतना पूछ लें कि वह सी0बी0आई0 के लिए राजी हैं ? आजकल तो सी0बी0आई0 से उनको डर लगने लगा है सी0बी0आई0 की बात वह खुद कहां करते हैं ? चार लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

गमों की आंच में आंसू उबालकर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो।

तुम्हारे दिल की चुभन होगी जरूर कम, किसी के पांव से कांटा निकालकर देखो।।

इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालजी यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं जनपद सिद्धार्थनगर से आता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जैसे अभी शुक्ला जी ने क्षेत्र के बारे में कहा उसी तरह से क्षेत्र के बारे में कहिए।

श्री लालजी यादव-

हमारे बगल के विधायक जी ने शिक्षा और बाढ़ क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट किया था अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत लम्बी-लम्बी चौड़ी-चौड़ी बातें की हैं उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर नियमित लड़कियों की फीस और पढ़ाई हम करेंगे। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर एक भी महिला डिग्री कालेज नहीं है न ही आई0टी0आई0 कालेज है किस तरह से गरीब घरों की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। मैं आपके माध्यम से इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछली बार इस सम्बन्ध में हमने सवाल लगाया था। मंत्री जी रतन सेन डिग्री कालेज में लड़कियों की सह शिक्षा है वहां पर लड़कियों के लिए शिक्षा अलग से होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में तहसीलों में गिने चुने डिग्री

कालेज होंगे जहां पर महिला डिग्री कालेज अलग नहीं है। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारे जनपद में 7-7 नदियां हैं बाढ़ के समय सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं लेकिन पुल नहीं बने।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री लालजी यादव-

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में सिद्धार्थनगर जनपद के पिछड़ेपन का जिक्र नहीं है। स्कूल, अस्पताल, शिक्षा के मामले में हमारा जनपद पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जनपद है।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है।

श्री लालजी यादव-

अभी शुक्ला जी ने कहा कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लिए।

श्री अध्यक्ष-

यादव जी बैठ जाइए। आपने क्षेत्र के बारे में कहा बड़ी अच्छी बात है। खुशी की बात है।

श्री लालजी यादव-

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे अभिभाषण के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। महामहिम के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में हो रहे गन्ना क्षेत्र के घटने के ऊपर कोई प्रदेश में गन्ना नीति नहीं बनी है। इसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। इस कृषि प्रधान प्रदेश में जहां एक तरफ गन्ने की बात है दूसरी तरफ हमारे बीच उद्यान मंत्री जी बैठे हैं वह आलू किसान भी हैं आलू का समर्थन मूल्य 300 रुपये किया गया है मंत्री जी के जिले में ही शीतगृह किराया 110 से बढ़ाकर 115 रुपये करने का काम किया गया है। इस विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को जो फीस प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है उसके बारे में इस सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है लेकिन मान्यवर, पूरे प्रदेश में पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राएं जो सेल्फ फाइनेन्स कालेज हैं चाहे वह माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के उसके अनुरूप फीस नहीं प्राप्त हो रही है एक तरफ कालेज फीस के लिए डण्डा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 अजय तोमर-

दूसरी तरफ फीस नहीं मिल पाती है। मान्यवर, अन्तिम चीज उत्तर प्रदेश के दो वर्ष पूर्व एन0सी0सी0 के छात्र-छात्राओं को जो सी ग्रेड का सर्टीफिकेट मिला बी ग्रेड के जो छात्र या छात्राएं थीं उनको एडमीशन मेडिकल एवं हायर एजूकेशन में पैरलल एक प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी। एन0सी0सी0 के सी ग्रेड वाले छात्र-छात्राओं को आरक्षण देने का काम कर दिया गया है। लेकिन टेक्निकल एजूकेशन मेडिकल एजूकेशन में एन0सी0सी0 छात्रों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अभी तक टेक्निकल एजूकेशन और मेडिकल एजूकेशन में एन0सी0सी0 के छात्रों को वह नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, अब हो गया।

डा0 अजय तोमर-

इसी के साथ आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पी0 के0 राय जी, अंतिम वक्ता। एक मिनट में अपनी बात कह दें क्षेत्र की। राय जी अंतिम वक्ता, अब कोई नहीं। पासवान जी, बस अब खत्म, अब किसी का नहीं। इनके बाद नेता जी, कपूर जी, अभी आप बजट पर बोलियेगा जम करके। अब सब लोग मान गये हैं, आप भी मान जायं बिश्नोई जी।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, अब एक मिनट में क्या कहा जा सकता है। लेकिन अब आपका आदेश है।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत कह सकते हैं आप विद्वान आदमी हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी मेरे साथ यही अत्याचार हुआ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आप बजट पे बोलियेगा। मैं केवल दो बातों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मूल्यांकन के लिये तुलना एक आधार होता है। 2008 में 8 फरवरी, 2008 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है और 10 फरवरी, 2009 को ही महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। अगर दोनों अभिभाषणों का माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार ने इसकी तुलना करने की कोशिश की होती, देखने की कोशिश की होती तो उसका आंकलन आसानी से हो सकता था कि जहां से हमने शुरूआत करी थी, हम कहां तक पहुंचे हुए हैं दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। मसलन गन्ना की बात करें। गन्ना के बारे में 2008 में यह कहा गया कि विगत वर्ष में 133 चीनी मिलें चलती थीं और इस वर्ष 142 चीनी मिलें चलेंगी। इस बार के अभिभाषण में यह कहा गया है कि विगत वर्ष में 132 चीनी मिलें ही चलीं। इसका मतलब है कि

133 जो चलती थीं उससे भी एक कम हो गई।-लक्ष्य रखा गया उस समय जो उत्पाद था 59.59 टन प्रति हेक्टेयर और लक्ष्य था 70 टन प्रति हेक्टेयर और इस मरतबे लक्ष्य जो उस समय की जो उपलब्धि थी उस उपलब्धि को इस समय और घटा दिया गया। इसका मतलब कि गन्ना का क्षेत्र घटा है। इसी अभिभाषण में मान्यवर, एक जगह लिखा है 132 चीनी मिलों का और वहीं आबकारी वाला पैरा में लिखा है जो वर्ष 2009 का अभिभाषण है। उसमें लिखा है कि हमारे पास 155 चीनी मिलें हो गयी हैं। इस तरह का विरोधाभास दोनों वर्षों के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। चूंकि समय आपने कम दिया है। मान्यवर, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के बारे में, जिसकी चिन्ता इस सरकार को बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य को और शिक्षा को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत वर्ष में यह कहा गया था कि 5 ट्रामा सेन्टर खोले जायेंगे और नेशनल हाईवेज के किनारे भी ट्रामा सेन्टर खोले जायेंगे क्योंकि एक्सीडेंट से आज की तारीख में मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन इस दिशा में क्या प्रयास हुआ, क्या प्रगति हुई, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लक्ष्य पिछली बार निर्धारित किया गया कि मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर आधे पर ला दिया जायेगा और शिशु मृत्यु दर को भी 73 की जगह पर 36 पर ला दिया जायेगा तो लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं, संकल्प लिये जा रहे हैं लेकिन उन लक्ष्यों को निर्धारित करने में, उन संकल्पों को लेने के बाद सरकार की उपलब्धियां क्या हैं इससे भी सदन को अवगत कराया जाना चाहिए और अन्त में अध्यक्ष जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं बाढ़ प्रभावित इलाके का हूं, बिहार सीमावर्ती इलाके का हूं। बड़ी गंडक नदी से बाढ़ हर साल आती है।

(कुछ सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लिये जाने का आग्रह किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय कपूर साहब, बस, बहुत सारे सदस्य हैं। किसी को इधर से बुलाऊं, किसी को उधर से बुलाऊं अब समय नहीं है। नेता सदन को बोलना है जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं वह अपने क्षेत्र की जो भी समस्यायें हैं उनको लिखकर दे दें मैं सम्मिलित कर लूंगा कार्यवाही में। जो सदस्य बोल चुके हैं वो नहीं। जो नहीं बोल पाये हैं वह लिख कर दे दें।

(लिखित भाषण हेतु देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 98 पर।)

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, नेता सदन यहां मौजूद हैं सौभाग्य से। इस वर्ष भी ए0पी0 तटबन्ध और अमवा खास बंधे के ऊपर नदी का कटान जारी है और पूरी संभावना है अगर मानसून आने के पहले बाढ़ बचाव का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इस वर्ष भी भारी तबाही से कुशीनगर जनपद की तमकुहीराज तहसील को नहीं बचाया जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधित प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले विपक्षी दलों के माननीय नेताओं व सदस्यों तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव

पर व्यक्त किये गये विचारों का आभार प्रकट करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष के माननीय नेताओं व सदस्यों ने अपने संबोधन में हमारी सरकार के कामकाज के ऊपर किस्म-किस्म के मनगढ़न्त व अनर्गल आरोप लगाये हैं, जिनमें कोई दम नहीं है लेकिन फिर भी मैं उन आरोपों का, खासतौर से उन आरोपों का जवाब देना जरूरी समझती हूं जिन पर विपक्ष ने मिलकर काफी जोर दिया है, ताकि विपक्ष की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएं या फिर विपक्ष के लोग उनकी आड़ में कोई भी नाजायज राजनीतिक लाभ न उठा सकें। किन्तु इससे पहले मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा उनके साथ किये गये अमर्यादित व असंसदीय बर्ताव की अपनी पार्टी व सरकार की ओर से कड़े शब्दों में निन्दा करती हूं और खासतौर से स0पा0 के माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से हंगामे के दौरान महामहिम राज्यपाल जी के साथ व्यवहार किया है उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच टूटते हुए गठबन्धन से उपजी निराशा व नाराजगी हमें साफ नजर आती है। इस मामले में मेरी स0 पा0 के नेता को यह सलाह है कि इन्हें कांग्रेस पार्टी से अपने विवाद को अलग से सुलझाना चाहिए और इसका असर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही पर नहीं डालना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं विपक्षी दलों के नेताओं व सदस्यों द्वारा खासतौर से प्रदेश में किसानों, उद्योगों, कानून-व्यवस्था एवं अन्य कुछ और मुद्दों को लेकर उठाये गये सवालों का जवाब देना चाहूंगी और इस मामले में सबसे पहले मैं प्रदेश के किसानों के सम्बन्ध में यह बताना चाहती हूं कि प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने ही पहली बार एक ही वर्ष में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य पर 15 रुपये प्रति कुन्टल की वृद्धि की है। इसके साथ-साथ पूर्व की स0पा0 सरकार के समय का गन्ना किसानों का बकाया भी हमारी सरकार ने ही भुगतान किया है। किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मामले में भी हमारी सरकार पूरे देश में पहली व अकेली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के हित में जमीन के अधिग्रहण की ऐसी नीति बनाई है जिसके तहत अब भूमि का अधिग्रहण केवल करार-नियमावली के तहत ही किया जा सकता है और भूमि के मूल्य का निर्धारण भी किसान की सहमति से ही अब तय किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर घोड़ी-बछेड़ा ग्राम या अन्य कुछ स्थानों पर जो भी समस्या खड़ी हुई है उन सभी स्थानों पर ज्यादातर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जो हमने रिकार्ड देखा है, उस रिकार्ड के मुताबिक उन सभी स्थानों पर ज्यादातर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में ही की गई थी, जिसका समाधान भी हमारी पार्टी की सरकार ने ही किया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के किसानों को उनकी सीजनल फसलों का उचित मूल्य दिलवाने और इसके साथ-साथ उन्हें खेती करने के लिये जो भी उनकी जरूरतें हैं, जैसे खाद, बिजली, पानी, बीज, दवाई आदि की समय पर व्यवस्था कराने के लिये भी विशेष कदम उठाये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार ने पूर्व की सरकारों की तुलना में किसानों के हितों का ज्यादा ध्यान रखा है। इसके साथ-साथ, मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा प्रदेश से उद्योगों के पलायन की भी बात सदन में उठाई गई है जो सही नहीं है जबकि इस मामले में सच तो यह है, हकीकत यह है कि प्रदेश में पूर्व की सरकारों के दौरान जिला रायबरेली और जिला सुल्तानपुर के अमेठी एवं जगदीशपुर क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों की स्थिति काफी खराब है और इस क्षेत्र के अधिकांश उद्योग बन्द हो जाने के कारण यहां हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं और जनपद रायबरेली में लगी प्रमुख 20 फैक्ट्रियों में से

11 फैक्ट्रियां इस समय बन्द पड़ी हैं जिसके कारण लगभग 2722 लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा इन उद्योगों में 192 एकड़ भूमि बेकार हो गई है। इसी प्रकार जनपद सुल्तानपुर में लगी प्रमुख 19 फैक्ट्रियों में से 7 फैक्ट्रियां बन्द हो चुकी हैं जिससे 3372 लोग बेरोजगार हो चुके हैं तथा 875 एकड़ भूमि बेकार हो गई है। हालांकि इस सम्बन्ध में मैंने 18 अक्टूबर, 2008 को मा0 प्रधान मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी में इन दोनों जिलों में बन्द पड़े इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये हमने 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया था और इस पत्र की प्रति हमारी सरकार ने यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन को भी भेजी है ताकि वह भी अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर हमें इस कार्य में मदद करें। परन्तु दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस बारे में न तो अभी तक माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ किया है और न ही इस क्षेत्र से चुनी गयी सांसद ने कोई कदम उठाया है। इसके साथ ही प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूं कि मेरी सरकार में यमुना एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि यह कार्य और भी ज्यादा तेजी से चल सकता था यदि विपक्ष के लोग किसानों को इस कार्य के लिए जमीन देने के मामले में उन्हें गुमराह न करते।

माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परियोजनाओं के बारे में यहां मैं यह भी माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि जैसे ही यह परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो इससे प्रदेश की जनता को कई मायनों में काफी फायदा पहुंचेगा और साथ ही यहां बड़े पैमाने पर छोटे-बड़े उद्योग भी स्थापित होंगे जिससे प्रदेश में लाखों बेरोजगार लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये हमारी सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिसके फलस्वरूप ही वर्ष 2007-08 में 31 हजार 734 लघु उद्योग, 17 मध्यम उद्योग तथा 9 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। जिनमें एक लाख 51 हजार 881 रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 में अब तक लघु उद्योगों की 26 हजार 552, मध्यम की 11 तथा बड़ी की एक इकाइयों की स्थापना हुयी है जिनमें एक लाख 40 हजार 88 रोजगार सृजित हुए हैं। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए आज बेहद खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अन्य पड़ोसी राज्यों से उद्यमी बड़े पैमाने पर यहां उद्योग स्थापित कर रहे हैं और इस मामले में वर्ष 2007-08 व वर्ष 2008-09 में अकेले दिल्ली से ही पलायन करके अब तक लगभग 360 लघु उद्योग जिला गौतमबुद्ध नगर तथा जिला गाजियाबाद में स्थापित हो चुके हैं लेकिन इस मामले में अध्यक्ष जी, यह बात भी सर्वविदित है कि इस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस प्रदेश के उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, परन्तु हमारी सरकार ने नोयडा, ग्रेटर नोयडा तथा प्रदेश के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों व आवास प्राधिकरणों में औद्योगिक इकाइयों एवं रियल स्टेट उद्यमियों को आवंटित भूखण्डों के लिए आसान किश्तों की सुविधा तथा भूखण्डों का कुछ भाग सरेण्डर करने की सुविधा देकर ऐसी इकाइयों को आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने 06 जनवरी को यह एक विशेष नीति बनाई है जिसका लाभ इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इसके साथ-साथ कतिपय चिन्हित उद्योगों को स्टैम्प ड्यूटी से छूट दी गई है तथा निबन्धन शुल्क में

भी रियायत दी गई है। इसके अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये से ऊपर निवेश करने वाली इकाइयों को दस वर्ष तक उनके द्वारा विक्रय कर पर दिये गये करों के बराबर धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जा रही है। इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये अवस्थापना सुविधायें, वित्तीय सुविधायें तथा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराकर यहां औद्योगिक विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण इस समय दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी के बावजूद भी अपने प्रदेश से उद्योगों का कोई पलायन नहीं हो रहा है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, सदन में विपक्ष द्वारा प्रदेश से उद्योगों के पलायन सम्बन्धी कही गयी बात तथ्यों से परे है तथा पूर्णरूप से यह राजनीति से प्रेरित है।

माननीय अध्यक्ष जी, औरैया काण्ड मामले को लेकर भी विपक्ष द्वारा माननीय सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी काफी हंगामा व ड्रामा किया गया। इतना ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष ने देश में कुछ ही महीनों में होने वाले लोक सभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को जबरन मेरे जन्म दिन के चन्दे की उगाही से जोड़ दिया। जिसका हमारी पार्टी ने मेरे जन्म दिन वाले दिन इनको इसका जबरदस्त करारा जवाब दिया है। जबकि इस मामले में माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ काफी सख्त से सख्त कार्यवाही की है और इस मामले में हमने अपनी पार्टी के विधायक तक को भी नहीं बख्शा है जिसके कारण ही हमारी सरकार की कार्यवाही से सहमति जताते हुए मृतक परिवार के लोगों ने मुझसे खुद मिलकर इस मामले की सी0बी0आई0 व अन्य किसी एजेन्सी से जांच कराने के लिये लिखित में साफ मना कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सदन में इस मामले को इतना ज्यादा तूल देना क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है, अर्थात् इस मामले में हमें तमाम विपक्ष की राजनीति की बू साफ नजर आती है। माननीय अध्यक्ष जी जहां तक विपक्षी दलों द्वारा चर्चा के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर की गई टीका-टिप्पणी का सवाल है। मान्यवर, तो इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं सभी विपक्षी दलों को यह कहना चाहती हूं कि जिनके कार्यकाल में यहां जिन्होंने कानून व्यवस्था की खुद इज्जत नहीं की थी, इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर कोई भी टीका टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है और, खास तौर से इस मुद्दे पर जब समाजवादी पार्टी कोई भी टीका टिप्पणी करती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अर्थात् कि प्रदेश में जंगल राज कायम करने का पूरा श्रेय वास्तव में पूर्ववर्ती सपा सरकार को ही जाता है, जिसके कार्यकाल में यहां गुण्डों, माफियाओं का खुलेआम नंगा नाच हो रहा था और प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। इसी सपा के शासनकाल में रहते हुए ही निठारी जघन्य काण्ड हुआ और इससे पूर्व आजमगढ़ में एक इंजीनियर की पेड़ से लटकाकर जघन्य हत्या कर दी गयी। मान्यवर, सपा के कार्यकाल में ही अधिकारियों पर हमलों और दुर्व्यवहार के काफी मामले हुए जिनकी सूची काफी लम्बी है। मैं उस सूची को पढ़कर सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हूं, उससे आप सब अवगत हैं। मान्यवर, सपा के शासनकाल में ही श्री कृष्णानन्द राय, विधायक मोहम्मदाबाद की हत्या कर दी गयी थी।

(व्यवधान)

इसके साथ ही साथ सपा के शासनकाल में ही बी0एस0पी0 के विधायक श्री राजू पाल की हत्या कर दी गयी। इसके अलावा सपा के शासनकाल में ही भाजपा के नेता श्री लक्ष्मी नारायण और श्री मणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, जब ऐसे लोग कानून-व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और यहां चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं और खूब हंगामा करके कहते हैं, तो वह बात याद आती है कि सूप बोले तो बोले, छननी क्या बोले जिसमें 72 छेद।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के बारे में अन्य विपक्षी दलों का रिकार्ड भी कोई अच्छा नहीं रहा है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि भाजपा के ही कार्यकाल में श्री निर्भयपाल शर्मा, तत्कालीन विधायक सरसांवा की हत्या कर दी गयी। भाजपा के ही कार्यकाल में विधायक श्री मंजूर अहमद, श्री शारदा प्रसाद रावत तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री भगवान बख्श सिंह की हत्या कर दी गयी।

मान्यवर, इसी तरह से राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में, एक तरह से वह कांग्रेस पार्टी का ही राज कहा जा सकता है, उस दौरान भी श्री लक्ष्मी शंकर यादव, पूर्व मंत्री, श्री ओम प्रकाश पासवान, पूर्व विधायक, श्री जवाहर सिंह यादव तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, पूर्व विधायक की भी हत्या कर दी गयी थी।

अध्यक्ष जी, इस प्रकार जब इनकी सरकारों के दौरान विधायक तक अपनी जान नहीं बचा सकते हैं तो आज इन्हें हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करना मैं समझती हूं कि शोभा नहीं देता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष जी, इसके विपरीत बसपा की सरकार ने बिना किसी हिचक के यहां अपराधों में लिप्त पाये जाने वाले लोगों पर कानून के अनुसार काफी सख्त से सख्त कार्यवाही की है। इस मामले में हमने अपराधों में लिप्त पाये जाने पर अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों तक को भी नहीं बख्शा है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त व भयमुक्त वातावरण के साथ-साथ यहां भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण भी पैदा किया है और प्रदेश में जाति, धर्म, दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर हर मामले में हमने सर्वसमाज के लोगों को न्याय दिया है। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में हुई जिन भी वारदातों में पुलिस ने समय पर दोषियों के विरुद्ध सही कार्यवाही नहीं की है या उन्होंने खुद कानून को तोड़ा है तो ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी हमारी सरकार ने सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की है जिसके तहत ही अब तक लगभग 7,203 से ऊपर पुलिस कर्मियों को निलम्बित और लगभग 432 पुलिस कर्मियों को बरखास्त भी किया जा चुका है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की व एस0एस0पी0 या एस0पी0 रैंक के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उनको साफ लफ्जों में यह निर्देश दिया था कि मेरी हुकूमत में हर छोटी से छोटी घटना को भी आपको गम्भीरता से लेना होगा, पूर्व

की सरकार का जमाना आप भूल जाओ। मैंने साफ लफ्जों में पुलिस कर्मियों को यह कहा था कि पूर्व की सपा सरकार का जमाना अब आपको भूल जाना चाहिए यह बी0एस0पी0 की सरकार का जमाना है। मेरी सरकार में आपको छोटी से छोटी घटना को भी गम्भीरता से लेना है और छोटी से छोटी घटना को लेकर यदि कोई दुखी, पीड़ित व्यक्ति अपनी दरख्वास्त लेकर आता है आपके पास तो आपको बिना किसी देरी किये हुए उसकी दरख्वास्त को गम्भीरता से लेना होगा, उसकी एफ0आई0आर0 को दर्ज करना होगा। आपको इस बात को लेकर चिन्तित नहीं होना है कि एफ0आई0आर0 की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, इसको लेकर चिन्तित नहीं होना है। मैंने उनको यह भी कहा कि आपके कार्यों की समीक्षा एफ0आई0आर0 की संख्या कितनी बढ़ी है उसके आधार पर नहीं, बल्कि कुल दर्ज की गयी एफ0आई0आर0 पर हर महीने आपने कितनी कार्यवाही की है, उसके आधार पर की जायेगी।

इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिये हमारी सरकार ने पुलिस व्यवस्था में कुछ जरूरी फेरबदल भी किये हैं। साथ ही प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों व सम्प्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए भी हमारी सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं। इस प्रकार हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की आम जनता को हर मामले में यहां बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, सदन में विपक्ष के माननीय नेताओं व कुछ सदस्यों ने प्रदेश के विकास को लेकर भी यह कहा है कि इस सरकार ने प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की तरफ बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेकिन इनके यह आरोप भी बेबुनियाद एवं गलत हैं। जबकि इस सम्बन्ध में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में काफी विस्तार से जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन फिर भी संक्षेप में इस सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रदेश में इस बार जब हमारी पार्टी ने सत्ता संभाली थी तो हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हालत में मिली थी जिसे ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी ने अपनी सरकार बनने के तुरन्त बाद ही प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज मांगा था जिसमें पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे का मामला भी प्रमुख था। किन्तु दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि केन्द्र ने इसमें से आज तक भी हमें कोई आर्थिक मदद नहीं की है जिसके कारण हमें अन्त में केन्द्र की सरकार से अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेना पड़ा।

इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, यहां मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार के पास जो भी साधन थे या धन उपलब्ध था, उसके जरिये हमने प्रदेश की आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा कराया है जिसके तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के सम्पूर्ण विकास के लिये अलग-अलग बनाये गये कल्याण विभागों के जरिये हम इन वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाये हैं, जिनकी पूर्व की सभी सरकारों ने हर मामले में उपेक्षा की थी। इसके साथ ही हमने पूर्व की सरकारों की तरह सर्वसमाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि देने के बजाय उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराये है। मुझे सदन को यह बताते हुए आज

यह काफी अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में अब तक लगभग सात लाख से अधिक गरीब एवं बेरोजगार लोगों को स्थायी नौकरियां दी हैं जिसमें से लगभग 5 लाख नौकरियों की व्यवस्था सरकारी क्षेत्रों में और 2 लाख निजी क्षेत्र में की गयी है।

इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने प्रदेश में आमजनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ भी खास ध्यान दिया है और इस मामले में बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़कें, खाद्यान्न आदि प्रमुख हैं। खासतौर से प्रदेश में बिजली की विरासत में मिली खराब हालत को सुधारने की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है क्योंकि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश में बढ़ती हुयी आबादी के हिसाब से यहां बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण आज यहां बिजली की काफी गम्भीर समस्या पैदा हुई। लेकिन इस ओर काफी वर्षों के बाद पहली बार हमारी सरकार ने ही ध्यान दिया है जिसका पूरा फायदा प्रदेश की आमजनता को सन् 2012 में मिलेगा। अर्थात् सन् 2012 तक यहां अपने प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी।

इसके साथ ही, हमारी सरकार द्वारा नरेगा स्कीम का भी फायदा प्रदेश की गरीब जनता को पहुंचाया जा रहा है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा धन की व्यवस्था समय पर न किये जाने की वजह से इसका पूरा लाभ हम प्रदेश की गरीब जनता को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नरेगा के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि में से केन्द्र की सरकार ने 1300 करोड़ रुपये की अभी तक हमारी सरकार को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है जबकि वित्तीय वर्ष अब समाप्त होने जा रहा है। रु0 1300 करोड़ जो हमारा कोटा बनता था उसमें से 1300 करोड़ रुपये अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ है जबकि बार-बार चिट्ठी लिखी है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। हालांकि इस सम्बन्ध में मैंने कई बार माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही प्रदेश में 'वैट' व्यवस्था लागू करते समय भी हमारी सरकार ने सभी वर्गों एवं विभिन्न पेशों में लगे लोगों का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने धन के अभाव में प्रदेश के विकास एवं जनता के उत्थान के कुछ बड़े कार्य प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला लिया है और हमने कुछ बड़े काम प्राइवेट सेक्टर को दिये भी हैं, जिसमें सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा बल्कि उन्हें हमारी सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

मा0 अध्यक्ष जी, विपक्षी पार्टियों के मा0 सदस्यों ने प्रदेश में दलित, शोषित, पीड़ित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की उपेक्षा करने का भी हमारी सरकार पर आरोप लगाया है जो कि पूरी तरह से मनगढ़न्त एवं गलत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी की सरकार ने ही प्रदेश में इन वर्गों में से गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए मंहगाई के हिसाब से छात्रवृत्ति की दर को दो गुना किया है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने नोएडा में गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी भी बनायी है, उसमें इन वर्गों और अपरकास्ट समाज में से गरीब परिवारों के बच्चों को भी सरकारी खर्चे से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके साथ ही खास तौर से जो 'बैकर सेक्शन' के बच्चे हैं जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको उच्च नौकरियों में भेजने के लिए भी हमारी सरकार की ओर से फ्री कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश में सर्वसमाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को

तीन-तीन एकड़ के हिसाब से खेती करने के लिए फ्री जमीन दी है, जिससे उत्तर प्रदेश में अभी तक मेरे चारों बार के शासनकाल के दौरान लगभग 50 लाख से भी ज्यादा गरीब लोगों को इस योजना से फायदा पहुंच चुका है और यह अभियान उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 58 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और सफाई कर्मियों की दैनिक मजदूरी 73 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये कर दी है। इसके साथ-साथ हमने प्रदेश में सभी प्रकार के पेंशनों की धनराशि 150 रुपये से बढाकर 300 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी,. उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत देहातों को भी चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिससे पहली बार इस योजना के तहत गांवों में सी0सी0 रोड बनवायी जा रही है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों एवं महानगरों को भी मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर उत्तर प्रदेश शहरी समग्र विकास योजना बनाकर, चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। इस मामले में हमने पहले व दूसरे चरण में कुछ शहरों को चिन्हित किया है। इन शहरों के सम्पूर्ण विकास हेतु हमारी सरकार ने लगभग 8 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इसके साथ-साथ इन दोनों योजनाओं के तहत देहातों और शहरों में सर्वसमाज में से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं. घर नहीं है या जमीन भी नहीं है तो हमारी सरकार द्वारा ऐसे गरीब लोगों को सरकारी खर्चे से दो कमरों के पक्के मकान भी बनाकर दिये जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी कस्बों, शहरों व महानगरों में जो लोग सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर वर्षों से अनियमित तौर पर बसे हुए थे, जिनका अक्सर सरकार अधिकारियों एवं भू-माफियाओं द्वारा शोषण होता रहता था, उन्हें शोषण से मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश मे पहली बार हमारी पार्टी की सरकार ने सर्वजन हिताय शहरी गरीब मकान (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना बनायी है जिसके जरिये ऐसे लोगों के घरों के लिए अधिकतम 30 वर्ग मीटर और व्यवसायिक कार्य के लिये 10 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल की जमीन का सरकारी मालिकाना हक पट्टे के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सर्वसमाज में से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लड़कियों के उत्थान की तरफ भी हमारी सरकार ने खास ध्यान दिया है। जिनके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहली बार "महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना" शुरू की है। इस योजना के जरिये अब गरीब परिवारों में लड़की के पैदा होते ही उसके नाम से हमारी सरकार द्वारा धनराशि फिक्स जमा कर दी जायेगी फिर उसकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 1 (एक) लाख रुपये की धनराशि उनको मिल जायेगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सर्वसमाज में से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमारी सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है और इसके लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार "सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना" शुरू की है जिसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की 10वीं पास लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें एकमुश्त 15 हजार रुपये दिया जायेगा तथा लेडीज साइकिल हमारी पार्टी की सरकार द्वारा उनके आने-जाने के लिए फ्री दी जायेगी और इसी के साथ ही जब लड़की 11वीं कक्षा पास

करके 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो फिर उसे आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए हमारी सरकार द्वारा रु0 10,000/-अलग से और भी आर्थिक मदद दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में आरक्षण के मामले में भी माननीय अध्यक्ष जी हमने अपनी पार्टी की सरकार के दौरान 'स्टेट लेबिल' पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के सरकारी नौकरियों में पूर्व की सरकारों के उनके वर्गों से अधूरे पड़े आरक्षण कोटे को भी विशेष अभियान चलाकर पूरा कराया है। इसके अलावा हमारी पार्टी की ही सरकार ने सन् 1995 में जब हमारी पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो हमारी पार्टी की ही सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज में से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करके उन्हें भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी है। इसके अलावा भी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों में अनेक और भी महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिये गये हैं। इसके साथ ही साथ आरक्षण के मामले में यहां मैं अपर कास्ट समाज के लोगों को भी यह बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिये जाने के पक्ष में है लेकिन उसे केन्द्र की सरकार को ही भारतीय संविधान में संशोधन करके लागू करना होगा। इसलिए हमारी पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भारत सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही साथ देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मा0 न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मंत्रि-परिषद्, राज्य सभा व विधान परिषद् आदि अन्य जिन भी क्षेत्रों में अभी तक उन्हें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में भी इन्हें आरक्षण दिये जाने के लिए भी हमारी पार्टी ने केन्द्र की सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में पिछड़े वर्ग की लगभग 16 जातियों को जिनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, माझी, मछुआ, लोनिया, नोनिया चौहान, धनगर आदि शामिल हैं, इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण यथावत् रखते हुए इन्हें अनसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु हमारी सरकार ने भारत सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है क्योंकि यह अधिकार केवल केन्द्र सरकार को ही प्राप्त है। इसके बारे में भी केन्द्र सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यू0पी0ए0 की सरकार का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ-साथ प्रदेश में सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश में से पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर नये तीन राज्य बनाने के लिये भी हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है क्योंकि इसे भी केन्द्र सरकार को ही बनाना होता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी इन सभी मांगों को केन्द्र में अभी तक की किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं माना है। लेकिन इन सभी मामलों में मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश की तरह केन्द्र में भी हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर हमारी पार्टी की सरकार इन सभी मांगों को जरूर पूरा करा पायेगी। इसके बारे में वैसे भी आप लोगों को हमारी पार्टी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। इसके अलावा हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास और इसके साथ-साथ सर्वसमाज में से गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं,

जिनकी जानकारी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में काफी विस्तार से दी गई इसलिए उन्हें फिर से यहां दोहराना नहीं चाहती।

इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुण्डागर्दी को खत्म करने के लिए भी हमारी सरकार ने अनेकों नये कदम उठाये हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर अब प्रदेश में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव कराये जायेंगे। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने बहुजन समाज में समय-समय पर जन्मे अनेकों संतों, गुरुओं, महापुरुषों, खासतौर से ज्योतिवा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम जी को विभिन्न रूपों में पूरा-पूरा आदर, सम्मान दिया है जिनकी पूर्व की सरकारों में उपेक्षा की गई है। इस प्रकार हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की आम जनता को हर मामले में, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या विकास कार्यक्रम का, यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली सरकार है। अन्त में अध्यक्ष जी, मैं अब यही कहना चाहूंगी कि विरोधी पार्टियों के माननीय नेताओं व सदस्यों ने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्तर पर बहस के दौरान हमारी पार्टी की सरकार के ऊपर जो भी आरोप लगाये हैं उनमें कोई दम नहीं है। अर्थात् वह सब गलत एवं बेबुनियाद है तथ्यहीन है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करने से पहले अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अपनी सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया है, पूरा अवसर दिया है। इसके साथ-साथ मैं इस सम्मानित सदन के समस्त माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं कि माननीय सदस्यों ने मेरी बात को भी काफी ध्यानपूर्वक सुना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने परम्परानुसार मुझे अवसर प्रदान किया है इस महत्वपूर्ण मसले पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सदन की ओर से जाने के लिये श्री ओ0पी0 सिंह जी ने प्रस्तुत किया था और मैंने संशोधन रखा था। इस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपने अवसर दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं नेता सदन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए और स्वयं उपस्थित होकर इस सदन में जितनी भी गम्भीरता से वो सरकार का पक्ष रख सकती थीं उन्होंने रखा। श्रीमन्, मैं दो तीन बातें सिर्फ मैं कहूंगा। उत्तर भाषण की जो मर्यादा है, मैं उसी में अपने को रखूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। माननीया मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष के द्वारा जो आलोचना के दौरान जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया था उसमें से एक भी तथ्य का उल्लेख उन्होंने स्पेसिफिक रूप से खारिज करने का नहीं किया। यद्यपि उन्होंने एक-एक वाक्य प्रत्येक चैप्टर के अंत में कहा है कि इस विषय में लगाये गये आरोप बेबुनियाद और गलत हैं। इस चैप्टर में लगाये गये आरोप गलत और मनगढ़न्त हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक भी बात मान्यवर, उन्होंने जो स्पष्टतया जो उद्धरण दिये गये या जितनी बातें प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कही गईं उनमें से एक...

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ये। अब तो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं दो मिनट में। अब लीजिये, मैं नेता सदन का आभार व्यक्त करता हूं वो बात भी संसदीय कार्य मंत्री जी को पीड़ा देती है। इसका बहुत अफसोस है। मैं उनकी सराहना कर रहा हूं। आभार व्यक्त कर रहा हूं, वह भी इनको बुरा लग रहा है। पता नहीं मेरी आवाज में क्या है कि संसदीय कार्य मंत्री जी को तीखा लगता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं शांत रहें। उत्तर भाषण आप जानते हैं कि थोड़ा मर्यादित आप दो मिनट में कह दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। कोई लम्बा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं करेंगे, यह भरोसा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीया नेता सदन ने जो बातें रखी हैं उसमें अलग से यह बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कुल भाषण का 80 प्रतिशत पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना में बीत गया है। 20 प्रतिशत मात्र ऐसा था जो अपनी सरकार की उपलब्धियों और उठाये गये कदमों का उल्लेख उन्होंने किया। श्रीमनु, हम आशा यह करते थे कि जो उन्होंने अच्छे कदम उठाये हैं, जैसे अभी बालिकाओं के बारे में आपने जो कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करना चाहते हैं कि बालिका पैदा होगी और उसके लिये आप जो राशि देंगी वह उसके 18 साल के होने पर एक लाख की हो जायेगी। इसके लिये हम आपकी सराहना करना चाहते हैं। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं। जो अच्छे कदम उठाये गये हैं हम उसकी सराहना करते हैं और करेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो आलोचना की बातें हैं उस पर विपक्ष को आतंकित करने का काम किया जाय, यह बात ठीक नहीं है और लगे हाथ मैं एक बात और कहूंगा माननीया नेता सदन ने उल्लेख किया है दो माननीय विधायकों की हत्या का। राजू पाल और कृष्णानन्द राय जी का। बहुत दुःखद है। विधायक ही नहीं, किसी की भी हत्या होना बहुत दुःखद है और विधायक की हत्या होना कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है और मैं नेता सदन से, शायद उनको जानकारी होगी, अगर उन्होंने सदन को बताया होता कि इन दोनों हत्याओं के हत्यारोपी आजकल राजनैतिक तौर पर कहां है तो ज्यादा मुनासिब बात होती, यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती। श्रीमनु, अन्य जितनी बातें कही गई हैं उसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में। सोलह जातियों धीवर, मल्लाह, बिन्द, राजभर, भर, चौहान, नोनिया, लोनिया और अन्य जातियां सोलह से अधिक भी हैं। उनका जो आपने जिक्र किया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिये आपने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ केन्द्र सरकार पर डाल देने से यह अध्याय पूरा होने वाला नहीं है। एक ओर सर्वजन समाज की बात करते समय विशेष रूप से जो लोग दलित पिछड़े

हैं उनकी हिमायत करने की बात भी सरकार करती है और दूसरी ओर उनके लिये यहां से कोई प्रस्ताव (श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर) मान्यवर, मैं बैठ जाऊं।

श्री लालजी वर्मा-

इनको जो संविधान में हमारे अधिकार हैं इनको अनुसूचित जाति में कौन शामिल कर सकता है ? प्रदेश सरकार तो कर नहीं सकती है। केन्द्र सरकार कर सकती है तो केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

ज्यों ये इन्ट्रप्शन के लिये खड़े हुए मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, उठना-बैठना बंद करिये। भाषण बंद करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं जानता हूं, श्रीमन् जैसे ही यह खड़े हुए, मैं बैठ गया श्रीमन् मैं इनका सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो उनको अनुसूचित जाति की सुविधाएं दी जा रही थीं उनको स्वयं सरकार ने शासन में आते आते निरस्त कर दिया और मात्र इस वजह से कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह सुविधाएं दी थीं।

श्री लालजी वर्मा-

इन्होंने तो उनके जो पिछड़े वर्ग को जो सुविधा मिल रही थी, वह भी समाप्त कर दिया था। हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इससे इस सरकार का चेहरा अपने आप साफ हो जाता है कि अनुसूचित जाति में इन जातियों को, जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति से भी बदतर है उनको शामिल करने पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? इससे स्पष्ट होता है। श्रीमन्, इसी के साथ चूंकि सरकार ने एक भी बिन्दु पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। पुनः मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने तो पिछड़े वर्ग की उन जातियों को पिछड़ी जाति से भी निकाल दिया और अनुसूचित जाति की सुविधा भी वह नहीं पाई। साथ ही साथ कुछ जातियों तक ही नहीं जितनी सुविधायें थीं कुछ क्षेत्रों तक, एक दो जिलों तक सीमित कर दिया था लेकिन हमारी सरकार हमारी मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश को सुविधा देने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मुख्य मंत्री जी अगर कुछ सकारात्मक लेकर आई होती तो हम स्वागत करते।

श्री अध्यक्ष-

वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त जो भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वह सब भी अस्वीकृत समझे जायेंगे।

ओ0पी0 सिंह जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 फरवरी, 2009 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 फरवरी, 2009 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-1- आबकारी विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,33,04,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकार की जाय।

शासन द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किये जाने का कारण व उद्देश्य का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी अनुपूरक बजट लाये जाने के उद्देश्यों पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्यों इनको अनुपूरक की आवश्यकता पड़ी ? यह कोई कारण नहीं बताना चाहते तो इसको पास कराने का क्या औचित्य है बगैर इसके तो कोई मतलब ही नहीं है बिना कारण बताये यह सरकार धन लेना चाहती है जबर्दस्ती तो बात अलग है। यह बतायें, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो सदन का क्या मतलब है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों में भी इस बात की व्यवस्था है कि जब कोई अनुपूरक आता है तो पहले उसके कारण और उद्दश्यों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसकी आवश्यकता और उपयोगिता नहीं समझी। मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्देश होना चाहिए कि सेकेन्ड सप्लीमेंटरी के ऊपर उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में सरकार का पक्ष आना चाहिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है मान्यवर, हर वर्ष माननीय सदस्यों को डायरी उपलब्ध करायी जाती थी जिसमें सारा लेखा-जोखा होता था एड्रेस होता था और इस वर्ष फरवरी बीत रही है लेकिन कोई डायरी सूचना विभाग की इस वर्ष पटल से उपलब्ध नहीं कराई गई है। परम्परा रही है कि डायरी उपलब्ध कराई जाती थी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वित्तीय अनुपूरक प्रस्तुत किया जा रहा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह सरकार कारण नहीं बताना चाहती है और चोरी छिपे बजट पास कराना चाहती है तो चोरी छिपे इनका प्रवचन सुनने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए हम और हमारा दल इस सदन से बहिष्कार करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको सत्य से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है न इनको है न इनके नेता को है। इसलिए मान्यवर, जब परम्परा रही है कि माननीया नेता सदन जब विधान सभा में बोलती हों तो माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में रहें। उस परम्परा का भी यह निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान्यवर इनको संसदीय परम्पराओं पर विश्वास ही नहीं है और सत्य का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए मान्यवर, यह भागने का काम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-1-आबकारी विभाग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैं मद संख्या-19 (1) का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,33,04,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-2-आवास विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत 5,84,83,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत 5,84,83,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्रदेव राम यादव)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,56,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,56,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-4-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,11,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,11,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-5-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,17,32,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,17,32,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 98,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 98,78,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 9,39,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं उद्योग) के अन्तर्गत 9,39,,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-8-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 6,16,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 6,16,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-9-ऊर्जा विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09-उद्योग विभाग के अन्तर्गत 97,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09-उद्योग विभाग के अन्तर्गत 97,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 7,31,35,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 7,31,35,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 45,47,88,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 45,47,88,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 6,06,41,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 6,06,41,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) के अन्तर्गत 60,50,26,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) के अन्तर्गत 60,50,26,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 20,81,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 20,81,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 26,29,07,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 26,29,07,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,18,29,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,18,29,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य मंत्री (श्री धर्मराज निषाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,81,84,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,81,84,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 5,44,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 5,44,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 21,18,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 21,18,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 12,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 12,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 10,66,80,51,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 10,66,80,51,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 1,26,56,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 1,26,56,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 9,72,96,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 9,72,96,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 88,84,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 88,84,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 12,79,18,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 12,79,18,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 4,67,91,02,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 4,67,91,02,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,69,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 4,69,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,40,28,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,40,28,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 61,67,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 61,67000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 33,82,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 33,82,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,38,71,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,38,71,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 26,08,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 26,08,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 13,00,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 13,00,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 67,60,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 67,60,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 28,39,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 28,39,22,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,90,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,90,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 31,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 31,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 39,72,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 39,72,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,52,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,52,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री रामहेत भारती)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 8,23,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 8,23,12,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 52,87,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 52,87,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 4,98,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 4,98,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद कुमार सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 90,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 90,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

नगर विकास, पर्यटन, शहरी समग्र विकास एवं कर निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 11,48,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 11,48,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 48,83,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 48,83,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 9,71,85,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 9,71,85,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 15,90,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 15,90,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,68,06,34,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,68,06,34,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 29,76,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 29,76,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 13,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 13,42,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,06,22,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,06,22,30,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 71,23,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 71,23,06,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,10,54,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,10,54,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 22,30,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 22,30,91,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 8,53,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 8,53,69,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 10,06,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 10,06,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 13,48,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 13,48,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 90,31,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 90,31,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,63,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,63,95,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 84,93,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 84,93,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 6,44,34,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 6,44,34,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,94,40,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,94,40,97,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 86,07,02,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 86,07,02,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 6,62,92,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 6,62,92,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76-शिक्षा विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य एवं वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,97,87,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 10,97,87,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

सेवायोजन मंत्री (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 11,72,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 11,72,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 24,81,70,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 24,81,70,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 11,55,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 11,55,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 12,51,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 12,51,33,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 79,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 79,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,87,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,87,68,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 4,28,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 4,28,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 25,36,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 25,36,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 14,37,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 14,37,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 80,51,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 80,51,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी")

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 29,47,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 29,47,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

नगर विकास, पर्यावरण, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 26,99,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 26,99,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

नगर विकास, पर्यावरण, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,24,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,24,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

नगर विकास, पर्यावरण, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 3,40,82,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 3,40,82,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

नगर विकास, पर्यावरण, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,05,27,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,05,27,09,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

नगर विकास, पर्यावरण, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,40,26,67,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,40,26,67,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009

31 मार्च, 2009 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लाई जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4897,62,44,000 रुपये (चार हजार आठ सौ सत्तानबे करोड़ बासठ लाख चौवालिस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2008-2009 के लिए 4897,62,44,000 रुपये का दिया जाना

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	आबकारी विभाग	राजस्व :	53304	...	53304
		पूंजी :	...	...	0
2	आवास विभाग	राजस्व :	2506731	...	2506731
		पूंजी :	3341572	...	3341572
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं	राजस्व :	55625	...	55625
	निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	...	...	0
4	उद्योग विभाग	राजस्व :	11114	...	11114
	(खानें और खनिज)	पूंजी :	...	...	0
5	उद्योग विभाग (खादी एवं	राजस्व :	21732	...	21732
	ग्रामोद्योग)	पूंजी :	...	...	0
6	उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	9878	...	9878
		पूंजी :	...	...	0
7	उद्योग विभाग	राजस्व :	939	...	939
	(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी :	...	...	0
8	उद्योग विभाग	राजस्व :	61633	...	61633
	(मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	पूंजी :	...	...	0
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	9791	345	9791
		पूंजी :	...	...	0
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	73135	380	73515
	(औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	...	...	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	454788	...	454788
	(कृषि)	पूंजी :	...	...	0
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	60641	...	60641
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	605026	...	605026
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी :	...	...	0

1	2	3	4	5	6
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	208109	...	208109
		पूंजी :	...	...	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	262907	...	262907
		पूंजी :	...	...	0
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	11829	...	11829
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	28184	...	28184
		पूंजी :	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	54413	891	55304
		पूंजी :	...	...	0
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2118	...	2118
		पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	1242	11289	12531
		पूंजी :	...	...	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	168051	...	168051
		पूंजी :	10500000	...	10500000
22	खेल विभाग	राजस्व :	12656	...	12656
		पूंजी :	...	...	0
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	97296	...	97296
		पूंजी :	...	...	0
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8884	...	8884
		पूंजी :	...	...	0
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	127918	...	127918
		पूंजी :	...	...	0
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4679102	...	4679102
		पूंजी :	...	...	0
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	46991	...	46991
		पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	44028	...	44028
		पूंजी :	...	..	0
29 *	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	6032	6032
		पूंजी :	...	...	0

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

1	2	3	4	5	6
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व : पूंजी :	6167 ...	... ...	6167 ...
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व : पूंजी :	338215 ...	... ...	338215 0
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	1387122 ...	... ...	1387122 0
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	260806 ...	... ...	260806 0
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व : पूंजी :	130017 ...	... ...	130017 0
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व : पूंजी :	676097 ...	... ...	676097 0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व : पूंजी :	283922 ...	... ...	283922 0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व : पूंजी :	19015 ...	... ...	19015 0
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व : पूंजी :	3158 ...	... ...	3158 0
39	भाषा विभाग	राजस्व : पूंजी :	3972 ...	... ...	3972 0
40	नियोजन विभाग	राजस्व : पूंजी :	65291 ...	... ...	65291 0
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व : पूंजी :	82312 ...	... ...	82312 0
42	न्याय विभाग	राजस्व : पूंजी :	528713 ...	81846 ...	610559 0
43	परिवहन विभाग	राजस्व : पूंजी :	49838 ...	... ...	49838 0
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : पूंजी :	9016 ...	... ...	9016 0
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व : पूंजी :	1148 ...	... ...	1148 0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	4883	...	4883
		पूंजी :	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	97185	...	97185
		पूंजी :	...	...	0
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	159069	...	159069
		पूंजी :	...	...	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	1680634	...	1680634
		पूंजी :	...	...	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	297609	...	297609
		पूंजी :	...	...	0
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	1342	...	1342
		पूंजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथ अन्य व्यय)	राजस्व :	1062230	...	1062230
		पूंजी :	...	...	0
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	712306	...	712306
		पूंजी :	...	...	0
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	21054	...	21054
		पूंजी :	...	...	0
60	वन विभाग	राजस्व :	223091	...	223091
		पूंजी :	...	...	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	85369	...	85369
		पूंजी :	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	100615	...	100615
		पूंजी :	...	...	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1348	...	1348
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	9031	...	9031
		पूंजी :	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	16395	...	16395
		पूंजी :	...	...	0
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	8493	...	8493
		पूंजी :	...	...	0

1	2	3	4	5	6
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	6443468	...	6443468
		पूंजी :	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	5944097	...	5944097
		पूंजी :	...	...	0
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	860702	...	860702
		पूंजी :	...	...	0
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	66292	...	66292
		पूंजी :	...	...	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	109787	...	109787
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	117223	...	117223
		पूंजी :	...	...	0
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	248170	...	248170
		पूंजी :	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	115561	...	115561
		पूंजी :	...	...	0
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	125133	...	125133
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	7958	...	7958
		पूंजी :	...	...	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	18768	1270	20038
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	42819	...	42819
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	2536	...	2536
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	143753	...	143753
		पूंजी :	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	8051	...	8051
		पूंजी :	...	...	0

1	2	3	4	5	6
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	2947	...	2947
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	269915	...	269915
	(व्यापार कर)	पूंजी :	...	...	0
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	12453	...	12453
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	34082	...	34082
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	13630	...	13630
		पूंजी :	1039079	...	1039079
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1199463	...	1199463
		पूंजी :	203204	...	203204
	योग :	राजस्व :	33790336	102053	33892389
		पूंजी :	15083855	...	15083855
	महायोग :		48874191	102053	48976244

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

जनपद जालौन में बेतवा नदी के कोटरा घाट पर पुल का निर्माण करवाये जाने विषयक श्री मूलचन्द्र बुधौलिया आदि निवासीगण जनपद जालौन की हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

विनोद चतुर्वेदी जी अपनी याचिका नहीं प्रस्तुत कर पाये थे। दस मिनट देर से आये हैं चलिये अब आप याचिका प्रस्तुत कर दें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन में बेतवा नदी के कोटरा घाट पर पुल का निर्माण करवाये जाने विषयक श्री मूलचन्द्र बुधौलिया तथा श्री अखिलेश व्यास, निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नियम-51 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16-2-2009 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ स्थित थाना संग्रामगढ़ में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की बी0पी0एल0 सूची में नाम संशोधित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

3-श्री अरुण कुमार यादव की जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में निर्मित आवासों तथा रैन बसेरा में वर्षों से अनधिकृत अध्यासियों से आवास खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है।

4-श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश के खाद्य निरीक्षकों को अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

5-श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ स्थित वेलहिया के पास नदी पर बने पुल के निर्माण के दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

6-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ स्थित बाबूकुंज बिहारी मार्ग पर निर्मित अवैध दीवाल को हटाने एवं सड़क को सकरा होने से बचाने के सम्बन्ध में है।

7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी की लखीमपुर निधासन मार्ग पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से पथ कर वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है।

8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा के कोतवाली शहर अन्तर्गत राम किशन प्रजापति एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

9-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत मजदूरों का भुगतान न किये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, तथा

10-श्री भोला पासवान की आजमगढ़ के थाना सरायमीर के दोषी सिपाहियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, इन सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,

2-चौ0 सत्यपाल सिंह,

3-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी,

5-श्री राधेश्याम जायसवाल,

6-श्री पंकज मलिक,

7-श्री मिथिलेश कुमार,

8-श्री अमरमणि त्रिपाठी,

9-श्री जावेद अंसारी,

10-श्री मदन भैया,

11-श्री रामकिशुन,

12-डॉ0 राजेन्द्र सिंह,

13-श्री लालजी यादव,

14-श्री अनूप सण्डा,

15-श्री जोखूलाल यादव,

16-श्री श्रीपति आजाद,

17-श्री राम सेवक,

18-श्री राजाराम त्यागी,

19-श्री प्रदीप जैन आदित्य,

20-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

21-श्री सुनील शर्मा,

22-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव तथा

23-श्री अशोक कंसल।

प्रदेश में जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 12-2-2009 को यह सूचना देते हुए कि जिला पंचायतराज अधिकारी .....

कई सदस्य-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[.... के पद पर नियम विरुद्ध तैनात किया गया है, जिससे विभाग में 71 जिला पंचायत राज अधिकारियों के विरुद्ध 79 व्यक्ति कार्यरत हैं, की ओर सरकार का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के बिन्दु पर आकृष्ट किया गया है कि पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी के 71 पद स्वीकृत है। इनमें से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के हैं तथा 45 प्रतिशत पद ए0डी0ओ0 (पंचायत) पद से पदोन्नति से भरे जाने हेतु तथा 05 प्रतिशत पद सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) पद से भरे जाने की व्यवस्था सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अन्तर्गत है। 05 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत 03 पद सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों के बनते हैं, परन्तु इसके विपरीत इस संवर्ग से 11 व्यक्तियों को प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बना दिया गया है, जिससे जिला पंचायत राज अधिकारी के स्वीकृत पदों से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हो गये हैं। जिनमें से कुछ को बिना कार्य व पद के ही सम्बन्धित उपनिदेशकों के कार्यालय में सम्बद्ध रहकर बिना कार्य के वेतन भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभाग को अदूरदर्शिता के कारण एक-एक जनपद में दो-दो प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी तैनात है। इस प्रकार एक पद के विरुद्ध दो-दो व्यक्ति को वेतन भुगतान होगा, जो शासकीय व जनपद के धन का खुला दुरुपयोग है। उदाहरण के लिये सिद्धार्थनगर का उदाहरण लिया जा सकता है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा श्री ओम प्रकाश की तैनानी जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर उक्त जनपद में की गई, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा प्रभार तो श्री ओम प्रकाश को दे दिया गया है, परन्तु दूसरे व्यक्ति श्री आनन्द प्रकाश त्रिपाठी को जनपद से पंचायत राज निदेशालय अथवा उसके पूर्व स्थान के लिये भारमुक्त नहीं किया गया। जबकि मा0 उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि उन्हें अन्य रिक्त जनपद में समायोजित किया जाये। इस प्रकार जिलाधिकारी के भेदभाव अदूरदर्शिता पूर्ण कार्यवाही के कारण शासकीय कोष का खुला दुरुपयोग होना असंभावी है। उपरोक्त विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही की मांग करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग के कुल 71 पद स्वीकृत है। जिला पंचायत राज अधिकारी संवर्ग की सेवा नियमावली, 2000 यथा संशोधित 2004 के प्राविधानानुसार 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग से चयनित सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है तथा 45 प्रतिशत पद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग से तथा 05 प्रतिशत पद सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि0) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठ मापदण्ड के आधार पर उ0प्र0, लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से भरे जाने का प्राविधान है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग के लिये निर्धारित 45 प्रतिशत की सीमा में कुल 32 पद बनते हैं, जिनमें 25 सामान्य वर्ग के लिये तथा 7 अनुसूचित जाति के लिये वर्गीकृत है। इसी प्रकार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0) संवर्ग के लिये निर्धारित 05 प्रतिशत की सीमा में कुल 04 पद बनते हैं। इनके निर्धारित सीमा से अधिक कार्यरत होने के कारण प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त करना है।

3-सहायक विकास अधिकारी (प0) एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0) के पदों पर पर कार्यरत कार्मिकों की जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर नियमित पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय चयन समिति की बैठक वर्ष 2003में कराई गई थी। किन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश पारित करने के कारण उक्त पदोन्नति सम्बन्धी आदेश निर्गत नहीं किये जा सके हैं।

4-जहां तक दी गई सूचना में किये गये उल्लेख कि जिला पंचायतराज अधिकारी के स्वीकृत पदों से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत होना तथा कुछ को बिना कार्य व पद के ही सम्बन्धित उप निदेशकों के कार्यालय में सम्बद्ध रखकर बिना कार्य के वेतन भुगतान किया जा रहा है का प्रश्न है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 02 अगस्त, 2006 द्वारा

पंचायतीराज विभाग में बढ़े हुए कार्यों के क्रम में निर्गत शासनादेशों का परिपालन सुनिश्चित कराने, पंचायतों को सशक्त करने की प्रक्रिया को मण्डल स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण व समीक्षा करने तथा शासन को समय-समय पर फीड ब्रेक उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) की अध्यक्षता में एक विकेन्द्रीकरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में यथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर जिला पंचायती राज अधिकारी/सहायक जिला पंचायती राज अधिकारी (प्रा0)/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संवर्ग के अधिकारियों/कर्मियों आदि को तैनात करने की व्यवस्था की गई है। शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2006 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) की अध्यक्षता में गठित विकेन्द्रीकरण प्रकोष्ठ में तैनात अधिकारियों/कर्मियों का वेतन उस संवर्ग के अधिकारी/कर्मी के मण्डल/प्रदेश में रिक्त पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा। इस प्रकार बिना कार्य के वेतन भुगतान का प्रश्न ही नहीं है।

5-जहां तक श्री ओम प्रकाश, प्रभारी जिला पंचायती राज अधिकारी का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा योजित रिट याचिका सं0-1536 (एसबी)/2002, राज्य सरकार बनाम श्री ओम प्रकाश में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-7-2008 एवं 14-7-2008 के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3595/33-1-2008-01/2000 डब्लू दिनांक 26 नवम्बर, 2008 द्वारा श्री ओम प्रकाश को प्रभारी जिला पंचायतराज, अधिकारी घोषित करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 20 मार्च, 2008 को निरस्त करते हुए उन्हें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर पदस्थापित किया गया। तत्क्रम में निदेशक, पंचायती राज के आदेश द्वारा उन्हें जनपद बागपत में सहायक विकास अधिकारी पद पर तैनात किया गया। जनपद सिद्धार्थनगर में रिक्त हुए जिला पंचायतराज अधिकारी पद पर कार्यहित में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 द्वारा श्री आनन्द प्रकाश त्रिपाठी को प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। शासन के उक्त आदेश दिनांक 26-11-2008 के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिका संख्या-1871 (एसबी)/2008 ओम प्रकाश बनाम राज्य सरकार योजित की गई जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-12-2008 के समादर में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12-1-2009 एवं 20-1-2009 द्वारा क्रमशः श्री ओम प्रकाश को प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी घोषित किया गया तथा उन्हें जनपद सिद्धार्थनगर में तैनात किया गया। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 22-1-2009 द्वारा प्रकरण में मार्गदर्शन मांगे जाने के क्रम में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11 फरवरी, 2009 द्वारा यह आदेश पारित किये गये हैं कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-50/43-2-2001-14/215, दिनांक 04 जनवरी, 2001 के अनुसार "यदि न्यायालय में कोई अंतरिम आदेश निलम्बन को स्थगित करने, स्थानान्तरण रोकने या किसी विशेष पद पर बनाये रखने के बारे में पारित हुआ है तो आदेशों को प्रभावी रहने तक उसका अनुपालन किया जाय परन्तु उस अधिकारी/कार्मिक से उस प्रकृति का कार्य न लिया जाय, जिस पद पर आकर्षणों का दुरुपयोग करने हेतु वह उस प्रकृति के पद पर बने रहना चाहता है।" ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश दिनांक 04-01-2001 में निहित उक्त व्यवस्था के अनुपालन में शासन के अग्रिम आदेशों तक

श्री ओम प्रकाश जिला पंचायत राज अधिकारी, सिद्धार्थनगर के कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। तद्नुसार जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर तथा अन्य सम्बन्धित को भी सूचित कर दिया गया है।]

जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरों की मजदूरी शासनादेश के अनुसार न दिये जाने एवं उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया है कि जनपद बांदा में वर्ष 2007-2008 .....

कई सदस्य-

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[----से अब तक पूरे जनपद में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं इसमें मजदूरों को 60/- से 80/- रुपये तक दैनिक मजदूरी दी जा रही है। जबकि शासनादेश के अनुसार 100 रुपये से कम मजदूरी नहीं देना चाहिये। मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को मौखिक तथा लिखित कई बार शिकायतें की गईं लेकिन अभी तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरों द्वारा तहसील दिवसों में भी 100/-रुपये मजदूरी देने की शिकायतें की गई हैं लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। जनपद बांदा में बांदा-बहराइच मार्ग पर तिन्दवारी बेन्दाघाट तथा पपरेन्दा सुमेरपुर मार्ग तथा बांदा नरैनी, कालींजर व बांदा बबेरू मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें कार्यरत मजदूरों की मजदूरी प्रति मजदूर 40/- रुपये से 50/- तक कटौती की जा रही है। ग्राम मवई बुजुर्ग में सरदार अजीत सिंह हाटमिक्स का प्लान्ट लगाये हुए हैं जिसमें 14 जनवरी, 09 को मजदूरों द्वारा मजदूरी मांगने पर उनके गुण्डों द्वारा मारा-पीटा गया तथा राम किशुन पहलवान सहित 27 दलित चमार बिरादरी के मजदूरों को फर्जी घटना बनाकर मुकदमा अपराध सं0-21/09 थाना कोतवाली शहर बांदा में बन्द करा दिया गया जिसकी शासन स्तर से जांच कराया जाना आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-नियम-05/38-7-09-4नियम/09, दिनांक 13-12-2009 द्वारा जिलाधिकारी बांदा से जांच आख्या मांगी गई थी। प्रकरण में जिलाधिकारी बांदा तथा मुख्य विकास अधिकारी, बांदा से प्राप्त आख्या के अनुसार नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों पर ग्राम्य विकास विभाग की योजनान्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, वरन् सूचना में उल्लिखित सभी कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। अतएव नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना का सम्बन्ध शासन के लोक निर्माण विभाग से होने के कारण प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 16-2-2009 को निर्धारित वक्तव्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का आदेश मा0 अध्यक्ष, विधान सभा से किया गया है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा दी जा रही बच्चों की पंजीरी की बोरियों की तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रफी अहमद उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् दिनांक 12-2-09 को नियम-51 के अन्तर्गत डा0 रफी अहमद उस्मानी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा यह सूचना दी गई है कि जनपद लखीमपुर खीरी ....

कई सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[....में विकास खण्ड फूलबेहड़ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा बच्चों को दी जाने वाली पंजीरी की लगभग 70 बोरियां कालाबाजारी करते हुए पकड़ी गई, जिन्हें थाना फूलबेहड़ में निरुद्ध किया गया। उक्त पकड़ी गई पंजीरी के सम्बन्ध में न तो कोई विभागीय जांच कराई गई और न ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और न ही थाने में निरुद्ध 70 बोरी पंजीरी को थाने से लेकर बच्चों में वितरित कराई गई। अब निरुद्ध पंजीरी खाने योग्य रह भी गई है या नहीं, इसके लिये जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है।"

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थानाध्यक्ष, फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा 70 बोरी जो पोषाहार पकड़ा गया है वह बाल विकास परियोजना, फूलबेहड़ की मुख्य सेविकाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय से जो पोषाहार निर्गत कियागया है, वह वितरण के उपरान्त अवशेष पोषाहार केन्द्रों पर उपलब्ध है। इसलिये किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। थाने में पकड़ी गई बोरियों की सूचना मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 28-7-08 द्वारा आख्या मांगी गई, जिसके क्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी, फूलबेहड़ने अपने पत्र दिनांक 18-8-08 द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने मुख्य सेविकाओं के माध्यम से परियोजना के समस्त केन्द्रों का स्टाक सत्यापन कराया जो सही पाया गया। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 13-8-08 को फूलबेहड़ के दो आंगनवाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर दोनों केन्द्र संचालित व स्टाक के अनुसार पोषाहार पाया गया।

3-उक्त प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच/विवेचना की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त हमीद पुत्र श्री सगीर निवासी गंगाबेहड़, विकास खण्ड फूलबेहड़ के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-182/08 प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त श्री हमीद द्वारा पुलिस की जांच में किसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम नहीं लिया गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त द्वारा पोषाहार की बोरियां कहां से किससे ली गई हैं। इस हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश शासन से जारी किये गये हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।]

प्रतापगढ़ के पट्टी, बीरापुर, सदर से निकलने वाले जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा .....

श्री जगदीश नारायण राय (वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) -

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[....दिनांक 12-02-09 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी, बीरापुर, सदर से निकलने वाला जिला मार्ग कोहड़ौर, पट्टी-बेल्हूपुर के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर, कादीपुर,चांदा, पट्टी को जोड़ने वाला राज्य मार्ग अकबरपुर, कादीपुर, चांदा, पट्टी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्रस्तुत है। सामान्य बजट इसी सत्र में स्वीकृत हो रहा है। धन की उपलब्धता भी सभी मदों में सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में जनहित में प्रस्तावित कार्य स्वीकृति किये जाने में कोई असुविधा नहीं है।

उपरोक्त दोनों मार्ग से चार-चार विधान सभा के कई लाख लोगों का आवागमन जुड़ा है। भारी एवं सघन यातायात को देखते हुए मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रस्ताव परिपक्व है, केवल स्वीकृति निर्गत कर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अपेक्षित है। अतः जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मा0 सदस्य ने जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों से जुड़े मार्गों के निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ में देल्हूपुर रानीगंज पट्टी कोहड़ौर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) कि0मी0 29 से 61 कि0मी0 तक (लम्बाई 33.00 कि0मी0) एवं अकबरपुर कादीपुर, चांदा, पट्टी (प्रमुख जिला मार्ग) कि0मी0 50 से 65.20 कि0मी0 तक (लम्बाई 16.20 कि0मी0) चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु क्रमशः रु0 2165.76 लाख एवं रु0 1054.20 लाख का प्रारम्भिक आगणन शासन को प्राप्त हुआ है जिसे मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित करा लिया गया है। जिसकी मूल्यांकित लागत क्रमशः रु0 2118.14 लाख एवं रु0 1031.03 लाख है। इन मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद बागपत में जर्जर विद्युत तारों के कारण किसानों को विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में डा0 अजय तोमर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद बागपत में किसानों को माह जनवरी .....

श्री जगदीश नारायण राय (वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) -

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[.... एवं फरवरी (11-02-09 तक) 2009 में क्रमशः औसतन 7.36 एवं 7.23 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई।

जनपद बागपत में निम्नलिखित अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है :-

क्र0 सं0	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	पूर्व क्षमता एम0वी0ए0	अद्यतन क्षमता एम0वी0ए0
1	छपरौली	5+10	2x10
2	तुगाना	2x5	5+10
3	तितरौंदा	2x5+3	4x5
4	कान्हड़	3x5+3	4x5
5	संत नगर	1x5	2x5

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की अतिभारिता दूर करने हेतु क्षमतावृद्धि के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0 सं0	132/33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता एम0वी0ए0	प्रस्तावित क्षमता एम0वी0ए0
1	किरहल	5+8	10+8
2	किशनपुरबराल	2x5	5+10
3	गैंडबरा	2x5	5+10
4	बागपत	2x5	5+10
5	खेकड़ा	10+8	2x10

विद्युत उपकेन्द्र बिजरौल, जौहड़ी, बडावत, आदर्श नगला, सिंघावली, अहीर, डौला एवं पिलाना की अतिभारिता सर्वे/निरीक्षण/परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी एवं आवश्यकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उपकेन्द्र इब्राहिमपुर माजरा, जोनमाना एवं बिहारीपुर वर्तमान में अतिभरित नहीं है।

जनपद बागपत में वर्ष 2007-08 में निम्न नये विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये हैं :-

क्र0सं0	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता एम0वी0ए0
1	इब्राहिमपुर माजरा	2x3
2	बामनौली	2x3
3	बुकेडा	1x5

उपरोक्त के क्रम में जनपद बागपत में निम्नलिखित विद्युत गृह नव प्रस्तावित है जो कि स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं :-

क्र0सं0	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	क्षमता एम0वी0ए0
1	लोयन मलकपुर	1x5
2	बरवाला	1x5
3	दोघट	1x5
4	मवीकला	1x5
5	रनछाड़	2x5
6	सांकरोद रोड खेकड़ा	2x5
7	फिरोजपुर	2x5
8	मितली	1x5

अवशेष बावली मुकुन्दपुर काकोरकलां एवं कंडेरा में नये उपस्थान की आवश्यकता हेतु सर्वे/निरीक्षण/परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी एवं आवश्यकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बागपत में 174 खम्भे एवं 87.84 किलोमीटर तार बदल दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त जर्जर तार एवं खम्भे बदलने हेतु सर्वे का कार्य प्रगति पर है। आवश्यकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद प्रतापगढ़ में नरेगा में कार्यरत तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक व मेटों के हजारों की संख्या में निष्कासन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक .....

श्री जगदीश नारायण राय (वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) -

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[--- 13-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश में नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता (ठेकेदार) को सौपने के निर्णय के साथ ही साथ नरेगा में कार्यरत 5000 से भी अधिक तकनीकी सहायकों को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जनपद-प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के कई अन्य जनपदों में तकनीकी सहायकों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तकनीकी सहायकों के निष्कासन से नरेगा के कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव का एक ग्राम रोजगार सेवक तथा 5 मेठ है। यदि नरेगा में कार्यरत इस प्रकार के कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जायेगा तो भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना नरेगा, जो निर्माण भी करा रही है और रोजगार भी दे रही है, उसके कार्य प्रभावित होंगे तथा इससे जुड़े कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के समक्ष गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस निष्कासनसे तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक तथा मेठ दुखी है और चिन्ता तथा कुण्ठा व्याप्त है। लोक महत्वके इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है।

2-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत पूर्व में कार्यरत तकनीकी सहायकों द्वारा शासन की अधिसूचना दिनांक 23-10-2008 की उक्त व्यवस्था के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में लगभग 34 रिट याचिकाएं योजित की गई है, जिनमें कतिपय रिट याचिकाओं में याचीगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में निम्नलिखित आशय का आदेश प्राप्त किया गया है :-

द पिटीशनर्स में एप्रोच द अपोजिट पार्टीस फार रिनीवल आफ दियर एप्वाइन्टमेंट व्हिच शैल बी कन्सीडर्ड इन एकार्डेन्स विद क्लाज़-9 आफ द गवर्नमेंट आर्डर डेट 3-9-2007

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऐसे तकनीकी सहायकों व अन्य कार्मिकों की पूर्व अनुबन्ध की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है उनका अनुबन्ध पूर्ण अवधि तक पूर्ववत चलता रहेगा, अनुबन्ध की अवधि पूरी होने पर शासन की अधिसूचना दिनांक 23-10-2008 के अन्तर्गत सेवाप्रदाता के माध्यम से उनकी सेवायें पुनः प्राप्त की जा सकती है तथा इसमें उन्हें प्राथमिकता भी प्रदान की जायेगी। यदि किसी अनुबन्ध में समय का उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुबन्ध की समाप्ति की अन्तिम तिथि मानी जायेगी। इस व्यवस्था से ग्राम रोजगार सेवक तथा मेट आच्छादित नहीं है]

प्रदेश में बालिका इण्टर कालेजों के सेन्टर निर्धारण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

परिषदीय परीक्षा वर्ष 2009 .....

श्री जगदीश नारायण राय (वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) -

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[--- की परीक्षाओं हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया था। कम्प्यूटरीकृत केन्द्र निर्धारण प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त जनपदस्तरीय/मण्डलस्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त प्राप्त संशोधित केन्द्र निर्धारण प्रस्ताव के अनुसार परीक्षाकेन्द्रों में संशोधन/परिवर्तन किया जा चुका है। जनपद बलरामपुर के परीक्षाकेन्द्रों से सम्बन्धित विसंगतियों को भी समाप्त किया जा चुका है। कस्तूरबा आर्य बालिका इण्टर कालेज तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर की छात्राओं के लिये निकटस्थ परीक्षाकेन्द्र स्वतंत्र भारत इण्टर कालेज तुलसीपुर, बलरामपुर आवंटित कर दिया गया है।]

जनपद महाराजगंज के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 द्वारा किये जा रहे धन के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में श्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के .....

श्री जगदीश नारायण राय (वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) -

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 महराजगंज द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने, विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने, सम्पादित कार्यों का लेखा समय से प्रस्तुत न करने सम्बन्धी अनियमिततायें प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध नियंत्रक अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर द्वारा आयुक्त गोरखपुर मण्डल से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली सदर, महराजगंज में दिनांक 08-06-2008 को दर्ज कराई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-103/08 में श्री राजेश कुमार के विरुद्ध धारा 409 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत रु0 1266.00 लाख (रु0 12.66 करोड़ न कि 18 करोड़) की धनराशि जो विभिन्न मदों में कार्य करने हेतु आवंटित की गई थी को गबन कर हड़प लेने के आरोप दर्ज किये गये। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत शासनके आदेश संख्या-2795/27-1-2007-3(8)/08, दिनांक 9-6-2008 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार का स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज से प्रशासनिक आधार पर करते हुए उन्हें कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच जिलाधिकारी महराजगंज ने अपने स्तर से गठित तकनीकी अधिकारियों की समिति से कराई तथा प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा भी कार्यों की तकनीकी जांच की गई तथा शासन के आदेश संख्या 3573/08-27-सिं0-3(8)/08, दिनांक 1-7-08 द्वारा श्री राजेश कुमार को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। इस प्रकार श्री राजेश कुमार को सरकारी संरक्षण नहीं है। अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में आवंटित धनराशि के विरुद्ध कार्य कराये जा रहे हैं, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेंगे तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं पर धन उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जायेंगे।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक : 16 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पूर्व पृष्ठ 41 पर)

(मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सकें तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न हैं।)

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने संशोधनों पर बल देते हुए आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सुल्तानपुर एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। आजादी के 62 साल बाद भी मेरे क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे कटावों घाट पर पुल का निर्माण नहीं हो सका है। प्रतिदिन 6 हजार लोग पुल न होने के कारण नावों के माध्यम से नदी पार कर जनपद मुख्यालय जाते हैं। किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कटावां घाट पर पुल निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। मैं इस पर पुल निर्माण की मांग करता हूं। जनपद सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाघ निर्माण के कार्य का बड़े पैमाने पर आजीविका का साधन बनाने वाले इस समुदाय के लिये एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा महामहिम को करनी चाहिये थी तथा बाघ का सुचारु रूप से विपणन हो सके इसके लिये बाघ मण्डी भी बननी चाहिये।

सुल्तानपुर नगर में इलाहाबाद रोड व कुड़कर नाका रेलवे क्रासिंगों पर ओवर ब्रिज या अण्डर वे का निर्माण अति आवश्यक है, क्योंकि यह दोनों स्थान नगर के प्रवेश द्वार है तथा इन स्थानों पर ओवर ब्रिज अण्डरवे न होने से नागरिकों को प्रतिदिन कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बारिस के दिनों में पूरा सुल्तानपुर नगर जलभरावका शिकार होता है। जल निकासी व्यवस्था के निर्माण हेतु सुल्तानुपर को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये।

पूरे जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मार्गोंको पक्की सड़कों में तब्दील किये जाने का उल्लेख भी महामहिम के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जनपद के मदरसों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। इन मदरसों में सरकार को इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने चाहिये। जिला चिकित्सालय की आई0सी0यू0 की स्थिति सुधारे जाने व न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिसियन की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी घोषणा की जानी चाहिये थी।

जनपद सुल्तानपुर में बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं इनको प्रोत्साहन दिये जाने, जनपद में बदहाल विद्युत व्यवस्था को सुधार कर विद्युत आपूर्ति सुधारने के संबंध में घोषणायें की जानी चाहिये थी।

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि मैं विधान सभा क्षेत्र धूरियापार से जीतकर आया हूं। वहां पर जनता को बरसात के महीने में बहुत कठिनाइयों का

सामना करना पड़ता है। कुबानों और सरजू नदी का हमेशा दबाव रहता है। बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। विकास की किरण धुरियापार में अभी नहीं हो पाया है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें-1-सोपाई मिसिया बंधे पर मिसिया में रेगुलेटर और नाले की सफाई। 2-मदरिया बंधे पर विसरा में रेगुलेटर का चौड़ीकरण। 3-शाहपुर गांव को कटानसे बचाने के लिये रिंग बन्धा व पिचिंग करना बहुत ही जरूरी है। 4-ऊरुवा बाजार जो ऐतिहासिक बाजार है। सड़क व नाला बनना बहुत ही जरूरी है। बरसात में सड़क पर एक फुट पानी लग जाता है। जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री गुरू प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में उ0प्र0 के सर्वसमाज के लिए विकास की व्यवस्था की गयी है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के साथ-साथ गरीब, कमजोर एवं मजलूम समाज के लोगों के आंसु को पीछने का काम, वृद्धा, विधवा एवं विकलांग के पेंशन एवं उनकी सुविधाओं को बढ़ाकर किया है। आज उ0प्र0 की जनता उ0प्र0 की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में किये जा रहे लोक कल्याणकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर कार्यों से प्रभावित होकर बहन कुमारी मायावती जी को उ0प्र0 की जनता प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहती हैं तो आने वाले लोक सभा चुनाव में सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों को देखते हुए सम्पूर्ण देश को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए देश की जनता मा0 बहन जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए तैयारी कर लिया है इन्हीं बातों के साथ अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम सभा मुकुन्दपुर, वमनपुर, उमरियाबादल में शारदा सहायक खण्ड-48 पर पुलों का निर्माण एवं कौड़िहार में 132 के0वी0 का विद्युत केन्द्र का निर्माण तथा रघुवंशपुर रेहआ तथा सिंहापुर डा0 पारसनाथ पटेल के घर के आगे नाले पर पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री प्रवीण पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि आज आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मैं सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए माननीया मुख्य मंत्री जी को अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपकी सोच एवं 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' नीति पर चलते हुए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार सर्वसमाज के हित में आपने फैसले लिए और पूरा प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आज पूरा देश उत्तर प्रदेश को अपना आदर्श मानते हुए, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए सर्वसमाज के लोग आशा करते हैं कि आने वाले लोक सभा चुनाव के बाद पूरा भारतवर्ष आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा झूंसी, इलाहाबाद के जिरात

लवापन, ककरा, दुबावल कछार की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर करीब 20000 हेक्टेयर असिंचित भूमि है एवं क्षेत्र के करीब पन्द्रह-बीस गांव के लोग असिंचित भूमि होने के कारण भुखमरी की कगार पर हैं। अतः आपसे विशेष आग्रह है कि लिफ्ट कैनाल के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे किसानों को राहत मिल सके एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल हेतु नलकूप, ट्यूबवेल एवं पानी की टंकियों का भी निर्माण कराने की कृपा करें और इस बात के साथ कि मेरे विधान सभा के अन्तर्गत बड़े अस्पताल, पशु अस्पताल एवं सड़कों, नहरों का भी निर्माण कराने की कृपा करेंगे, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, मैं बात समाप्त करना चाहता हूं, सादर।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र, जो बुन्देलंखण्ड का अंग है, वहां से चुनकर आता हूं। हमारे यहां उरई औद्योगिक क्षेत्र था, जिसमें 123 ईकाइयां थीं, किन्तु सरकार की उदासीनता से सभी औद्योगिक ईकाइयां बंद हो गयी हैं, सिर्फ 7 या 8 ईकाइयां ही चल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इन बन्द ईकाइयों को चालू कराने हेतु सरकार को अनुदान देना चाहिए तथा इनको चलवाना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

1-हमारे यहां उरई-राठ रोड जो कि म0प्र0 को जोड़ता है, इस पर रेलवे लाइन का एक पुल निर्माण कराया जाय, जिससे वहां पर फाटक पर हर घण्टे में जाम लगता है, जिससे किसान, व्यापारी एवं यात्री परेशान होते हैं, इनको लाभ मिले।

2-उरई से मुहाना एवं जोल्हुपुर मोड़ से कदौरा तक की सड़क की हालत अत्यन्त खराब है, उसका निर्माण कराया जाय।

3-विद्युत विभाग में अत्यन्त ट्रांसफार्मरों की कमी है, जिससे विद्युत व्यवस्था जनपद की अत्यन्त खराब है। हमारे यहां किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उपलब्ध नहीं है तथा लाइन अत्यन्त जर्जर है, इनको बदलवाने का कार्य किया जाय।

4-टाउन एरिया कोटरा में जो कि हमारे क्षेत्र का दलित वर्ग एवं मध्यम वर्ग का क्षेत्र है, वहां पी0ए0सी0 मन्जूर हुआ है, मगर रुपया अभी तक रिलीज नहीं हुआ, उसका पैसा सरकार से रिलीज कराने की कृपा करें।

5-जनपद में बेतवा नदी से बालू का खनन कार्य होता है, जिसमें ओवर लोडिंग ट्रक चलते हैं, जिससे रोड एक या दो माह ही खराब हो जाते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि खनन कार्य होने की वजह से जो भी रोड निर्माण हो, उन रोडों को लोड के मानक के अनुरूप बनाया जाय।

6-जिले में नहरों का जाल है, मगर उनकी बहुत वर्षों से सफाई नहीं हुई है, नहरों की सफाई न होने की वजह से वह फुल गेज तक नहीं चलती हैं, जिससे किसानों को टेल तक पानी नहीं मिलता है, अतः नहरों की सफाई करायी जाय। मैनपुर पम्प कैनाल, कालपी को चालू कराया जाय।

7-जनपद के जिला अस्पताल में डाक्टरों की अत्यन्त कमी है, अतः शासन से डाक्टरों को नियुक्त कराया जाय।

सधन्यवाद।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मा0 अध्यक्ष जी, इस वर्ष भारी वर्षा एवं बाढ़ से जनपद सीतापुर भयंकर रूप से प्रभावित रहा है, विशेष रूप से तहसील बिसवां, महमूदाबाद, लहरपुर में भीषण बाढ़ से फसल पूरी तरह चौपट हो गई, कच्चे मकान ध्वस्त हो गये, किसानों को भूखों मरने की नौबत आ गई, मात्र गन्ना ही बचा था जिससे अपना एवं परिवार का जीवन-यापन कर सकते थे, वह भी सहारा छिनता नजर आ रहा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का गन्ना, चीनी मिल, महमूदाबाद (सहकारी) को किसानों ने आपूर्ति की है परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि उक्त मिल द्वारा अभी तक मात्र 16 दिसम्बर तक ही भुगतान किसानों को किया गया है जब कि ज्ञात हुआ है कि चीनी मिल महमूदाबाद के पास पर्याप्त धन है जिससे किसानों का भुगतान किया जा सकता है। हमको पूर्ण विश्वासं है कि आप द्वारा सरकार को बकाया किसानों के भुगतान हेतु निर्देश अवश्य दिये जायेंगे। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तम्बौर रेउसा मार्ग का चौड़ीकरण मा0 मुलायम सिंह की सरकार में कराया गया था, बी0एस0पी0 की सरकार आते ही चौड़ीकरण का कार्य जहां का तहां रोक दिया गया, जिसके तहत उक्त मार्ग के माध्यम से मात्र दो कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण अधर में लटका हुआ है, मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है कि वाहनों का निकलना दूभर है। लो0 नि0 वि0 को आपकी तरफ से मान्यवर, निर्देश अवश्य जायेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मा0 अध्यक्ष जी, इसी क्रम में रेउसा से जहांगीराबाद मार्ग भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है, रोड में इतनी जम्पिंग हो गयी है कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। उक्त रेउसा-जहांगीराबाद मार्ग को ठीक कराने की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी इन्हीं शब्दों के साथ संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौ0 सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। इस अभिभाषण में निम्न समस्याओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जो आज आजादी के 60 सालों के बाद भी जनता के सामने हैं :--

1-पतकाया नालों पर मेरे क्षेत्र के गांव दयुऔका पर जडाना नगलिया पर एवं नर्मला डाढा व मौर गांव के बीच में आज भी पुल नहीं बने हैं जिससे जनता बरसात के मौसम में तीन महीने आवागमन से वंचित रहती है।

बलरामपुर व गांव जौहरा के सामने काली नदी पर पुल न होने से सुरेशपुर गांव तथा अन्य गांवों को लोग पहुंच नहीं पाते।

2-मौच ब्रांच गंगनहर पर गांव शादीपुर तथा शिवाला गांव पर दोनों पुल टूटने की कगार पर हैं। मुख्य सड़क मार्ग होते हुए भी दोनों पुलों का निर्माण शीघ्र ही होना चाहिए।

किसानों को बिजली मेरे क्षेत्र में सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है। बिजली सुधार के लिये गांव सलेमापुर जड़तौली का (नव निर्माण) बिजली घर शीघ्र ही शामिल करने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अपने सम्बोधन में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मांगों को सम्मिलित नहीं किया गया, जिनको इसमें सम्मिलित कराने की कृपा करें।

1 तहसील बिलासपुर में खडिंया ग्राम पर भाकड़ा नदी पर पुल निर्माण होना है, जिससे लगभग 50 ग्रामों का रास्ता बंद है।

2 तहसील मिलक में कोई डिग्री कालेज नहीं है जिससे यहां के बच्चे इण्टरमीडिएट से अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये इसका खुलना बहुत जरूरी है।

3 तहसील विलासपुर से रोडवेज का बस अड्डा नहीं है, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है तथा दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा रोज रा0 राजमार्ग पर जाम लग जाता है, यहां पर बस अड्डा बनाने का सदन में आश्वासन भी दिया गया है।

4 मिलक-विलासपुर मार्ग जो रा0 राजमार्ग 24 व 87 को जोड़ता है, इस मार्ग की हालत बहुत खराब है, इसका सौन्दर्यीकरण व मरम्मत होना जनहित में बहुत आवश्यक है।

5 भंवरकी पर नदी पुल बनना बहुत जरूरी है।

6 रुद्रविलास शुगर मिल के वर्ष 2008-2009 के गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए।

7 विलासपुर में एहरो में पी0एच0सी0 हैल्थ विभाग द्वारा बनाना जरूरी है।

8 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत दनकरा, रमपुरा, सनकरा, धमोरा, खजुरिया खुर्द में रा0 इण्टर कालेज खुलना शिक्षा हित में बहुत जरूरी है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उपरोक्त मांगों को सम्मिलित कराने की कृपा करें, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न बिन्दुओं का ध्यान नहीं दिया है अतः इन्हें शामिल करने की कृपा करें।

1 महराजगंज तहसील जनपद रायबरेली में मात्र एक तहसील मुख्यालय ही ऐसा शेष है जिसमें फायर ब्रिगेड स्थापित नहीं है।

2 मेरी विधान सभा के अन्तर्गत महराजगंज ड्रेन पर वि0 खण्ड-महराजगंज में ग्राम अतरेहटा तथा कोड़री एच0/ओ0 मोन में पुल बनाये जाने के संदर्भ में।

3 रायबरेली जनपद के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में।

4 बछरावां वि0 खण्ड मुख्यालय पर कन्या डिग्री कालेज खोले जाने हेतु।

5 बछरावां-हैदरगढ़ वाया शिवगढ़ को चौड़ीकरण व उच्चीकरण त्वरित गति से करने के हेतु तथा इसी सड़क पर गूढ़ा रानीखेड़ा के मध्य पुल निर्माण कराने हेतु कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में।

6 बछरावां से महराजगंज मार्ग को चौड़ा करने हेतु न रखे जाने पर।

7 बछरावां वि0 सभा के अन्तर्गत शिवगढ़ ड्रेन जो काफी बड़ी है, की सफाई हेतु।

8 असहन जगतपुर तिलेण्डा हलोर मार्ग की मरम्मत करने हेतु।

9 शिवगढ़ वि0 खं0 में नये कोई उद्योग न लगाये जाने के संदर्भ में।

10 केन्द्रीय निधि द्वारा निर्मित कराये जाने हेतु सड़कों को शीघ्र बनवाये जाने हेतु।

11 विधायकों द्वारा स्वयं स्वीकृत किये जाने वाले इण्डिया मार्क-2 को पूर्व की भांति बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

ऊपर लिखित मेरे सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री निर्मल वर्मा-

महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध करना है कि मेरे जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 42 से 52 के मध्य किसानों की हजारों एकड़ भूमि सीपेज से जलमग्न भूमि जिससे हजारों किसान भुखमरी के कगार पर हैं। सीपेज समस्या के निदान हेतु ड्रेन खुदाई एवं बनी हुई ड्रेन की सफाई एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का प्रस्ताव एवं विधान सभा बिसवां के अन्तर्गत गांजरी क्षेत्र विकास खण्ड सकरन अन्तर्गत ग्राम बेलवा बसैहिया के मध्य रपटा पुल एवं सिरसा नाला पर सिरसा गांव के पास रपटा पुल निर्माण का प्रस्ताव जोड़ लिया जाय, धन्यवाद।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में निवेदन करूंगा कि मेरी विधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण मार्ग व रपटा पुल बनवाने के प्रस्ताव को जोड़ दिया जाय।

1-लखीमपुर से बहराइच राज्य मार्ग से व सढ़िया चौराहा से ऐसा शुगर मिल तथा खमरिया वाया नौरंगपुर रामपुर वाया ईसानगर होते हुए हसनपुर करौंबी दुर्गापुर पड़री तक 25 कि0मी0 मुख्य जीर्ण-शीर्ण मार्ग हाट मिक्स प्लांट से निर्माण।

2-ग्राम वेलुआ अम्बेडकर ग्राम से सधुवापुर घाट होते हुए शंकरपुर डामर रोड वि0 खं0 ईसानगर 2 कि0मी0 पेन्टेड रोक निर्माण।

3-उपरोक्त वेलुआ शंकरपुर मार्ग के बीच छोटा पुल निर्माण।

4-ग्राम मूसेपुर से चकमूसे पुर में खमरिया ईसानगर मार्ग से जोड़ने के लिये रपटा निर्माण।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की कानून-व्यवस्था व सरकार द्वारा कराए गए और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से कहा है ये सारे तथ्य सत्य से परे है। प्रदेश में आज जिस तरह का जंगलराज एवं भ्रष्टाचार पक्षपात का वातावरण है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में प्रदेश के उद्योग और व्यापार की निरन्तर गिरती हुई स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही प्रदेश के उद्योग और व्यापार के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विशेष वर्णन है। बिजली, सड़क और सुरक्षा के बिना प्रदेश का उद्योग और व्यापार पनप नहीं सकता है। कानपुर दत्रप्रदेश की औद्योगिक राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है किन्तु इस महानगर के विकास के लिये कोई बड़ी योजना नहीं दी गई है। बिजली की भीषण कटौती और ध्वस्त सीवर लाइनें कानपुर की प्रमुख समस्याओं के हल का भी कोई जिक्र नहीं है। नगर निगम कानपुर ने कानपुर के नागरिकों के ऊपर जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर मकानों पर गृहकर (सरल कर) 10 से 40 गुना तक बढ़ा दिया है। जो कि अव्यवहारिक है और कानुपर के मकान मालिक इस बढ़ोत्तरी को अदा करने में असमर्थ है। हाउस टैक्स की इस अव्यवहारिक बढ़ोत्तरी के खिलाफ कानपुर का नागरिक आक्रोशित है और उसने हाउस टैक्स की अदायगी रोक दी है। जिससे नगर निगम के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

कानपुर महानगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे गरीब परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न है। जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने एक अक्टूबर, 2008 से 30 जून, 2009 तक चावल लेवी की नीति लागू की गई थी लेकिन सरकार ने जनवरी, 2009 में ही चावल की सरकारी खरीद बन्द कर दी गई है जिसके साथ ही साथ राइस मिलों का भुगतान भी रोक दिया गया है जिसके कारण जहां राइस मिल मालिक आर्थिक संकट में फंस गये वहीं धान उत्पादक किसान का पैसा भी फंस गया और उनके धान का आज कोई खरीददार नहीं है प्रदेश की सरकार व्यापारी और किसान दोनों के साथ अन्याय कर रही है। अनेकों बार मांग किये जाने के बाद भी शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनता को पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। शहरी विधायकों की उपेक्षा हो रही है।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया है कि नौजवानों को रोजगार मुहैया कराये जा रहे हैं लेकिन सेवायोजन कार्यालय के आंकड़े बता रहे हैं कि 33,78,566 बेरोजगार पंजीकृत हैं और उनमें से मात्र 4430 को ही शासन द्वारा अवसर उपलब्ध हुए हैं। यह प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है। कानपुर महानगर में दाल मिलों के तैयार माल को बाहर भेजने के लिये कृषि उत्पादन मण्डी समिति की जो गेट पास बनवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है उसे सरलीकृत करके व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को राहत दिलावें।

कानपुर महानगर के यातायात को सुगम बनाने के लिये कम से कम 6 ओवर ब्रिज बनवाकर सड़कों का चौड़ीकरण कराके अतिक्रमण हटाया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, समस्त आंकड़ों एवं परिस्थितियों के अनुसार सरकार हर मोर्चे पर विफल है और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद् प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति तथा पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, यह योजना लागू है। किन्तु सरकार द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह योजना मजाक बन कर गई है। इसी सदन में समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि इस हेतु बनायी गयी कमेटी की बैठक प्रतिमाह होगी किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। लखनऊ जनपद में अभी 31 जनवरी, 2009 को हुई बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के 72 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 60 आवेदन-पत्र पात्र पाये गये जिनमें से सभी को पैसा मिल गया और 6 लाख शेष बच गये किन्तु अनुसूचित जाति के 1460 पात्र लोगों को सहायता करने के लिए 5 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी और सामान्य जाति के लिए एक भी पैसा इस सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार से इस योजना से इस योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है।

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार सर्वजन को सुख पहुंचाने की बात करती है किन्तु यह सरकार आम नागरिकों की प्यास बुझाने में असमर्थ है। लखनऊ के राजाजीपुरम् के एफ ब्लाक में बनाया गया जोनल पम्पिंग स्टेशन अभी तक अधूरा है और जल निगम के अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण जनता की प्यास तो नहीं बुझ पायी किन्तु जनता का 2.5 करोड़ रुपया पानी में चला गया। लखनऊ के मेहदीगंज में नये जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था किन्तु धन के अभाव में यह कार्य लगभग एक वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्रों के विधायकों को 2008-09 में हैण्डपम्प आवंटित ही नहीं किये गये अब तो यह अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है और जिलाधिकारी इस कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय को अभिभाषण में लिखा गया है कि प्रदेश में अन्यायमुक्त अपराध एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित किया गया है जो पूर्णतया असत्य है। अपराधियों और माफियाओं के आतंक के कारण आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है। अपराधी और माफिया अपने को बचाने के लिए सत्तारूढ़ दल में शामिल होते जा रहे हैं और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सड़कों पर खुले आम महिलाओं के साथ गुंडागर्दी हो रही है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है और पुलिस मूक-दर्शक बनी खड़ी रहती है।

उत्तर प्रदेश में पुलिसबल आवश्यकता से बहुत कम है। 22 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 22 हजार पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और इन पुलिस कर्मियों के पास आधुनिक शस्त्र भी नहीं हैं। इनको आधुनिक शस्त्रों एवं अन्य संसाधनों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जहां तक खुफिया तन्त्र का सवाल है तो वह अत्यन्त कमजोर है। एक जिले में एल0आई0यू0 का स्टॉफ 10 लोगों से ज्यादा नहीं है और जनसंख्या का औसत 30 लाख है। ऐसे में किसी संदिग्ध की तलाश करना भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा है। एल0आई0यू0 को नेताओं की गतिविधियों पर ध्यान रखने और धरनों-प्रदर्शनों की जानकारी जुटाने में लगा दिया जाता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में आतंकवादियों का नेटवर्क है। आजमगढ़ आतंकवादियों की नर्सरी बन गयी है, सिम्मी जैसे संगठन समेत राज्य में 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। आजमगढ़ सहित आतंकियों के माड्ल्स हैं उन्हें धन देने से लेकर ट्रेनिंग कराने के लिए नैपाल के रास्ते पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भेजने की खुफिया विभाग के पास सूचनाएं हैं किन्तु दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में सरकार आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है।

यह सरकार सभी को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित तो है किन्तु अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। भवन तो निर्मित हैं किन्तु उपयोग नहीं हो रहा है और वह हवामहल बनकर खड़े हैं। नर्सों, पैरामेडिकल स्टॉफ के सैकड़ों पद रिक्त हैं किन्तु नियुक्तियां नहीं हो रही है। गरीबों को आवश्यकता पड़ने पर अब खून भी मंहगा मिलेगा ऐसा समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं और इनमें से अधिकांश लोग मतदाता सूची में अपना नाम डलवाकर वैध मतदाता भी बन गये हैं। इन बांग्लादेशी नागरिकों को हटाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इनकी गतिविधियां संदिग्ध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रतिपक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधनों से अपने को सम्बद्ध करते हुए उस पर बल देता हूं।

श्री कालीचरण राजभर-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहता हूं। जब से उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी है यह लोकप्रिय सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धान्तों पर चलकर गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सर्वसमाज में गरीब लोगों के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों को समता के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित प्रथम चरण में 1889 ग्राम सभाओं में 1815 ग्राम सभाओं को सी0सी0 रोड, पक्की नाली के अतिरिक्त समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है, शेष 74 ग्रामसभाओं को संतृप्त किया जाना शेष है और शेष में कार्य प्रगति पर है। मा0 अध्यक्ष जी, वृद्धोपेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान, बीमारी,

अनुदान का बड़े पैमाने पर इस अभिभाषण में समावेश है। मा0 अध्यक्ष जी, इस भाषण में महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, जिसके अन्तर्गत 15 जनवरी, 2009 के बाद जन्मी गरीब बालिका को 18 वर्ष की उम्र पर एक लाख रुपये मिलेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गयी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो मा0 बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी है, यह सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त, भयमुक्त एवं विकासयुक्त का नारा साकार कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री कैलाश चौरसिया-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्नलिखित बात बोलना चाहता हूं।

1-गत वर्षों से युवा कल्याण परिषद् में कर्मचारियों एवं उपाध्यक्ष के लिये वेतन एवं यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया गया है, इसे शीघ्र भुगतान कराया जाय।

2-जनपद मिर्जापुर आई0टी0 इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय।

3-जनपद मिर्जापुर राजनारायण सेतु (मटौलीपुरम्) गंगा ब्रिज का कार्य पूर्ण कराया जाय।

4-नगरपालिका परिषद् मिर्जापुर के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के घोटाले की पत्रावली मंगाकर कार्यवाही की जाय।

5-जनपद मिर्जापुर गंगा ब्रिज चुनार घाट का शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में रखा, उसमें मैं निम्न बात रखना चाहता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने आगरा मण्डल, खासतौर पर मैनपुरी जनपद में आलू की खरीद के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मान्यवर, मैनपुरी जनपद में किसान का आलू कोल्ड स्टोरेजों में सड़ गया। किसान तबाह हो गया। किसान का आलू खरीदने को कोई आगे नहीं आया। सरकार ने किसानों को कोई मदद नहीं की। महोदय, किसानों की नई आलू की फसल की भी कीमत 50 रु0 से लेकर 70 रु0 मन के भाव मिल रही है। इतनी कीमत से किसानों को उसकी फसल की बुवाई का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। सरकार ने सरकारी खरीद का मूल्य 300 रु0 कुन्टल रखा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये सरकारी खरीद कहां हो रही है और कौन सी संस्था खरीद कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है। मान्यवर, आलू की खरीद आगरा मण्डल में कहीं भी नहीं हो रही है न तो पिछले वर्ष हुयी और न ही इस वर्ष हो रही है। केवल सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है जिसका मैं केवल उदाहरण मैनपुरी की स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मैनपुरी नगर में एकमात्र जिला

चिकित्सालय महाराज तेज सिंह के नाम से कार्यरत है। महोदय, उक्त चिकित्सालय में यह हाल है कि पिछले तीन-चार माह से जो जीवन में अति महत्वपूर्ण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अतिमहत्वपूर्ण हृदय रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं है। दो चिकित्सक थे, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। मान्यवर, मैनपुरी में जब मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो अस्पताल में डाक्टर न होने के कारण मरीज को कोई इलाज नहीं मिलता है और मरीज को आगरा रेफर कर दिया जाता है। कभी-कभी मरीज को इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। महोदय, यह सरकार स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवायें देने में असमर्थ है।

महोदय, मैनपुरी जिला चिकित्सालय में पिछले दो वर्षों से निर्मित कैन्सर यूनिट का भवन और उसमें मशीनें इत्यादि लगकर तैयार है एवं अपनी सेवायें देने हेतु तैयार है। परन्तु उपरोक्त कैन्सर यूनिट किसी कैन्सर यूनिट को हस्तान्तरित न होने के कारण कार्य नहीं कर रही है।

मान्यवर, मैनपुरी जनपद के बारे में बता दूं कि इस जनपद में मुंह का कैन्सर अत्यधिक संख्या में पाया जाता है। लेकिन तब भी यह सरकार कैन्सर यूनिट को चालू करने के लिये गम्भीर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण में उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन्हें जोड़ दिया जाय ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। अंत में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव दरियाबादी-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, इस समय कानपुर नगर विद्युत समस्या से गम्भीर रूप से ग्रसित है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विद्युत समस्या को सुदृढ़ कराने की ओर आकर्षित कराना चाहता हू।

मान्यवर, विगत दो वित्तीय वर्ष से माननीय विधान सभा सदस्यों को दिये जाने वाले हैण्डपम्प वर्तमान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है जिस कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र सीसामऊ (कानपुर) में भी पेयजल की भीषण समस्या है।

कृपया आपके माध्यम से प्रत्येक माननीय सदस्यों को दो-दो सौ हैण्डपम्प सरकार से दिये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एशिया की सबसे बड़ी शास्त्रीनगर श्रमिक कालोनी है, उसमें रहने वाले लोगों को अभी तक स्वामित्व नहीं दिया गया है जबकि इसी तरह की दिल्ली व उड़ीसा प्रदेश में रहने वाले श्रमिकों को स्वामित्व प्रदान किया जा चुका है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले शास्त्रीनगर श्रमिक कालोनी में रहने वाले लोगों को उनका स्वामित्व प्रदान किया जाए।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरिहरनाथ शास्त्री पार्क जूही रेलवे साईड से होते हुए पापुलर धर्मकांटा जूही की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं जोकि अत्यन्त जर्जर है। उसे अविलम्ब बनवाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ विपक्ष के रखे गये राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर,

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे क्षेत्र मिश्रिख की निम्न समस्याओं का निदान कराने की कृपा करें :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ब्लाक पिसांवा में रामनगर एवं चिरहुला में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

2-ब्लाक पिसावां जनपद सीतापुर में कोई भी कन्या इण्टर कालेज नहीं है असेवित विद्यालय डीह बीरा बाबा शिक्षण संस्थान सेरवाडीह को मान्यता भी नहीं दी जा रही है, अधिकारियों द्वारा आनाकानी की जा रही है।

3-ब्लाक पिसांवा में कोई भी नहर नहीं है जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। कृपया कम से कम 15 ट्यूबवेल लगवाये जायें।

4-पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में नवनिर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

5-नगरपालिका नैमिषारण्य-मिश्रिख को आदर्श नगर पालिका घोषित की जाय।

6-ईंट भट्ठा को समाधान योजना के अन्तर्गत टैक्स लिया जाय।

7-ब्लाक पिसांवा जनपद सीतापुर के ग्राम पिसांवा, बरगांवा बर्जारनगर, बीहट, गौंड, भूड़ा, कला मुड़ा खुर्द, सेजकला, सेजखुर्द, जलालनगर बराहमऊ, रौना आदि गांवों में ट्रांसफारमरों का उर्ध्वीकरण कराया जाय।

8-ब्लाक महोली जनपद सीतापुर के अरदौली नगर पुलिया से भटपुरवा अवशेष तक लेपन स्तर का कार्य कराया जाय।

9-ब्लाक पिसांवा में ग्राम बाजनगर से पंखियापुरवा होते हुए गुरसण्डा रोड तक लेपन स्तर का कार्य कराया जाय।

10-ब्लाक पिसांवा में ग्राम पहाड़ी से चिरहुला तक लेपन स्तर का कार्य कराया जाय।

11-इटौउवा किशुन से सुल्तानपुर तक लेपन स्तर का कार्य कराया जाय।

12-ब्लाक पिसांवा गोपामऊ रोड से चौखड़िया तक लेपन स्तर का कार्य कराया जाय।

13-धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य जनपद सीतापुर के चौरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग को लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-नैमिषारण्य तीर्थ के निकट ग्राम हन्नाताली बकैनियां, शेखपुर, हुडहा आदि ग्रामों में यात्रियों की सुविधा के लिए विद्युतीकरण कराया जाय।

15-पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य एवं मिश्रिख को प्रदेश स्तर के पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 20 विधान सभा (44)-14-5-2009-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।